खण्ड–27, अंक–01
सोमवार, 30 अग्रहायण, शक संवत्, 1931
(21 दिसम्बर, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 27 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
वन्दे-मातरम्	1
प्रश्नोत्तर	1-88
नियम-310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की माग	88-89
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	89
शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों में कटौती से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	89-90
उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	90
पर्वतीय भू-भाग में कृषि कार्य हेतु बछड़ों व बैलों के आवागमन, खरीद-बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध न होने के उपरान्त भी इस हेतु लाये गये बैलों/बछड़ों व उनके खरीद-बिक्री हेतु आये लोगों के साथ अभद्रतापूर्वक मार-पीट किये जाने व आर्थिक क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	90-91
नियम-310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग	91-95
सत्र के दौरान जिला पंचायत या बी0डी0सी0 की बैठकें आहूत न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	95-96
उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नारायण राम दास के निधन पर शोकोद्‌गार	96-102
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	102
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) (सदन के पटल पर रखा गया)	103
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संशोधन (एक सौ नौवा संशोधन) विधेयक, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	103
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	103
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	103
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	103
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	104
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	104
सभापति, प्रवर समिति तथा संसदीय कार्य मंत्री ने प्रवर समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की प्रवर समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	105
उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा घोषणा	105
उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	105
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	106
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	106
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	107

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	107
उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	107–108
उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपलब्ध) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	108
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	108–109
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	109–121
नेता सदन द्वारा कांग्रेस की विधान सभा घेराव रैली में घटित घटना की जांच	121–124
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है, पर संकल्प (स्वीकृत)	125
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	125
नत्थियां	126–248

क

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तस्लीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवाकर भट्ट
27–श्री दिवान सिंह
28–श्री नारायण पाल
29–काजी मौ० निजामुद्दीन
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमचन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री बृजमोहन कोटवाल
41–श्री शेर सिंह
42–मे.ज.(अ.प्रा.)भुवन चन्द खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम.
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मनोज तिवारी
45–श्री मयूख सिंह
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मद्दू भाई''
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री कुलदीप कुमार
49–श्री यशपाल बेनाम
50–चौ० यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत रावत
52–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''
53–श्री राजकुमार
54–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
57–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58–श्रीमती वीना महराना
59–श्री शहजाद
60–डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62–श्री सुरेन्द्र राकेश
63–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64–श्री सुरेश चन्द जैन
65–डा० हरक सिंह रावत
66–श्री हरिदास
67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष:– कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत ग्राम मंढाली के ग्राम बैन्दुल का विद्युतीकरण एवं विद्युत कनैक्शन

*1–श्री यशपाल बेनाम–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर पट्टी मवालस्यूं ग्राम सभा मंढाली के अन्तर्गत ग्राम बैन्दुल में लगभग 6–8 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा विद्युतीकरण हेतु विद्युत पोल तथा तार लगा दिये गये थे ?

क्या यह सत्य है कि ग्रामवासियों द्वारा तीन वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम के आस-पास के समस्त ग्राम कई वर्ष पूर्व विद्युतीकृत हो चुकें हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त ग्राम को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

तथा उक्त ग्राम को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल निशंक)-

जी हाँ। उक्त ग्राम का विद्युतीकरण मार्च, 2006 में किया गया।

जी नहीं।

जी हाँ।

विद्युत कनेक्शन के आवेदनकर्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

श्री यशपाल बेनाम-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री प्रकाश पंत जी को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस परम्परा की शुरूआत की है। माननीय अध्यक्ष जी जिस तरह प्रश्न का जवाब है उससे साफ विभागीय लापरवाही झलकती है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कहा गया है कि मवालस्यू ग्राम सभा मवाली के अन्तर्गत ग्राम बैन्दुल का विद्युतीकरण 2006 मार्च में किया गया था, लेकिन महोदय, चार साल व्यतीत होने के बाद भी, जबकि इसमें कनेक्शन आवेदनकर्ताओं के द्वारा आवेदन किया गया था लेकिन जब मैंने यह प्रश्न लगाया नौवें महीने में तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि ग्यारहवें महीने में कनेक्शन दिये गये हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जब प्रश्न लगा, तब कनेक्शन लगे। लेकिन मैं अनुपूरक प्रश्न के रूप माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड प्रदेश में कितने गांव ऐसे हैं कि जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है और कितने गांव ऐसे है जिनका विद्युतीकरण हो गया है लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और विद्युत कनेक्शन न लिये जाने के पीछे ग्रामीणों के क्या कारण है कि वो विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है क्योंकि यह स्पेसिफिक प्रश्न है विकास खण्ड एकेश्वर पट्टी मवालस्यू ग्राम सभा भंडाली से संबंधित है और जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा कि जो कनेक्शन दिये गये उसके आवेदन–पत्र का पहले ही चार साल तक निस्तारण नहीं हुआ तो श्रीमन्, इसके संबंध में मैं माननीय सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस गांव का विद्युतीकरण 2006 में हुआ था लेकिन चूँकि विद्युत संयोजन के लिए ग्रामवासियों द्वारा आवेदन नहीं किया गया जिसके चलते हुए वहाँ कनेक्शन नहीं दिये जा सके, लेकिन इसी मध्य वहाँ का ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया। मान्यवर, जिसमें यह आधार पाया गया कि निश्चित रूप से वहाँ कनेक्शन न लेकर गलत तरीके से वहाँ विद्युत संयोजन किये गये होंगे। अभी दिनांक 20–11–2009 को हमें आवेदन–पत्र प्राप्त हुये और उन आवेदन–पत्रों का निस्तारण तत्काल करते हुये दिनांक 04–12–2009 को ट्रांसफॉर्मर ठीक कराकर विद्युत संयोजन दिये गये हैं।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, 4 में से दो भी नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ सम्मानित विधायक ने यह पूछा कि 'जी नहीं और दूसरे पैरा में पूछा गया कि यदि हाँ, तो उक्त ग्राम को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण है ? तो उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि विद्युत कनेक्शन के आवेदनकर्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है। इसमें यह विरोधाभास लग रहा है, एक पैरा में कह रहे हैं जी नहीं और दूसरे में कह रहे हैं कि दिया जा चुका है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने पूछा कि 3 वर्ष पूर्व में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन–पत्र दिये गये थे ? तो 3 वर्ष पूर्व तो दिये नहीं, आवेदन–पत्र 20 नवम्बर, 2009 को प्राप्त हुये हैं और जब 20 नवम्बर, 2009 को आवेदन–पत्र हुये तो उसके तत्काल बाद 04–12–2009 को उनके कनेक्शन लगा दिये गये थे, चूँकि विद्युत ट्रांसफॉर्मर खराब हुये थे, वहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं थे, वहाँ कनेक्शन के आवेदन नहीं थे, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी थी, लेकिन जब उनको समझाया–बुझाया गया तो उन्होंने 3 कनेक्शन के लिए एप्लाई किया उसके बावजूद भी उसको स्वीकार करते हुये तत्काल ट्रांसफॉर्मर ठीक करके विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या विभागीय ड्यूटी यह है कि केवल पोल खड़ा कर दिया जाए या उस क्षेत्र के लोगों को प्रेरित भी करना है कि आप जल्दी–जल्दी संयोजन लें, क्योंकि 3 वर्ष का समय बहुत है इसलिए मैंने अनुपूरक पूछा था कि कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण हो चुका है पर संयोजन नहीं दिये जा रहे हैं ? यह अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री प्रकाश पन्त:–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ध्यान आकर्षित किया और निश्चित रूप से जब परियोजना दी गई गाँव वालों को, तो उन्होंने कनेक्शन लिया। यह प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं इसके लिए विभाग के लोगों को निर्देशित करेंगे।

कोटद्वार अन्तर्गत सुखरो, खो व मालन नदी में खनन

*2–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत:–

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुखरो, खो व मालन नदी में खनन कार्य बन्द होने के कारण यहां के निवासियों को महंगे दर पर रेत, बजरी क्रय करनी पड़ रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक इन नदियों में खनन कार्य प्रारम्भ करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य सरकार उप खनिजों की रॉयल्टी निर्धारित करती है। निगम/पट्टाधारक अपने संसाधनों पर हुए व्यय व सर्विस चार्ज जोड़कर विक्रय मूल्य क्रेता से प्राप्त करते हैं।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सम्बन्धित निगम को खनन हेतु अनापत्ति प्राप्त होने पर ही नियमानुसार खनन कार्य सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत:–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो भी रिजर्व फॉरेस्ट की नदियाँ हैं और राजस्व की नदियाँ हैं पूरे उत्तराखण्ड प्रदेश में, वे सालों से बन्द हैं और जिससे उत्तराखण्ड प्रदेश को और सरकार को जो करोड़ों–अरबों रुपये का राजस्व मिलना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए क्या सरकार गम्भीर है ? अगर सरकार गम्भीर है तो 10–10 सालों से, 8–8 सालों से जो नदियाँ बन्द हैं इसके लिए क्यों नहीं सरकार भारत सरकार में पैरवी करती है और भारत सरकार में पैरवी न होने के कारण

ये सारी नदियाँ भारत सरकार की अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण आज बन्द हैं और क्षेत्र की जनता में तमाम रोष है, जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य तौर पर जिन 3 नदियों का उल्लेख किया गया – सुखरौ, खो व मालन का, तो इन तीनों नदियों के सम्बन्ध में भारत सरकार को विधिवत् अनुमति के लिए – सुखरौ नदी के लिए 2 दिसम्बर, 2009 को और मालन नदी के लिए 2 दिसम्बर, 2009 को ही क्रमशः 29.02 हैक्टेयर नदी से रेता, बजरी और बोल्डर के चुगान की उत्तराखण्ड वन निगम को 10 वर्षों के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है तथा मालन नदी में 35.356 है0 नदी तल से रेता, बजरी, बोल्डर, उप खनिजों के चुगान की, उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्ष के लिये, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में तथा जनपद पौड़ी के ही खो नदी के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में हैं यह पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं और इसमें लगातार प्रयास हो रहा है कि हमें इसकी अनुमति प्राप्त हो जाय। चूँकि खनिज और उप खनिज इन दोनों के खनन तथा चुगान से सम्बन्धित जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कार्य प्रणाली अपनायी जाती है, वह भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण का संरक्षण और खनिज भण्डारों की आधुनिक तकनीक से विस्तृत अन्वेषण कार्य करने के उपरान्त ही इसको सम्पादित किया जाता है। हमारा प्रयास भी है कि जल्दी से जल्दी इसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो जाय ताकि उसके उपरान्त ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नैनीताल जनपद में निहाल नदी में चुगान न होने से, जबकि चुगान की मांग वहां की जनता लम्बे समय से करती आ रही है। चुगान न होने के कारण कालाढूंगी क्षेत्र की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही है। नदी का पानी फैल जाता है और करीब 20 किलोमीटर तक पूरे जंगल में फैल जाता है। जिसके कारण सारा जंगल बर्बाद हो रहा है। चूंकि नदी का निकास न होने की वजह से नदी का तल ऊँचा होने से पूरा पानी फैल जाता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या निहाल नदी से चुगान करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, यदि इसके माननीय सदस्य पृथक से प्रश्न पूछ लें तो इसका उत्तर अलग से दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यदि सामान्य रूप से माननीय मंत्री जी बताना चाहें तो बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सामान्य रूप से जो भूमि–दरी की भूमि है और वन भूमि है। इन दोनों भूमि के लिए पृथक–पृथक से प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। (व्यवधान)

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, अप्लाई किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यद्यपि आपका प्रश्न इस परिधि में नहीं आता हैं। माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था वह कोटद्वार से सम्बन्धित था और आपने नैनीताल से सम्बन्धित कोई अनुपूरक प्रश्न किया हैं। मूल प्रश्न खनन से सम्बन्धित नहीं था, वह कोटद्वार से सम्बन्धित था।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो नीतिगत प्रक्रिया है, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। मान्यवर, उप खनिज और मुख्य खनिज को सामान्य भाषा में खनिज कहा जाता है और जिसका नियंत्रण खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किया जाता है। इसके लिए जब हमारा राज्य बना था वर्ष, 2001 में खनिज नीति जारी हुई थी। इस खनिज नीति के दो भाग मूलतः थे। पहला भाग था, कि जो खनन किया जायेगा, उसमें मुख्य खनिज और दूसरा भाग था, उप खनिज। श्रीमन्, मुख्य खनिज के लिए जो हमारा खनिजों का विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 है। उसकी धाराओं तथा खनिज की अपरिहार्य नियमावली, 1960 के प्राविधान के अन्तर्गत इस खनिज कार्य को सम्पादित किया जायेगा। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। श्रीमन्, इसी तरह से इसका जो दूसरा भाग उप खनिज हैं, उपखनिजों के लिए वर्तमान में जो वन क्षेत्रों में उप खनिज चुगान का कार्य मुख्य रूप से निजी पट्टेधारकों द्वारा किया जा रहा था और अब इसको वैज्ञानिक विधि द्वारा करने के लिए यह आदेश निर्गत किया गया। इसके तहत जो वन क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में और नदी के तलछट इत्यादि क्षेत्रों में जो नाप भूमि के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मान्यवर, उनमें उप खनिजों के खनन और चुगान का कार्य सरकारी निगमों, सरकारी विभागों और कानूनी निगमों द्वारा किया जाएगा। 30 अप्रैल, 2001 को यह निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर यह कार्य सम्पादित होता रहा है। श्रीमन्, वर्तमान में जो एक समस्या पैदा हुई, वह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और जिसके चलते हुए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ की लीज नवीनीकृत नहीं हो पायी और उन क्षेत्रों में नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय

से प्रकरण निस्तारित हो जाता है, उसके पश्चात् ही हम कुछ कर सकते हैं। प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर भारत सरकार के वन मंत्रालय एवं मंत्रालय से प्रयास कर रही है कि इन प्रकरणों को निस्तारित किया जा सके।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बड़े नियम कानून के बारे में बताया, खनिज पट्टा आदि के बारे में बताया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में होगा कि हल्द्वानी से लेकर लालकुँआ तक नदी के 6 गेट हैं और विगत कई महीनों से नदी के ये गेट बन्द हैं। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सितारगंज और बोरगलिया के बीच नन्धौर एक नदी है, उसकी निकासी वहाँ से दी गयी थी, लेकिन उसको भी बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 20 दिन पहले जब हल्द्वानी गये थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि 3 दिन के अन्दर गोला नदी के जो गेट हैं, वे खोल दिये जाएंगे। उससे कोई एक–दो नहीं बल्कि दसों–बीसों लाख लोग प्रभावित हैं। यह खनन का विषय बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम राज्य सरकार से बात करते हैं, तो वे भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं और भारत सरकार के हमारे जो नुमाइन्दे वहाँ हैं, उनसे जब बात होती है, तो वे राज्य सरकार पर आरोप लगा देते हैं। दोनों एक–दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कई महीनों से ये नदी बन्द हैं। कई लाख लोग इससे प्रभावित हैं। अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही गंभीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये। (व्यवधान) आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का कम्युनिकेशन भारत सरकार से क्या चल रहा है ? भारत सरकार कोई अपेक्षित सहयोग कर रही है अथवा नहीं या आपकी पैरवी में कोई कमी है ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नैनीताल जनपद के बारे में जानकारी चाही है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यह मूल प्रश्न के दायरे में नहीं आता है। इसलिए विस्तृत जानकारी दिया जाना तत्काल संभव नहीं है। लेकिन नीतिगत आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि नैनीताल की गोला, कोसी, दाबका नदियों में चुगान के लिए 10 वर्षों के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हुई थी और इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा आगामी अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा

प्रस्ताव को वन संरक्षण संबंधी आपत्तियों एवं संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन जारी अधिसूचना 14 दिसम्बर, 2006 में इंगित खनन के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा आवेदित न होने के कारण वापस कर दिया गया था और इसको राज्य सरकार ने पुनः उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से खनिज नीति के अनुसार सहमति का पत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया है। इसकी स्वीकृति से पूर्व चुगान किये जाने का प्राविधान चूंकि नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ से चुगान नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह प्रस्ताव किस तिथि को भेजा गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं तिथि पृथक से बता दूँगा। नीतिगत विषय के बारे में मैंने बताया। अगर आप स्पष्ट जानकारी चाहेंगे तो उसको मैं डेट सहित पृथक से बता दूँगा और पत्र की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि खनन हेतु केन्द्र से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही होगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र द्वारा अनापत्ति प्राप्त न होने की दशा में किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार ने सोचा है ? क्योंकि समाचार पत्रों के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि विधायक अपनी विधायक निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे सारे विकास कार्य अवरूद्ध हो गये हैं। (व्यवधान)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मूल प्रश्न की बात है तो उसका उत्तर आ चुका है, परन्तु उसके अतिरिक्त यदि आप लोग चर्चा चाहते हैं तो उस हेतु प्रश्न दीजिये या सूचना दीजिये, हम चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन् माननीय सदस्य ने पूछा कि वर्तमान में राज्य के नदी तल की स्थिति और अनुमति न मिल पाने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके बारे में मैं जानकारी

देना चाहूँगा कि पूरे राज्य भर में वन संरक्षण अनुमति प्राप्त 4779.37 हैक्टेयर भूमि ऐसी है, जिसमें हमें चुगान और खनन की अनुमति प्राप्त है और जो अनुमति प्रस्तावित है, जो हमने आवेदन किये हैं, वह 2179.80 हैक्टेयर भूमि के हैं। 2401.59 हैक्टेयर भूमि पर वन संरक्षण की अनुमति समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास वर्तमान में जो अनुमति है, वह 4779.37 हैक्टेयर भूमि पर है। यह अवश्य है कि जो हमारे तराई के और बड़े क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से अनुमति समाप्त होना और माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन होना, यह दो–तीन बड़े ऐसे कारण हैं, जिनके कारण वहाँ पर चुगान का कार्य नहीं हो रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आज पूरा प्रदेश, खनन के मामले में हर व्यक्ति प्रभावित है, विधायक भी प्रभावित हैं और माननीय मंत्रिगण भी प्रभावित हैं। विशेषकर पूरी दून वैली में हाईकोर्ट में एक वाद लम्बित हुआ था, जिसके अनुसार वहाँ पर खनन और चुगान पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें भिन्न–भिन्न विचार हो सकते हैं कि सरकार की ओर से उचित पैरवी नहीं की गई, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, जो मात्र एक ठेकेदार संस्था थी, उसी को खाली पैरवी के लिए छोड़ दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो खनन की प्रक्रिया है, वह क्या भिन्न–भिन्न जगहों पर अलग–अलग है? क्योंकि यह माना जा रहा है कि 89 के आदेश के तहत दून वैली में खनन बन्द कर दिया गया था। उस मामले में वहाँ पर चुगान न करके खनन किया जा रहा है। तो क्या बाकी जगहों में, बाकी प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में खनन हो रहा है या चुगान हो रहा है ? क्या दोनों जगहों पर अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या राज्य और केन्द्र सरकार के खनन और चुगान में दो अलग–अलग दृष्टिकोण है ? माननीय मंत्री जी, यह बहुत गम्भीर विषय है कि क्या दो जगहों पर दो प्रक्रिया अपनाई जायेंगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कृपया प्रश्न कर लीजिऐ, इस पर काफी समय हो चुका है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार की खनन प्रक्रिया में और राज्य सरकार की खनन प्रक्रिया में क्या अन्तर है ? दूसरा, जो नदियों का तल स्तर ऊँचा होता जा रहा है जैसा हमारे सहयोगी साथी गणेश जोशी जी ने भी प्रश्न किया कि क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था दून वैली में भी करने जा रही है या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जहाँ तक माननीय सदस्य ने नीतिगत विषय पूछा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की खनन की क्या प्रक्रिया है, इस बारे में मैंने अपने पूर्व के उत्तर भाषण में बताया था कि दो तरह की प्रक्रिया सम्पादित होती है, एक खनिज के नाम से की जाने वाली प्रक्रिया और एक उपखनिज के नाम से की जाने वाली प्रक्रिया। मान्यवर, अब दोनों के लिए सर्वथा अलग–अलग हमारे उत्तराखण्ड राज्य खनन नीति में प्राविधान है। चूंकि जो मुख्य खनिज हैं उनका नियंत्रण खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 के आधार पर किया जाता है और इसके आधार पर यह आवश्यक है कि उसकी प्रक्रिया के अधिनियम की धारा–15 के अधीन हम राज्य सरकार द्वारा प्राख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली, 2001 के अनुसार प्रक्रिया को प्रारम्भ करें श्रीमन् और इसके लिए मुख्य खनिज का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अनुसार हवाई सर्वेक्षण, खनिज की खोज और भण्डारण का सत्यापन तथा खनन पट्टे के अनुसार नियंत्रण किया जाता है। श्रीमन्, इसी के आधार पर जो उत्तरांचल राज्य में खनिज नीति, 2001 तत्कालीन समय में 30 अप्रैल, 2001 को निर्गत की गयी थी। श्रीमन्, उस नीति में स्पष्ट रूप से प्राविधान मुख्य खनिज और उप खनिजों के लिए किये गये थे। श्रीमन् उप खनिजों में जो प्राविधान किये गये जिसको नदी तल से उप खनिज चुगान हेतु, क्षेत्र भी इसके माध्यम से इंगित किये गये थे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया सीमित करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अब ये विषय तो आपने लम्बा छेड़ दिया है। (व्यवधान) श्रीमन्, जब माननीय सदस्यगण सवाल पूछेंगे और सवाल श्रीमन्, कोटद्वार की परिधि से बाहर चला जायेगा और पूरे राज्य पर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चला जायेगा, तो श्रीमन्, इसका उत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा और चूंकि पीठ से निर्देश आया है उत्तर देने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने अवगत कराया श्रीमन्, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोटद्वार से संबंधित मूल प्रश्न था और जो काफी विस्तृत हो गया है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की....। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने विनम्रतापूर्वक आग्रह किया माननीय सदन से, कि सरकार ने खनन अनुमति समाप्त होने के जितने भी प्रकरण हैं, उनको विधिक प्रक्रिया के तहत और नियमों का आधार लेते हुए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में उन प्रकरणों को उचित माध्यम से भिजवाया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र प्रकरण निस्तारित हो जाएं और माननीय न्यायालय में जितने भी प्रकरण हैं, उनके लिए हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वे प्रकरण भी निस्तारित हों और राज्य की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप, हमारी परिस्थितियों के अनुरूप उनका निस्तारण किया जा सके। (व्यवधान)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, सत्र के दौरान बी0डी0सी0 की बैठकों का आयोजन चल रहा है। पीठ से कई बार निर्देश आ चुके हैं कि सत्र के दौरान बी0डी0सी0 की बैठक नहीं हो सकती है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने हेतु उद्योगों की स्थापना

*3–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने की सोच की भी अहम भूमिका थी?

यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में अब तक स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कितने व किन–किन संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु संचालित किया गया एक जनान्दोलन था, जिसमें रोजगार सृजन एवं रोजगार प्राप्त किया जाना भी एक अहम लक्ष्य स्वयमेव अंतर्निहित हो जाता है।

पर्वतीय क्षेत्र में उद्यम स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 लागू की गई है। इस नीति के लागू होने के पश्चात पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर आधारित 1122 निजी उद्यमों की स्थापना हुई है जिनमें 3828 स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते हैं, वरन निजी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, जब कहा जा रहा है कि पढ़ा हुआ माना जाय तो पढ़ा हुआ माना जाय, सदन का समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर देना समय बर्बाद करना है तो यह तो उचित बात नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, हम कोई अनपढ़ हैं जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी पढ़े-लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, यह प्रक्रिया का हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप गुस्सा मत हों, आप तो हँसते हुए अच्छे लगते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, आप जारी रखिये।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर अधूरा है। प्रश्न यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कितने और किन–किन संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं ? कितने आ गये हैं तथा किन–किन संसाधनों पर ये उद्योग आधारित हैं। क्या पर्वतीय क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं चाहे वह जल संसाधन है, वन संसाधन है, जड़ी–बूटी का संसाधन है, उद्यान पर आधारित संसाधन हैं और परम्परागत पर्यटन पर आधारित, जो हमारे संसाधन हैं इन पर अलग–अलग प्रत्येक संसाधन वाइज कितने उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र स्पेसिफिक आया है। हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के 10 जिले हैं, उनमें किन–किन संसाधनों पर कितने–कितने उद्योग स्थापित किये हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, प्रस्तावित उद्यम हैं वह उद्यम मसाला पिसाई, आटा, चक्की, घी, क्रीम, बटर, स्टेन्डर्ड मिल्क, मिनरल वाटर, फूड प्रोडक्ट, फूट प्रोडक्ट, आचार, जैम, जैली, मुरब्बा, आईसक्रीम, नमकीन, हवन सामग्री, धूप, ताम्र उद्योग, एलोपैथिक दवाईयाँ, हर्बल प्रोडक्ट, स्पॉ, होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे, मोटर रिपेयरिंग, फोटो–स्टेट, साइबर कैफे, पोल्ट्री फार्म, टैन्ट हाउस, फैशन ट्रेनिंग एण्ड डिजायनिंग, पत्तिका निर्माण।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो स्पेसिफिक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका उत्तर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पेसिफिक पहले प्रस्तावित बता रहा हूँ उसके बाद में लगे हुए बता रहा हूँ, माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य तो रखें। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने लगे हैं और कितने प्रस्तावित हैं इसलिए मैं दोनों की जानकारी दे रहा हूँ (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सुन तो लें। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पी०सी०बी० एसेम्बलिंग, फैशन डिजाइनिंग, ऊनी उद्योग, पैकिंग मैटीरियल, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लास, शाल पंखी, टायर रिट्रेडिंग, केबिल नेटवर्क, ऑटो गैराज (रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग), ऑफसेट प्रिंटिंग, ये तो प्रस्तावित उद्योग हैं। इन प्रस्तावित उद्योगों के आधार पर हमको आवेदन प्राप्त हुए हैं। 01 अप्रैल, 2008 को उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो औद्योगिक नीति घोषित हुई थी, इस औद्योगिक नीति के आधार पर ये उद्यम हमारे यहाँ प्रस्तावित किये गये थे। इसके आधार पर जो उद्यम हमारे यहाँ स्थापित हो चुके हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। बेकरी प्रोडक्ट,, आईसक्रीम, आटा चक्की, तेल पिराई, आचार, जैम, जैली, नमकीन, ऊलन उद्योग, टेलरिंग, कॉटन कार्डिंग, रेडीमेंट गार्मेन्ट, फार्मा प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक यूनानी दवाईयाँ,

डाटा प्रोसेसिंग, रेडियो, टीवी रिपेयरिंग, फोटो–स्टेट, मोबाईल रिपेयरिंग, इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स ऐसेम्बलिंग/रिपेयरिंग, कम्प्यूटर ऐसेम्बलिंग, प्रशिक्षण व इन्टरनेट सर्विसेज, मान्यवर, स्टील फैब्रिकेशन, पैन रिमिंग, गेट ग्रिल निर्माण फर्नीचर उद्योग, ऑटो गैराज, ज्वैलरी उद्योग, मूर्ति निर्माण, हैण्डी क्राफ्ट, होटल और फ्लोरीकल्चर यह तो श्रीमन्, स्थापित हो चुके हैं। यह जो स्थापित होने वाली इकाईयाँ हैं, इन 10 जिलों में हमारे पास अभी तक वर्ष 2008–09 में 663 इकाईयाँ स्थापित हुई थी, वर्ष 2009–10 में 535 इकाईयाँ स्थापित हुई थी और इन इकाईयों के माध्यम से वर्ष 2008–09 में हमने 2225 बेरोजगारों को रोजगार दिया। 2009–10 में नवम्बर माह तक की अद्यतन स्थिति यह है कि 2103 बेरोजगारों को रोजगार हम दे चुके हैं।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, प्रश्न का जवाब फिर भी नहीं आया। क्या आटा पिसाई और मसाला पिसाई यह जो है पर्वतीय क्षेत्र के संसाधनों में सरकार मानती है, आटा, गेहूँ और मसालों को या सरकार की औद्योगिक नीति 2008 में जो पर्वतीय क्षेत्र में नेचुरल रिसॉर्सेज हैं, हमारे जो वन हैं, जल है, पर्यटन और उद्यान हैं और जड़ी बूटी है क्या इनको संसाधन सरकार मानती है और इन संसाधनों पर आधारित कितने उद्योग कहाँ–कहाँ स्थापित हुए हैं? यह स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो इस नीति के तहत आच्छादित उन सभी उद्यमों की प्रकृति को सदन के समक्ष रखा और जहाँ तक आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो स्थापित हुए हैं। इसमें क्या, होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे पर्यटन से सम्बन्धित जो उद्योग हैं, इनकी भी स्थापना की गई। जिसके तहत जो इकाईयाँ स्थापित हुई हैं वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब श्रीमन्, इसमें उत्तर न आने वाला कोई विषय तो है नहीं।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया और राज्य बनाने के बाद जो रोजगार दिये जाने की सोच थी। जिस वजह से उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा बनी और राज्य निर्माण के लिए कई संघर्ष हुए और आंदोलन हुए थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि प्रदेश के लोगों को रोजगार दिये गये तो क्या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार दिये गये या उन्हें डायरेक्ट रोजगार दिये गये?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राज्य में स्थापित होने वाली उद्योगों में वहाँ के स्थानीय एवं प्रदेश के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार और सेवायोजन दिया जाय, इस सम्बन्ध में शासनादेश

25 अक्टूबर, 2005 को निकला था। इस शासनादेश के आधार पर इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो और इस क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा इसका विज्ञापन जारी किया जाता है और प्रत्येक इण्डस्ट्री के तहत जो भी फैक्ट्री लगती है, उसके माध्यम से विज्ञापन जारी होता है। जैसे मैं उदाहरण दूँगा टाटा मोटर्स का, अभी का लेटैस्ट विज्ञापन है। श्रीमन्, इसमें स्पष्ट लिखा है कि उत्तराखण्ड के स्थाई निवास प्रमाण-पत्र को उसके प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करना होगा। अर्थात जितने भी उद्यम लगेंगे उन उद्यमों में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड का लगायें। जिस प्रवृत्ति के काम होंगे उन कार्यों में उत्तराखण्ड के लोगों की नियमित नियुक्ति कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार सुनिश्चित करायें, ऐसे निर्देश दिये गये हैं। इसका लगातार अनुश्रवण हो रहा है, देखरेख इसकी हो रही है।

श्री ओम गोपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वरोजगार और उद्योगों में फर्क क्या है? जैम, जैली तो पहले से ही उद्योग विभाग बनवा रहा है। मान्यवर, इसके लिए लोन दे रहा है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तराखण्ड की अवधारणा थी और पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था, वहाँ पर उद्योगों की कमी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूँ कि जो प्रश्न का जवाब आया है जैसे आटा चक्की, मुरब्बा, जैली, क्या ये उद्योग हैं, यह तो स्वरोजगार है। इससे केवल एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है न कि दस लोगों को

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप प्रश्न तो करें।

श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, मैं जानना चाहा रहा हूँ कि क्या जैल, मुरब्बा, आटा चक्की बनाने वाली उद्योग हैं या स्वरोजगार है? मान्यवर, उद्योग व स्वरोजगार के बारे में मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि इनमें उद्योग किसको माना जाय? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य जी ने जिज्ञासा चाही है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि रोजगार छोटे उद्यम से मिले या बड़े उद्यम से मिले, रोजगार रोजगार होता है। चूँकि जो उत्तराखण्ड के विषम भौगोलिक क्षेत्र हैं उन विषम क्षेत्रों में बड़े उद्यम नहीं आ पा रहे थे, वहाँ के दुर्गम क्षेत्र होने से इस कारण 01 अप्रैल, 2008 में I.....(व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आई0टी0 क्षेत्र के रूप में लग सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आई0टी0 क्षेत्र में भी लगे हैं। मैंने बता दिए हैं कि इसमें आवेदन आते हैं और उन आवेदनों के आधार पर प्रस्तावित भी हुए हैं और कुछ उद्योग भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हैं। उत्तराखण्ड की विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति थी। उस नीति का मूल आधार ही यह था कि जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सुदूर और पिछड़े पर्वतीय जनपद हैं। वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को दिशा देने के लिए, उद्यमिता विकास के लिए और औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए इस नीति को लाया गया था और इसके तहत जो प्रोत्साहन हमारे माध्यम से दिया गया उस प्रोत्साहन के माध्यम से कुछ छोटे और कुछ बड़े उद्यम लगे। इन्हीं के माध्यम से जैसा कि मैंने जानकारी दी है कि नवम्बर, 2009 तक 103 बेरोजगार नौजवानों को 535 स्थापित इकाईयों के माध्यम से रोजगार दिया जा चुका है, साथ ही यह भी प्रयास है कि और अच्छे उद्योग लगें तथा इनका व्यापक प्रचार–प्रसार हो जिससे बड़े उद्योग भी आयें तथा स्थानीय कच्चे माल के आधार पर वहाँ उद्योग लगें।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर दिया है कि वर्ष, 2008 में जो औद्योगिक नीति लागू हुई है, उस आधार पर 1122 उद्यम स्थापित हुए हैं। इनमें 3828 लोगों को रोजगार दिया गया है। लेकिन उन्होंने पूरक के जवाब में कहा कि वर्ष 2008–09 में 2225 लोगों को तथा वर्ष 2009–10 में 2103 लोगों को रोजगार दिया गया है मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पहला उत्तर सही है या दूसरा उत्तर सही है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दोनों ही उत्तर सही हैं। (व्यवधान) चूँकि जो अपना प्रस्तावित उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन करता है। वह ई0एम0 पार्ट–वन दाखिल करता है, उसमें वह प्रोजेक्शन लिखता है कि हम इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे और इतनी धनराशि का हम पूँजी निवेश करेंगे, इससे उद्योग स्थापित होता है। इसे हम ई0एम0 पार्ट–वन कहते हैं। इसके बाद ई0एम0 पार्ट–टू होता है जिसके माध्यम से, जब उद्योग प्रारम्भ हो जाता है, इसके माध्यम से जो धरातल पर रोजगार दिया है वह जानकारी दे रहा हूँ। चूँकि ई0एम0 पार्ट–वन में उसमें प्रोजेक्शन उतना

किया है और उस आधार पर अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है इसके आधार पर हम 3828 लोगों के लिए रोजगार सृजन करेंगे।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। रोजगार तो सीधा–सीधा साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझता है। रोजगार उसको कहा जाता है, जिसे दिन से वह ज्वाइनिंग कर देता है। मान्यवर, रोजगार देने का मतलब तो वही है जिसको नियुक्ति मिल गयी हो।

श्री प्रकाश पन्त।

श्रीमन् जो प्रोजेक्शन किया जायेगा। वह अपना ई0एम0 पार्ट–वन दाखिल करेगा तो वह लगायेगा। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, रोजगार उपलब्ध होने का मतलब है कि जो आदमी कार्य कर रहा हो। आप उसकी परिभाषा बदल दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण तो दे दिया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1122 निजी उद्योग लगे हैं, रोजगार मिला 3828 लोगों को। लगभग एक स्टेब्लिशमेंट में दो या तीन लोगों को रोजगार मिला और इसका मतलब जो 2008 की नीति है क्या सरकार इसको दोबारा सुधारेगी जिससे पहाड़ों में उद्योग लग सकें?

श्री प्रकाश पन्त

नीति श्रीमन्, असफल नहीं है। नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार हम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बड़े उद्योग भी वहाँ लगें ताकि अधिकतम वहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 लागू की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं और किन–किन जनपदों में किये गये हैं? दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि 1122 उद्योग लगे हैं इसमें कुल कितना निवेश हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो आपने पहला प्रश्न किया कि कौन–कौन से क्षेत्र विकसित किये गये हैं तो इस नीति के तहत दो कैटेगरी में वर्गीकरण था। पहला वर्गीकरण था कैटेगरी–ए, इसके अन्तर्गत प्रदेश के सीमांत एवं सुदूरवर्ती जनपद और उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नव सृजित जनपद, जिसमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू–भाग शामिल है यह कैटेगरी–ए के अन्तर्गत आए और कैटेगरी–बी के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर विकासखण्डों को छोड़कर तथा जनपद नैनीताल के हल्द्वानी और रामनगर विकासखण्डों को छोड़कर इन जनपदों के सभी पर्वतीय क्षेत्र का बाहुल्य विकासखण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। (व्यवधान) इसके आधार पर श्रीमन्, राज्य सरकार द्वारा जो मिनी औद्योगिक आस्थान क्षेत्रों में नागरिक अवस्थापना और सामान्य सुविधाएँ–विद्युत, सड़क जलापूर्ति, नालियाँ, सम्पर्क–मार्ग इत्यादि का कार्य करके हमने प्रत्येक जनपद में ऐसे क्षेत्र विकसित किये हैं जिन क्षेत्रों में हमने औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की है उन सबका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ उसका प्रचार–प्रसार हुआ। दूसरा श्रीमन्, ऐसे सभी औद्योगिक आस्थान क्षेत्रों में भूखण्ड लीज पर लेने, क्रय करने और सेलडीड के निबंधन में स्टाम्प शुल्क प्रभार में छूट दी गयी है ताकि इसके आधार पर उन आस्थानों पर उद्योग विकसित किये जा सकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मेरा सीधा सा प्रश्न है कि सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये? आप संख्या बता दीजिए और कितने जनपदों में किये गये? जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

आप पिथौरागढ़ में बता दीजिए?

श्री प्रकाश पन्त–

पिथौरागढ़ में औद्योगिक आस्थान हैं। (व्यवधान) मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि प्रत्येक जनपद में ऐसे क्षेत्र विकसित किये गये हैं, उन क्षेत्रों में हम औद्योगिक आस्थान के रूप में सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

कुल कितने क्षेत्र विकसित किये गये हैं? (व्यवधान) मान्यवर, वर्ष, 2008 के बाद की जो नीति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रत्येक जनपद में ऐसे क्षेत्र विकसित किये गये हैं, जिन क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थान के रूप में हम अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितने क्षेत्र विकसित किये हैं? वह बतायें। 1-2-3-4 कितने क्षेत्र हैं? (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 2 कैटेगरी हमारे यहाँ है और उन दो कैटेगरी के आधार पर हम औद्योगिक आस्थान विकसित कर रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी घुमा रहे हैं, सही बात बता दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने बड़ा साधारण प्रश्न किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को यह बता दें कि कितने औद्योगिक आस्थान स्थापित किये हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं पूँजी निवेश की बात भी बता रहा हूँ और औद्योगिक आस्थानों की बात भी बता रहा हूँ कि इन दसों जनपदों में, प्रत्येक जनपद मुख्यालय में एक-एक औद्योगिक आस्थान करने की योजना सरकार की थी।

श्री अध्यक्ष–

पर्वतीय क्षेत्र में कितने विकसित कर दिये? (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इन सभी जनपदों में अभी तक हमारे पास 535 इकाईयाँ स्थापित हो चुकी हैं और 60 करोड़ 32 लाख का पूँजी निवेश इसमें हो चुका है, यह बात सत्य है कि अभी 10–10 जनपदों में हमारे औद्योगिक संस्थान विकसित नहीं हुये हैं और विकसित करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितने हुये हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2008 के बाद हमने कोई औद्योगिक आस्थान स्थापित नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब पर्वतीय क्षेत्रों में अभी तक कुछ नहीं हुआ तो यह काहे की नीति है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक विकसित करेंगे?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी सीटों पर खड़े थे और एक साथ जोर–जोर से अपनी बात कह रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की भी मजबूरी है, जब अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे पास सारी जानकारी उपलब्ध है और मैं माननीय सदस्यगण को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार औद्योगिक आस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक औद्योगिक आस्थान यहाँ स्थापित हो जाय, जिसके आधार पर यहाँ पर और अधिक उद्यम आ जायं।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, जहाँ तक प्रश्न की बात है, उत्तर पूरा आ चुका है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप पूरी बात को सुन लें। जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य स्थापना के समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो औद्योगिक पैकेज 2013 तक दिया गया था, क्या उस औद्योगिक पैकेज की समयावधि घटा दी गयी है या उसको आगे बढ़ा दिया गया है और उस औद्योगिक पैकेज को घटाये जाने से हमारे कितने बेरोजगार भाईयों को जिन्हें रोजगार मिलना था, उन्हें उस रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12:10 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

*4–श्री केदार सिंह रावत–

(आश्वासन समिति विचाराधीन विषय होने के आधार पर निरस्त)

जनपद उत्तराकाशी के चिन्यालीसौड़–सुनारगाँव मोटर पुल का निर्माण

*5–श्री केदार सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध प्रभावित चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी के ग्रामीण चिन्यालीसौड़–सुनारगांव मोटर पुल को लेकर आन्दोलित हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर पुल को बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

वर्तमान में वारादू पुल से आवागमन उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति

*6–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति क्या है?

क्या वित्तीय स्थिति पर श्वेत–पत्र जारी किया जायेगा?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाईयाँ हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति का विवरण वर्ष 2009–10 के वार्षिक आय–व्ययक के खण्ड–2 में दिया गया है जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

नोट– तारांकित प्रश्न संख्या–03 के अंतर्गत प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

वित्तीय स्थिति उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रान्सफॉर्मरों का निर्धारित अवधि में बदलाव

*7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रान्सफॉर्मर बदले जाने की क्या व्यवस्था है?

क्या निर्धारित समय अवधि में ट्रान्सफॉर्मर बदल दिये जाते हैं?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद हरिद्वार में बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से जले/क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर बदले जाने हेतु अनुबन्ध किया गया है।

सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर निर्धारित अवधि में बदल दिये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति

*8–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या कोई स्थानान्तरण हेतु नीति निर्धारित है?

यदि हाँ, तो क्या विगत 5 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पृथक से कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं है।

उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली से दो कार्मिकों का स्थानान्तरण दिनांक 29.09.2009 को ऑफिसर्स ट्रॉजिट हॉस्टल, रेसकोर्स एवं एम.एल.ए. ट्रॉजिट हॉस्टल, देहरादून हेतु किया गया है।

उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों, मा. मंत्रिगणों एवं उच्चाधिकारियों के प्रवास के दौरान उनके स्वागत, सत्कार, आवासीय तथा भोजन व्यवस्थाओं हेतु कुशल एवं अनुभवी कार्मिकों की तैनाती अपरिहार्य होने, विभाग में कार्मिकों की कमी होने जैसे व्यवहारिक कारणों से नई दिल्ली में पूर्व से तैनात कार्मिकों का स्थानान्तरण किसी नियम समयावधि के अन्दर किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

*9—श्री शेर सिंह—

स्थगित

राज्य आन्दोलनकारियों पर सी0बी0आई0 तथा जिला पुलिस व तहसील प्रशासन द्वारा दर्ज मुकद्दमें एवं मुआवजे की राशि

*10—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य आन्दोलन के दौरान कितने आन्दोलनकारियों पर सी0बी0आई0 के मुकदमें हुए थे तथा उन्हें कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में पृथक–पृथक दी गयी?

क्या सी0बी0आई के अतिरिक्त आन्दोलनकारियों पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन द्वारा भी मुकदमें दर्ज किये गये थे?

क्या ऐसे आन्दोलनकारियों को भी सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में धनराशि दी गयी है?

यदि हाँ, तो उनके नाम और पते क्या है ?

यदि नहीं तो क्या सरकार इन आन्दोलनकारियों को भी मुआवजा मुहैया करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

राज्य आन्दोलन के दौरान सम्प्रति उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सी0बी0आई0 द्वारा कुल 33 आन्दोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे।

शासनादेश दिनांक 26.02.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार 20 आन्दोलनकारियों, जो जेल गये और जिनके विरूद्ध वर्ष, 2004 तक मुकदमें प्रचलित रहे हो रू0–1,00000/– की दर से कुल रू0–20,00000/–एवं 11 आन्दोलनकारियों,

जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और जेल भी गये, लेकिन विवेचना के दौरान उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया अथवा उनके विरुद्ध न्यायालयों में आरोप पत्र नहीं भेजे गये को रू0–50,000/– की दर से कुल रू0–5,50,000/– की धनराशि दी गयी है।

जी हाँ।

जी हाँ। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुपालन में।

† संलग्नक–1 के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों में छठे वेतन आयोग की सिफारिश 01 जनवरी, 2006 से लागू किया जाना

*11–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वार पोषित राज्य के विश्वविद्यालयों के लिये सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिश 01 जनवरी, 2006 से लागू करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य पोषित विश्वविद्यालय यथा – कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, हे0न0ब0गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय श्रीनगर, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों तथा सभी राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें दिनांक 01, जनवरी 2006 से लागू कर दी है। संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिये जाने हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रस्ताव की परीक्षण करने के उपरांत संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† विवरण देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 126 से 146 पर

जनपद बागेश्वर के कपकोट में लघु विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली उत्पादन

*12–श्री शेर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कुल कितनी लघु विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में कितनी परियोजनायें खराब हैं तथा उनके खराब होने के कारण क्या हैं?

सरकार कब तक इन योजनाओं का पुनर्निर्माण कर बिजली उत्पादन प्रारम्भ करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में 17 लघु जल विद्युत परियोजनायें उत्पादनरत् हैं तथा इससे कुल 120 ग्रामों/तोकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

मात्र 01 परियोजना लाथी (100 कि0वा0) भूस्खलन, अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त है।

इस परियोजना को शीघ्र पुनर्निर्माण कर बिजली उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खनन पट्टा जारी किये जाने का आधार

*13–श्री शेर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खनन पट्टा जारी करने के लिए किस वर्ष में जारी बन्दोबस्त को व्यवहारिक मान कर खनन पट्टा जारी किए जाता है?

क्या खनन की दृष्टि से सन् 1962 के बन्दोबस्त को लागू किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व व खनिकर्म विभाग व आख्या को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की स्थिति के आधार पर खनन पट्टा जारी किया जाता है।

बन्दोबस्त से इसका सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर/गदरपुर अंतर्गत सड़कों का नवीनीकरण

*14–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि कार्या0 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग देहरादून के, पत्रांक 373/14बा0ता0(क)/2009, दिनांक 22.04.2009 द्वारा वर्ष 2009 व 2010, हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर/गदरपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों को नवीनीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था।

क्या हाँ, तो किन कारणों से उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को कार्या0मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक 2341/57 बजट(मार्ग–सेतु–अनु0)– आयोजनागत/09–10 द्वारा निरस्त किया गया है?

क्या यह सत्य है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की नवीनीकरण हेतु उल्लिखित सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

उल्लिखित सड़कें नवीनीकरण हेतु नियत हैं।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में भारत से नेपाल हेतु एच0टी0 पारेषण लाइन का राज0 इंटर कालेज झूलाघाट से स्थानांतरण

*15–श्री मयूख सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में भारत से नेपाल हेतु एच0टी0 पारेषण लाईन रा0इ0का0 झूलाघाट से क्रीडा स्थल के ऊपर से गुजरती है?

क्या यह सत्य है कि उक्त लाईन क्रीडा स्थल की सतह से मात्र 8–10 फीट

ऊपर झूल रही है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है?

यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में स्टाफ एवं दवाईयों का मानक तथा नेपाल से आने वाले रोगियों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

*16–श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में कितनी जनसंख्या को मानक मानकर स्टाफ तथा दवाईयों की व्यवस्था की गयी है?

क्या उक्त मानक में नेपाल से आने वाले रोगियों को भी शामिल किया गया है?

यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितने रोगी नेपाल से चिकित्सा हेतु आते हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल में नेपाली रोगियों की चिकित्सा के कारण स्थानीय रोगियों के लिए संसाधन की कमी होती है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टैण्डर्ड्स (आई0पी0एच0एस0) के मानकानुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या में 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों का प्राविधान है। उपरोक्त मानक के अनुरूप जिला चिकित्सालय (पुरुष एवं महिला) पिथौरागढ़ में कुल 204 शैय्या क्षमता उपलब्ध है और जनपद की जनसंख्या (2001) 4.62 लाख है। स्टाफ एवं दवाईयों की व्यवस्था उपरोक्तानुसार की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

अभिलेखानुसार वर्ष 2009 में अन्तः रोगी के रूप में जिला पुरूष चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में 180 मरीजों तथा जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में 60 मरीजों का पता नेपाल अंकित है, जबकि वाह्य रोगी पंजिका में रोगियों का पता अंकित करने की व्यवस्था न होने के कारण नेपाल के रोगियों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा चिकित्सकों से दुर्व्यवहार एवं नर्सिंगहोम में तोड़-फोड़ रोकने हेतु कानून व्यवस्था

*17-डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा निजी चिकित्सकों से दुर्व्यवहार एवं नर्सिंगहोम पर तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिये क्या सरकार कानून बनाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है, अतः पृथक से कानून बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्तमान स्थिति

*18-श्री प्रीतम सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है ?

यदि हाँ, तो वर्तमान में इस योजना की क्या स्थिति है ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

जी हाँ।

वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा चलाई जा रही थी। इसके साथ

ही उक्त योजना को चमोली, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं उत्तरकाशी जनपदों को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना के नवीनीकरण हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन को घाटे से उबारने हेतु किये गये प्रयास

*19—श्री प्रीतम सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन कब अस्तित्व में आया ?

क्या यह सत्य है कि कॉरपोरेशन घाटे में चल रहा है ?

यदि हाँ, तो कॉरपोरेशन को घाटे से उबारने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.11.2001 के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० का कार्य दिनांक 09.11.2001 से माना गया है। यद्यपि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत निगम, दिनांक 12.02.2001 को अस्तित्व में आया।

जी हाँ।

कॉरपोरेशन को घाटे से उबारने के लिये निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:—

1—गैर सरकारी उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित विद्युत देयकों की वसूली हेतु जिला अधिकारी के माध्यम से नोटिस निर्गत कर वसूली करायी जा रही है।

2—कतिपय सरकारी विभागों के विरूद्ध लम्बित विद्युत देयकों की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

3—विद्युत चोरी को रोकने हेतु निगम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।

4—विद्युत हानियों (लाईन लॉसेस) को कम किये जाने हेतु भारत सरकार के सहयोग से आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना राज्य के 31 शहरों में संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

5—सभी उपभोक्ताओं के संयोजन की शतप्रतिशत मीटरिंग, बिलिंग के प्रयास तथा मैकेनिकल मीटर के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

6–ऊर्जा निगमों के गठन से पूर्व के पेंशन दायित्वों को राज्य सरकार वहन कर रही है।

7–25 कि०वा० भार से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं की ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*29–श्री गणेश जोशी–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त)

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में राजकीय पॉलीटैक्निक की स्थापना

1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में इन्जीनियरिंग कालेज की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2006 को धारचूला (पिथौरागढ़) में की गयी थी ?

यदि हॉ, तो इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हॉ।

राज्य में पूर्व से स्थापित इंजीनियरिंग संस्थाओं तथा राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तत्कालीन मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नगत घोषणा पर पुनर्विचार करते हुए घोषणा निरस्त कर दी गयी थी। तथापि इस क्षेत्र के युवकों/छात्रों में तकनीकी शिक्षा के विकास के दृष्टिगत जनपद पिथौरागढ़ में गणाई गंगोली, कनालीछीना तथा डीडीहाट में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना की गयी है, जिनमें शैक्षिक कार्य प्रारम्भ हो चुका है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के पनार–गंगोलीहाट मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण में सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

2–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के तहसील गंगोलीहाट में शा०सं० 2980/111(1)/04–529(पी०डब्लू०डी०)/

101 टी0सी0-2, दिनांक 31.12.2004 के द्वारा पनार-गंगोलीहाट मोटर मार्ग का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत था?

क्या सरकार द्वारा कार्य सम्पादन में ठेकेदार एवं विभाग के विरूद्ध उत्पन्न विवाद के निपटारे हेतु माननीय सोल आर्बीट्रेटर के समक्ष सम्बन्धित अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभागीय पक्ष न रखने के कारण ठेकेदार को ब्याज सहित रू0 36,22,878.00 का भुगतान किया गया?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

जी हाँ।

मा0 सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष विभागीय पक्ष को विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) जिला पिथौरागढ़ के माध्यम से तत्परता पूर्वक रखा गया। मा0 सोल आर्बिट्रेटर के निर्णयानुसार सम्बन्धित ठेकेदार को ब्याज सहित रू0 36,22,878.00 का भुगतान किया गया।

मुख्य अभियन्ता (कु0क्षे0) अल्मोड़ा द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है। जांचोपरान्त गुणावगुण के आधार पर सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के हरगोविन्द पन्त चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय में निश्चेतक के पद पर नियुक्ति

3-श्री मनोज तिवारी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार अल्मोड़ा स्थित हरगोविन्द पन्त जिला चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा में निश्चेतक पद पर नियुक्ति करने जा रही है? यदि हाँ तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर निश्चेतक की नियुक्ति की जानी सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत कोटद्वार में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण

4–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक ट्रॉमा सेन्टर निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

माह दिसम्बर, 2009 से।

प्रश्न ही नहीं।

देहरादून स्थित ऑफिसर्स कालोनी रेसकोर्स के टाईप–ई0 के जीर्ण–शीर्ण 24 आवासों का पुनर्निर्माण

5– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ऑफिसर्स कालोनी रेसकोर्स स्थित टाईप–ई के 24 आवास अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त आवासों को उपरोक्त कालोनी में स्थित टाईप–एफ के 20 आवासों की भाँति पुनर्निर्माण कराये जाने की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी नहीं।

भवनों के रख–रखाव में अधिक खर्च को देखते हुए उक्त भवनों को डिस्मेन्टल कर नवीन भवनों का निर्माण किये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन रू0 83.00 लाख का प्राप्त हुआ है, जिसका शासन स्तर पर परीक्षण गतिमान है

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों पर स्थायी तैनाती

6– श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के किन–किन खण्डों में अधिशासी अभियन्ताओं के पद कब–कब से रिक्त चले आ रहे हैं

और इन पदों पर कब तक स्थायी तैनाती की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 71 सिविल खण्डों के सापेक्ष 35 खण्डों में नियमित अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं तथा 36 खण्डों में कार्यवाहक/प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं। इसी प्रकार विद्युत/यांत्रिक के कुल 4 खण्डों के सापेक्ष 4 अधिशासी अभियन्ता कार्यवाहक/प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

सेवा शर्तों की अर्हता पूर्ण करने पर।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत/कार्यरत और रिक्त पद्दे मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति

7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत/कार्यरत और रिक्त हैं तथा ये रिक्तियाँ कब–कब से चली आ रही हैं?

और इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
1–	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	01	–	01	दि0 01.05.08 से
2–	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	02	01	01	दि0 01.02.08 से

1	2	3	4	5	6
3–	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12	07	05	01 पद 30.09.08 से, 03 पद दि0 08.08.08 से एवं 01 पद 31.10.09 से
4–	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	02	—	02	दि0 08.08.08 से
5–	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	71	44	27	दि0 08.08.08 से
6–	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	05	01	04	दि0 08.08.08 से
7–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	297	192	105	दि0 08.08.08 से
8–	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	26	11	15	दि0 08.08.08 से
9–	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	792	736	56	दि0 08.08.08 से
10–	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0)	98	47	51	दि0 08.08.08 से
11–	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	81	48	33	दि0 08.08.08 से

उपरोक्त रिक्त पदों में से सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यांत्रिक) तथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यांत्रिक,(प्राविधिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन दिनांक 08.05.2009 एवं संशोधित अधियाचन दिनांक 24.11.2009 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से नियमित चयन के उपरान्त तद्नुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा पदोन्नति के रिक्त पदों पर सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित चयन की कार्यवाही प्रचलित है। मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के 01 रिक्त पद पर, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के 01 रिक्त पद, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 05 रिक्त पदों पर, अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) के 01 रिक्त पद पर, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के रिक्त 27 रिक्त पदों पर, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) के 04 रिक्त पदों पर, सहायक अभियन्ता (सिविल) के 105 रिक्त पदों पर तथा सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) के रिक्त 15 पदों के सापेक्ष प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत अभियन्ता कार्यरत हैं।

जनपदा पौड़ी के दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सालयों के संचालन हेतु स्टाफ की स्थिति

8– श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में समीपस्थ चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों के द्वारा संचालित किये जा रहे, चिकित्सालयों की पैदल अथवा मोटर मार्ग से दूरी क्या है?

क्या पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं यातायात की कठिनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुये, किसी एक चिकित्सक अथवा फार्मासिस्ट के द्वारा दो चिकित्सालयों का संचालन किये जाने का औचित्य क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

विधान सभा के द्वितीय सत्र–2009 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धीरोंखाल के अन्तर्गत वर्तमान में प्रा0स्वा0केन्द्र नौगांवखाल तथा गवाणी में नियमित फार्मासिस्ट तैनात है, पोखड़ा एव थापला में नियमित चिकित्साधिकारी तथा नियमित फार्मासिस्ट तैनात है, कोटमहादेव एवं देदीखाल में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी तैनात है। ललितपुर में नियमित चिकित्साधिकारी कार्यरत है तथा फार्मासिस्ट उपकेन्द्र डोण्ड से सम्बद्ध है। पूर्व में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गवाणी में उपकेन्द्र संगलिया से फार्मासिस्ट सम्बद्ध किया गया था, जिसकी दूरी 150 कि0मी0 है। वर्तमान में गवाणी में नियमित फार्मासिस्ट तैनात कर दिया गया है।

किसी एक चिकित्सक अथवा फार्मासिस्ट के द्वारा दो चिकित्सालयों के संचालन की व्यवस्था मात्र आपात स्थिति में, चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों के अभाव में की जाती है।

जनपद पौड़ी के भवन एवं भूमि विहीन 21 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना एवं इस हेतु अर्जित भूमि

9– श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–21 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत भवन एवं भूमि विहीन 21 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना कब–कब की गयी है तथा तब से अब तक इन चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने/कराने की दिशा में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण क्या है तथा कब तक इन चिकित्सालयों के लिए भूमि अर्जित की जावेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में भवन एवं भूमि विहिन 21 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का विवरण निम्नवत् है:

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम	स्थापना वर्ष
1	पोखड़ा	1948
2	हरपाली सैंण	1974
3	जामणाखाल	1975
4	दोन्दल	1975
5	नौड़ी	1977
6	कालिकाधार	1977
7	देवीखेत	1977
8	जामलाखाल	1979
9	शंकरपुर	1979
10	टकोलीखाल	1980
11	खण्डाह	1983
12	बुलेखाखाल	1985
13	अमोला	1987
14	पीपलचौड़	2000
15	भौन	2000
16	चौखाल	2000
17	किनगोड़ीखाल	2000
18	धराकोट	2000
19	सैंनपुर	2000
20	रैंस	2000
21	कुणजौली	2000

उपरोक्त चिकित्सालयों में से क्रमांक संख्या–5,7 एवं 9 पर अंकित क्रमशः नौड़ी,देवीखेत एवं शंकरपुर में उपलब्ध भूमि को विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सालयों की भूमि उपलब्धता हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया जा रहा है।

प्रदेश में भारत संचार निगम लि0 द्वारा स्थापित मोबाइल टावरों के संचालन हेतु विद्युत संयोजनों की जनपदवार स्थिति

10– श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत संयोजन न दिए जाने के कारण भारत संचार निगम लि0 द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थापित मोबाइल टावरों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है?

यदि हाँ, तो मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मोबाइल टावर प्रदेश में किन–किन विकास खण्डों के किन–किन स्थानों पर कब–कब स्थापित किए गए हैं और विद्युत संयोजन लेने हेतु भारत संचार निगम लि0 द्वारा कब–कब आवेदन किया गया है तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित मोबाइल टावरों के संचालन हेतु विद्युत संयोजन कब–कब दिए गए हैं और अवशेष मोबाइल टावरों के संचालन हेतु विद्युत संयोजन कब तक दे दिए जायेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं, परन्तु कतिपय स्थानों पर भारत संचार निगम लि0 के मोबाइल टावरों को विद्युत संयोजन नहीं दिये जा सके हैं।

मोबाइल टावरों को विद्युत संयोजन दिये जाने की जनपदवार स्थिति संलग्न है। †

जनपद पौड़ी के बैजरों में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्डों में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

11– श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बैजरों में स्थित लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड में अधिकारियों/कर्मचारियों के कौन–कौन तथा कितने पद स्वीकृत हैं, और इन स्वीकृत पदों के विपरीत किस–किस पद पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कौन–कौन से पद कब–कब से रिक्त चले आ रहे हैं, और इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बैजरों स्थित लो0नि0वि0 के निर्माण खण्ड में अधिकारी और कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	अधिशासी अभियन्ता	01	01	–	–
2.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	04	03	01	दि0 12–11–08 से
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	12	06	06	03 पद वर्ष, 2008 से क्रमशः दि0 22–01–08, 30–09–08 एवं 17–11–08 से तथा 3 पद 2009 में दि0 13–07–09, 31–10–09 24–11–09 से रिक्त

† विवरण पीठिका नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 147– 160 पर

1	2	3	4	5	6
4	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	01	–	01	18-01-05 से
5	मानचित्रकार	01	01	–	–
6	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II	01	01	–	–
7	आशुलिपिक ग्रेड-II	01	–	01	30-01-08 से
8	मुख्य सहायक	04	03	01	01-01-08 से
9	प्रवर सहायक	05	03	02	24-10-08 एवं 08-07-09 से
10	कनिष्ठ सहायक	04	04	–	–
11	दफ्तरी	01	–	01	दि0 18-11-08 से
12	अनुसेवक	03	03	–	–
13	चौकीदार	01	–	01	28-02-09 से

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उपरोक्त रिक्त पदों में से सहायक अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन दिनांक 08.05.2009 एवं संशोधित अधियाचन दिनांक 24.11.2009 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.12.09 द्वारा तैनाती की जा चुकी है तथा कार्यरत 03 सहायक अभियन्ता (सिविल) में से 02 सहायक अभियन्ता प्राविधिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं। लोक सेवा आयोग से नियमित चयन के उपरान्त तदनुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्माण खण्ड बैजरों में अन्य रिक्त पदों पर पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध होने पर तैनाती की जायेगी।

जनपद पौढ़ी के रीठाखाल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवनों का निर्माण

12–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के स्थान रीठाखाल में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि कब और किस शासनादेश के द्वारा स्वीकृत की गयी है?

भवनों के निर्माण हेतु निविदाएँ कब आमंत्रित की गयी हैं और अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भवनों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाना था?

अब तक भवनों के निर्माण की प्रगति क्या है तथा

कब तक स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे और

विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बीरोखाल के भवनों के निर्माण हेतु रू0 50.98 लाख लागत के प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 40.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या 801/XXVIII-5-2007-138/2007 दिनांक 10.01.08 के द्वारा स्वीकृत की गयी है।

भवनों के निर्माण हेतु निविदायें दिनांक 07.06.08 में आमन्त्रित की गयी और अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 02.07.08 से आरम्भ किया जाना था।

अब तक पहुंच मार्ग एवं स्थल विकास का कार्य किया गया है।

यथाशीघ्र।

निर्माण स्थल परिवर्तन के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है, जिसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

जनपद पौढ़ी के बीरोखाल अन्तर्गत मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं अवशेष मार्गों का विवरण

13–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विगत ढाई वर्षों में किन–किन मोटर मार्गों का कितने–कितने कि0मी0 डामरीकरण किया गया है और डामरीकरण के लिए अवशेष मोटर मार्गों का विवरण क्या है तथा कब तक इन अवशेष मोटर मार्गों का डामरीकरण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

विवरण संलग्न है। †

जनपद अल्मोड़ा के जालली में महाविद्यालय की स्थापना

14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा 19.08.2006

† (विवरण देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 181–182 पर)

को देघाट जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस पर जालली में महाविद्यालय खोलने की घोषणा सं0 30/2008 की गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जालली में यथाशीघ्र महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जालली के 30 कि0मी0 की परिधि में 04 (राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत, द्वाराहाट तथा राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया एवं भिकियासैंण) महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। महाविद्यालयों की संख्या तथा छात्र संख्या की दृष्टि से इतने कम क्षेत्र में एक और महाविद्यालय की स्थापना का मानकानुसार कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जनपद अल्मोड़ा के बल्मरा–गैरखेत–सराईखेत सड़क का निर्माण कार्य

15–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में बल्मरा–गैरखेत सड़क के निर्माण का कार्य काफी समय हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हो सका है?

क्या मंत्री जी कार्य विलम्ब के कारणों को दूर करते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर उपरोक्त सड़क का निर्माण करायेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

गैरखेत–बल्मरा–बसई–सराईखेत मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 44.00 किमी0 है। जिसके अन्तर्गत 1.00 किमी0 भाग में कार्य पूर्ण है तथा गैरखेत–बल्मरा तथा बल्मरा–बसई–सराईखेत नाम से दो मोटर मार्ग क्रमशः 16 किमी0 एवं 19 किमी0 अर्थात कुल 35 किमी0 लम्बाई के स्वीकृत हैं।

स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष प्रगति पर है।

स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष पहाड़ कटान का कार्य माह मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण में राज0 महाविद्यालय के भवन का निर्माण

16—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण की जनता द्वारा राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण के भवन हेतु निःशुल्क भूमि दी थी और उसका आगणन भी शासन में पहुँच चुका है?

क्या सत्य है कि काफी समय बीत जाने के पश्चात् भी भवन निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल'निशंक'—

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण के प्रस्तावित भवन निर्माण के आगणन पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल के अन्तर्गत चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट रहित एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नियुक्ति/तैनाती

17— श्रीमति अमृता रावत

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से एलोपैथिक एव आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिसमें चिकित्सकों की तैनाती नहीं है इसके अतिरिक्त ऐसे कौन–कौन से चिकित्सालय है जिनमें फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों की तैनाती करने/कराने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही के परिणाम क्या है तथा कब तक इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टो की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल'निशंक'—

(क) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्नलिखित एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सक तैनात नहीं है:—

1 महिला चिकित्सालय, पोखड़ा

2 रा0ए0चिकित्सालय, गवाणी

3 रा0ए0चिकित्सालय, देवराजखाल

4 रा0ए0चिकित्सालय, मंगलाकोटि

5 रा0ए0चिकित्सालय, कोलाखाल

6 रा0ए0चिकित्सालय, धनियालखाल

(ख) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत निम्नलिखित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक तैनात नहीं है:-

1 रा0आयु0 चिकित्सालय पोखड़ा

2 रा0आयु0 चिकित्सालय कुणजखाल

3 रा0आयु0 चिकि0 तुनाखाल

4 रा0आयु0 चिकि0श्रीकोटखाल

5 रा0आयु0 चिकि0 ढौंड

6 रा0आयु0 चिकि0 जसपुरखाल

स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों द्वारा उपरोक्त 06 चिकित्सालयों में चिकित्सकीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत निम्नलिखित एलोपैथिक चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट तैनात नहीं है:-

1 महिला चिकित्सालय, पोखड़ा

2 अति0प्रा0स्वा0के0, बैजरों

3 रा0ए0चिकि0, कोटामहादेव

4 रा0ए0चिकि0, बेदीखाल

5 रा0ए0चिकि0, फरसाड़ी

(क) लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा 875 चिकित्सकों/विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने अथवा महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक मंगलवार को चिकित्सकों का वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से हो रही संविदा पर तैनाती के द्वारा इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना सम्भव हो पायेगा।

एलोपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर तैनाती प्रक्रिया यथाशीघ्र की जायेगी।

(ख) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कुल 10 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित है, जिसमें 04 चिकित्सक एवं 08 फार्मासिस्ट तैनात है। क्योंकि 02 चिकित्सालय ढौंड एवं जसपुरखाल में फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत नहीं है। चिकित्सकों की कमी के कारण चिकित्साधिकारियों की तैनाती नहीं की जा सकी है आयुर्वेद

विभाग में चिकित्सकों के 96 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। तदनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति होने के उपरान्त उक्त चिकित्सालयों में तैनाती की जायेगी।

वर्तमान शासन काल में जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों तथा पुलों की स्वीकृति का विवरण

18--श्रीमती अमृता रावत--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान शासन काल के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में किन-किन मोटर मार्गों/पुलों के निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन स्वीकृतियों में मोटर मार्ग/पुल के नाम, स्वीकृत वर्ष तथा स्वीकृत धनराशि तथा विधान सभा क्षेत्र का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

† संलग्न विवरणानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पाये गये मार्ग निर्माणों में त्रुटियों/आपत्तियों वाले मोटर मार्गों का निस्तारण

19--श्रीमती अमृता रावत--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे नव निर्मित अथवा विस्तारित मोटर मार्गों का विवरण क्या है, जिनके संयुक्त निरीक्षण में इन मोटर मार्गों को बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है और सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा मार्ग निर्माण में त्रुटियां/आपत्तियाँ बताई गई हैं?

तथा इन त्रुटियों/आपत्तियों का निस्तारण कब तक किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

विवरण संलग्न है। †

(क) नवनिर्मित 14 मोटर मार्गों में से 08 मार्गों पर त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष 6 मार्गों को 03/2010 तक यातायात योग्य सुधार कर दिया जायेगा।

---

*(विवरण देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ संख्या--183--186 पर)

*(विवरण देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ संख्या 187--188 पर)

(ख) विस्तारित मोटर मार्गों में से माह 3/2010 में 03 व 03/2011 में 01 विस्तारित मोटर मार्गों पर यातायात सुलभ हो जायेगा।

जनपद पौड़ी के सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग के स्थान खाण्डासैंण में नयार नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त झूलापुल एवं सम्पर्क मार्गों की मरम्मत

20–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग के स्थान खाण्डासैंण में नयार नदी पर स्थित झूलापुल तथा उसके सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं?

यदि हाँ, तो उक्त झूलापुल तथा सम्पर्क मार्गों की मरम्मत हेतु अब तक की गई कार्यवाही की विवरण क्या है?

तथा कब तक झूलापुल एवं उक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत की जायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

यथाशीघ्र।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित लकड़ी पड़ाव में वोल्टेज विद्युत समस्या का स्थायी समाधान

21–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत कोटद्वार स्थित लकड़ी पड़ाव में वोल्टेज विद्युत समस्या के स्थायी समाधान हेतु क्षेत्र में स्थापित परिवर्तक की क्षमता वृद्धि किए जाने की कार्यवाही की जानकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल) के पत्रांक 2046/वि0वि0ख0कोट/सी–2 (वी0आई0पी0) दिनांक 02–07–2009 के द्वारा दी गई है?

यदि हाँ, तो वोल्टेज विद्युत समस्या के स्थायी समाधान हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक इस समस्या का स्थायी निवारण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

लकड़ी पड़ाव में लो–वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान हेतु इस क्षेत्र में स्थापित 25 के0वी0ए0 के सब–स्टेशन की क्षमता वृद्धि दिनांक 05–09–2009 को 100 के0वी0ए0 की दी गई है।

जनपद पौड़ी के वेदीखाल स्थित डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राज0 महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती

22–श्रीमती अमृता रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने के संबंध में सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र संख्या–482/2008(2) दिनांक 02–10–2008 के द्वारा प्रश्नकर्ता के दिनांक 17–01–2008 के पत्र को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई है?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल में कला संकाय के पठन–पाठन हेतु कुल सृजित 07 पदों के सापेक्ष 02 प्रवक्ता नियमित तथा लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 03 प्रवक्ता संविदा पर कार्यरत हैं, शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति विचाराधीन है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत वन अधिनियम के कारण रूके हुए मोटर मार्गों के निर्माण तथा वन भूमि हस्तांतरण का मार्गवार विवरण

23 श्रीमती अमृता रावत

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन स्वीकृत मोटर मार्ग है जिसका निर्माण वन अधिनियम के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है अथवा निर्माण कार्य रूका हुआ है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन मोटर मार्गों की स्वीकृतियाँ किन–किन शासनादेशों के द्वारा कितने–कितने किमी0 के लिए जारी की गई हैं,

तथा वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव कब–कब प्रस्तुत किया गया है और वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का मार्गवार विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

विवरण संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

---

*(विवरण देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या–183–189 पर)

प्रदेश में वर्ष, 2009 में पुलिस से हटाकर सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंपी गयी विवेचना एवं गम्भीर अपराधों की संरचना

24—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष, 2009 में कुल कितने अपराधों की विवेचना पुलिस से हटाकर सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंपी गई तथा इसमें कितने अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जी हाँ। वर्ष, 2009 में कुल 27 अभियोगों की विवेचना जनपद पुलिस से सी0बी0सी0आई0डी0 को हस्तान्तरित की गयी है तथा इनमें 10 अभियोग गम्भीर प्रकृति के हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में शिशुओं की जन्म/मृत्यु दर वर्षवार ब्यौरा

25—श्री यशपाल बेनाम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 09 नवम्बर, 2000 से राज्य में अब तक बच्चों की जन्म–मृत्यु दर क्या रही है ?

क्या सरकार इनका वर्षवार ब्यौरा देने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

9 नवम्बर, 2000 से उत्तराखण्ड राज्य में शिशु जन्म–मृत्यु दर 19.32–44.75 रही है।

शिशु जन्म–मृत्यु दर का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् है :–

वर्ष	जन्म दर/प्रति हजार	शिशु मृत्यु दर/प्रति हजार
2000	20.2	50
2001	18.6	48
2002	17.00	44
2003	17.2	41
2004	20.5	42
2005	20.9	42
2006	21.00	43
2007	20.4	48
2008	20.1	44

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रूद्रप्रयाग के सुमाड़ी–भरदार में 33 के0वी0 विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण

26–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि जनपद रूद्रप्रयाग के स्थान सुमाड़ी–भरदार में 33 के0वी0 विद्युत सब–स्टेशन निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को किया गया?

यदि हाँ, तो अब तक स्थान सुमाड़ी–भरदार, में विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण में हुई कार्यप्रगति का विवरण क्या है?

तथा कब तक योजना का निर्माण पूर्ण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

वर्ष, 2011 तक कार्य पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद पौड़ी के डांडानागराजा–विण्डवाड़ा नवनिर्मित मार्ग का संयुक्त निरीक्षण

27–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डांडानागराजा–विण्डवाड़ा नवनिर्मित मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित 08 बिन्दुओं की सूचना सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 1892/स0प0अ0/पौ–41/07 दिनांक 30–11–2007 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के पौड़ी स्थित प्रान्तीय खण्ड से मांगी गई है?

यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा 08 बिन्दुओं पर सूचना कब उपलब्ध करवाई गई है, तथा उक्त नव–निर्मित मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कब किया गया है?

क्या उक्त मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध पाया गया है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

इस नवनिर्मित मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04–06–08 को कर लिया गया है।

जी नहीं।

जनपद पौढ़ी के व्यास घाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आए पत्थर मलवा आदि को हटाने हेतु की गयी कार्यवाही

28–श्रीमती अमृता रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के उमरासू–बिष्ढवाड़ा मोटर निर्माण का मलवा पत्थर आदि व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आ जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 3323/24–एफ0सी0 (2006–07) दिनांक 03 जुलाई, 2007 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के श्रीनगर स्थित निर्माण खण्ड को निर्देशित किया गया है?

यदि हाँ, तो जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

तथा उमरासू–बिष्ढवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण से आने वाले मलवे की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

तथा वर्तमान में स्थिति क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

मार्ग पर आये मलबे को जे0सी0बी0 द्वारा साफ करा दिया गया है।

मलबे की रोकथाम हेतु ब्रेस्टवाल का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग हल्के वाहनों हेतु खुला है तथा उमरासू–बिष्ढवाड़ मोटर मार्ग निर्माणाधीन है।

जनपद पौढ़ी के राज0 एलोपैथिक चिकित्सालय बहेड़ाखाल का उच्चीकरण

29–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेड़ाखाल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख दिनांक 14 सितम्बर, 2007 का पत्रांक बहेड़ाखाल/4–स्वास्थ्य /2007–08 मुख्य चिकित्साधिकारी पौढ़ी गढ़वाल को कब प्राप्त हुआ है तथा पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गयी कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को प्राप्त हुआ।

चिकित्सालय के उच्चीकरण हेतु परीक्षण किया गया। मानक पूर्ण न होने के कारण उच्चीकरण सम्भव नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल डांडानागराजा मन्दिर तथा गौरजा देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण

30—श्रीमती अमृता रावत—

क्या तीर्थाटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के डांडानागराज मन्दिर और ग्राम रिगूड़ में गौरजा देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2006 से अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है,

और स्वीकृत धनराशि के विपरीत कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अवमुक्त की गई धनराशि के उपयोग की सूचना कब प्राप्त हुई है?

और स्वीकृत/अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त की जायेगी?

पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)

पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के डांडानागराज मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 17.00 लाख तथा ग्राम रिगूड़ में गौरजा देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 5.10 लाख की धनराशि की स्वीकृति दी गयी है।

डांडानागराज मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 8.00 लाख तथा गौरजा देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

अवमुक्त की गई धनराशि के उपयोग की सूचना वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राप्त हुई है।

यथाशीघ्र।

जनपद पौड़ी स्थित जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों/फार्मासिस्टों/नर्सों एवं अन्य कर्मियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

31—श्रीमती अमृता रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में स्थित जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों/फार्मासिस्टों/नर्सों एवं अन्य कर्मियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी तथा इन रिक्त पदों के कारण प्रभावित चिकित्सा सेवाओं के प्रति कौन उत्तरदायी है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल मुख्यालय पौढ़ी में स्थित जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों/फार्मासिस्टों/नर्सों एवं अन्य कर्मियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:–

जिला चिकित्सालय:–

क्र0 सं0	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी	13	06	07
2.	चिकित्साधिकारी साधारण ग्रेड	04	02	02
3.	फार्मासिस्ट	09	08	01
4.	उपचारिका	20	15	05
5.	अन्य कार्मिक समूह 'ग' एवं 'घ'	79	54	25

जिला महिला चिकित्सालय:–

क्र0 सं0	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी	03	–	03
2.	चिकित्साधिकारी साधारण ग्रेड	05	04	01
3.	फार्मासिस्ट	02	02	–
4.	उपचारिका	10	10	–
5.	अन्य कार्मिक समूह 'ग' एवं 'घ'	27	17	10

रिक्त पदों पर चयन के पश्चात् नियुक्तियाँ की जायेगी।

जनपद पौढ़ी के राज0एलो0 चिकित्सालय बहेड़ाखाल के टाईप प्रथम आवास सम्पर्क मार्ग एवं बाउण्ड्री दीवार निर्माण की प्रगति

32–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेड़ाखाल के टाईप प्रथम आवास सम्पर्क मार्ग एवं बाउन्ड्री दीवार बनाए जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता समाज कल्याण निर्माण निगम पौढ़ी को सम्बोधित मुख्य चिकित्साधिकारी पौढ़ी गढ़वाल के पत्रांक भवन/एस0एच0डी/बहेड़ाखाल/2007–08 दिनांक 24–05–2007 पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है तथा चिकित्सालय में कब तक टाईप प्रथम आवास सम्पर्क मार्ग एवं बाउन्ड्री दीवार का निर्माण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

कार्य का प्राक्कलन वर्ष, 1995 की दरों पर गठित किया गया था जिसकी स्वीकृति वर्ष, 1999 में प्रदान की गयी। स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध मुख्य भवन, चिकित्साधिकारी आवास, श्रेणी–2 का एक आवास एवं श्रेणी–1 के एक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि पूर्णतः व्यय होने के कारण अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

यथाशीघ्र।

33–श्रीमती अमृता रावत–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद पौढ़ी में वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में आपदा प्रबन्धन से स्वीकृत योजना एवं धनराशि का विधान सभावार विवरण

34–श्रीमती अमृता रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में आपदा प्रबन्धन से स्वीकृत योजनाओं एवं उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विधान–सभावार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं की स्वीकृति का आधार क्या है और यह योजनाएं किस–किस की संस्तुति पर स्वीकृत की गई है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 2008–09 व 2009–10 में आपदा प्रबन्धन में स्वीकृत कार्ययोजनाओं एव उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की विधान सभावार सूची संलग्न है। †

---

†(विवरण देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 200–214 पर)

अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमपात, फ्लड स्लाइड आदि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त परिस्थितियों को इस मद से सहायता दिये जाने हेतु आधार माना गया है। क्षति की सूचना/प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से स्थलीय जाँच/सर्वेक्षण करवा कर संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आगणन तैयार करवाकर स्वीकृति हेतु गठित समिति के परीक्षणोपरान्त स्वीकृति योग्य योजना/प्रस्ताव को तदोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड में अनु० जाति/जनजाति के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु आरक्षण नियमावली

35–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि संविधान के 77 वें संशोधन अधिनियम, 1995 की व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने हेतु राज्य सरकार को तद्‌विषयक नियमावली बनाकर कार्यवाही हेतु सक्षम बनाया गया है?

यदि हाँ, तो क्या तद्‌नुसार उत्तराखण्ड राज्य में अनु० जाति/जनजाति के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु आरक्षण नियमावली प्रख्यापित की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू है या नहीं?

क्या सरकार तद्‌विषयक जारी प्राविधानों व शासनादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

संविधान के 77वें संशोधन अधिनियम, 1995 की व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के मामले में आरक्षण दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार को सक्षम बनाया गया है। परन्तु नियमावली बनाने का उल्लेख उक्त संशोधन में नहीं किया गया है। उक्त संशोधन निम्नवत है:–

"(4–क)इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

जी नहीं।

नियमावली बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, उक्त 77वें संशोधन अधिनियम, 1995 से पूर्व से ही पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा इन वर्गों हेतु पदोन्नति में शासनादेश के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जो उत्तराखण्ड राज्य में भी प्रभावी है।

जी हाँ, लागू है।

जी हाँ। जारी शासनादेशों की प्रतियाँ संलग्न† है।

प्रदेश के आपदाग्रस्त गांवो के विस्थापन हेतु योजना

36-श्री शेर सिंह-

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आपदा ग्रस्त गाँवों की संख्या कितनी है?

क्या सरकार आपदा प्रभावित गाँवों के विस्थापन की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कुल कितने गाँव तथा परिवारों का विस्थापना किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

राज्य में आपदा ग्रस्त गाँवों की संख्या लगभग 100 है।

समस्या की गम्भीरता व पुनर्वास आवश्यकता के आंकलन हेतु इन गाँवों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

आपदा प्रभावित गाँवों के विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति के निर्धारण की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। पुनर्वास नीति निर्धारण के उपरान्त सम्यक् कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला/मुनस्यारी अन्तर्गत ग्राम सभाओं के तोकों में विद्युतीकरण

37-श्री गगन सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला/मुनस्यारी के तौक खेतीखान, दुलौगैर, देवलेक, भटमटा दुदीगैर, गाणी धामी बसानी गनकोट, आलम दारमा काफलागैर, गलाती के ग्राम सभा के तोकों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तोकों में विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

---

†(विवरण देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 215-237 पर)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला/मुनस्यारी के आलम, दारमा एवं गलाटी के कतिपय तोक विद्युतीकृत हैं, शेष ग्राम/तोक अविद्युतीकृत हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी विकास अभिकरण (आई0टी0डी0ए0) का गठन एवं आवंटित धनराशि

38– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आई0टी0डी0ए0) का गठन किन वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत हुआ है तथा उसे किस रूप में प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गठन से अब तक कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पी0एम0यू0 ई–गवर्नेन्स का गठन राज्य सरकार के द्वारा सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत किया गया है। यह संस्था राज्य की सूचना प्रौद्योगिक विकास एजेंसी के रूप में भी कार्यरत है। इस संस्था को सूचना प्रौद्योगिक हेतु राज्य की नोडल संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सूचना प्रौद्योगिक विकास अभिकरण को अब तक कुल धनराशि रू0 1,11,29,47,000.00 का आवंटन किया गया है।

वि0स0 क्षेत्र द्वाराहाट अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों को वर्ष 2007–08–09 में केन्द्र सरकार को प्रेषित वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव

39– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों में वर्ष 2007–08–09 में लो0नि0वि0 द्वारा कुल कितनी सड़कों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये तथा कितने प्रकरणों पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

कुल 08 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 06 प्रकरणों पर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 01 प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवो में ए0एन0एम0 सेन्टर का जनपदवार विवरण

40– श्री शेर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने गाँवों में अभी तक ए0एन0एम सेन्टर नहीं है तथा वर्तमान में सरकार के पास कितने नये ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है?

क्या सरकार जनपदवार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ए0एन0एम सेन्टर प्रत्येक गाँव को इकाई मानते हुए खोलने का मानक नहीं है। वर्तमान में 13696 आबाद गाँवों में ए0एन0एम0 सेन्टर नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 145 ए0एन0एम सेन्टर खोले जाने का लक्ष्य है, किन्तु नये ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने की कार्यवाही भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

जी हाँ, विवरण संलग्न है।[†]

जनपद बागेश्वर के कपकोट स्थित प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति

41– श्री शेर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक सभी प्राथमिक केन्द्रों पर डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में बेस हॉस्पिटल के निर्माण का प्रस्ताव

42– श्री शेर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के बेस हॉस्पिटल खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

---

†(विवरण देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 237–238 पर)

यदि हाँ, तो निर्माण की दिशा में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के कपकोट में नये प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव

43– श्री शेर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कितने केन्द्र नये खोले जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ,।

प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या मानक पूर्ण न होने के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला–नारायण आश्रम मोटर मार्ग खोले जाने हेतु कार्यवाही

44– श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विख0 धारचूला के अन्तर्गत बैतुलधार में आये भीषण दैवीय आपदा से धारचूला नारायण आश्रम मोटर मार्ग बन्द पड़ा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग को खोलने हेतु कोई कार्रवाई कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत वर्तमान में तवाघाट–नारायण आश्रम मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा यातायात हेतु खोल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उधमसिंह नगर के बाजपुर में चिन्हीकरण हेतु आन्दोलनकारियों के प्राप्त आवेदन पत्र

45– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर से चिन्हीकरण हेतु कितने आन्दोलनकारियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं?

तथा अब तक कितने आन्दोलनकारियों को सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर तहसील से 27 व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र दिये गये तथा शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इनमें से किसी भी आवेदक को राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।

तहसील बाजपुर से 02 आन्दोलनकारी पूर्व से चिन्हित हैं तथा अब तक सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 3699 आन्दोलनकारियों को चिन्हित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट, उखल्लेख, बिन्ता, नायल मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण

46– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट, उखल्लेख, बिन्ता, नायल मोटर मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार को उक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित आगणन शासन को प्राप्त हुये हैं?

यदि हाँ, तो अभी तक स्वीकृति न मिलने के क्या कारण हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद अल्मोड़ा के गोदी, खीड़ा, बछुआबाण आदि मार्गों का डामरीकरण

47– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोदी, खीड़ा, बछुआबाण, मांसी, नौबाड़ा, दौला मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग विगत बीस वर्षों से जनता कर रही है?

यदि हाँ, तो धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद भी उक्त मार्गों का डामरीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

ए०डी०बी० परियोजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में मोटी, खीड़ा, बकुआबाण, मांसी, नौबाड़ा, दौला मोटर मार्ग डामरीकरण एवं अन्य सुधार कार्य हेतु स्वीकृत है। उक्त कार्य की निविदायें अनुमोदन हेतु ए०डी०बी० को प्रेषित की गयी है। अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्ध गठित होने पर मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला/मुनस्यारी को दैवीय आपदा मद के अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

48– श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धारचूला/मुनस्यारी दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है?

क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को दैवीय आपदा मद के अतिरिक्त धनराशि आवंटन करने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

धारचूला एवं मुनस्यारी दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं।

दैवीय आपदा मद के अतिरिक्त जनजाति उप योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के समग्र विकास की व्यवस्था अन्तर्निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

49–श्री गगन सिंह–

प्रथम शुक्रवार के अता०–39 में स्था०।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला/बरम में दैवीय आपदा से प्रभावितों को अन्यत्र बसाया जाना

50– श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धारचूला/बरम में विगत वर्ष आये दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार टैंट लगाकर खुले मैदान में जीवन यापन कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त परिवारों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वर्ष 2007 में ग्राम बरम में भूस्खलन के कारण प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार अहेतुक/अनुग्रह व गृह निर्माण सहायता वितरित की जा चुकी है। प्रभावित परिवारों में

से ऐसे 03 परिवार, जो टैंटों में निवास कर रहे थे, को जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा अटल आवास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में जनपदवार लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

51– श्री शेर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

इन योजनाओं का स्वरूप क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद बागेश्वर में 03, चमोली में 10, पिथौरागढ़ में 09, टिहरी में 07, उत्तरकाशी में 07, रूद्रप्रयाग में 04 एवं पौड़ी में 01 लघु जल विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं।

उक्त में से 22 परियोजनायें निजी क्षेत्र में, 10 परियोजनायें उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम तथा 09 परियोजनायें उरेडा द्वारा निर्मित की जा रही हैं।

उत्तराखण्ड में नये पुलिस एक्ट के पूर्णतः पालन की सुनिश्चितता

52– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड का नया पुलिस एक्ट पूर्णतः लागू कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कितने जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थानान्तरण 02 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किये गये तथा इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार पुलिस एक्ट का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रदेश में नया पुलिस अधिनियम लागू होने के उपरान्त अब तक कुल 16 जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थानान्तरण 02 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किये गये हैं। इन अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति के फलस्वरूप, रिक्तियों को भरने, अनुकम्पा के आधार पर तथा जनहित में किये गये हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

53– श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में कुल कितने एलोपैथिक चिकित्सालय है तथा इन चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार चिकित्सकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित एलोपैथिक चिकित्सालयों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1	जिला चिकित्सालय	01
2	संयुक्त चिकित्सालय	01
3	महिला चिकित्सालय	01
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	06
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01
6	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	25
7	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय	08

उपरोक्त एलोपैथिक चिकित्सालयों में विशेषज्ञ/सामान्य ग्रेड चिकित्सकों के कुल 153 पद स्वीकृत हैं, तथा 72 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़–घण्डाक मोटा मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉट मिक्स कार्य बन्द होने पर अग्रिम भुगतान

54– श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि पिथौरागढ़–घण्डाक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और हॉट का काम बन्द है?

क्या यह सत्य है कि उसमें बिना कार्य किये ही ठेकेदार को विभाग द्वारा अग्रिम भुगतान किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो भुगतान किये जाने का आधार क्या था?

तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि स्वीकृत होने के उपरान्त।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत तिदांग मार्छा के स्वीकृत झूलापुल का निर्माण

55– श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला के ग्राम पंचायत तिदांग मार्छा में झूलापुल स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य न कराये जाने के क्या कारण है तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

उक्त कार्य के अस्कोट मृग बिहार क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण सर्वेक्षण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत बुगलिंग में पम्पा गैल में दैवीय आपदा की रोकथाम हेतु योजना

56– श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला के ग्राम पंचायत बुगलिंग में पम्पा गैल में प्रति वर्ष दैवीय आपदा और आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सरकार उक्त क्षेत्र में दैवीय आपदा रोकने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दैवीय आपदाओं के प्रबन्धन व न्यूनीकरण के लिये सभी जनपदों में योजनायें संचालित की जा रही हैं। जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड धारचूला के ग्राम पंचायत

बुगलिंग के पम्पा मैल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला मुनस्यारी के अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

57– श्री गगन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला मुनस्यारी के अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा तथा टिहरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना की जाँच आख्या

58– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा तथा टिहरी जनपद में टर्न के तहत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हो रहे विलम्ब विषयक, दिनांक 22 मई, 2007 को प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र में जिन–जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की मांग की गयी थी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जाँच के आदेश दिये गये थे?

यदि हाँ, तो उक्त जाँच आख्या को क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जाँच रिपोर्ट संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

†(विवरण देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ संख्या 228–230 पर)

जनपद हरिद्वार के लक्सर अन्तर्गत सोलानी नदी पर स्थित सेतु निर्माण पर व्यय तथा वसूली गई धनराशि

59– कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर क्षेत्रांतर्गत सोलानी नदी पर सेतु निर्माण सन् 1980 से पूर्व पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी अभी तक कर वसूली जारी रहने से जन सामान्य को बहुत कठिनाई हो रही है?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुल के निर्माण पर कितना धन व्यय किया गया था तथा लगभग तीस वर्ष की वसूली में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि वसूल की जा चुकी है?

क्या सरकार उक्त पुल से की जा रही वसूली प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रश्नगत पुल निर्माण पर रू0 48.83 लाख की धनराशि की व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 1981–82 से वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर तक रू0 288.93 लाख की वसूली की जा चुकी है। जिसका वर्षवार विवरण संलग्न है। †

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पुल पर निर्माण लागत, अनुरक्षण व्यय, व्यवस्थापन व्यय तथा ब्याज की राशि रू0 682.25 के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वसूली तक।

60– श्री केदार सिंह रावत–

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की सूची में छूटे आन्दोलनकारियों को सम्मिलित कर परिचय पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में

61– श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की प्रकाशित सूची में जनपद उत्तरकाशी सहित प्रदेश के अन्य जनपदों के आन्दोलनकारियों का नाम सम्मिलित होने से छूट गये हैं?

---

†(विवरण देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ संख्या 240–241 पर)

यदि हाँ, तो कब तक इन छूटे आन्दोलनकारियों को चिन्हित सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा?

क्या सरकार उक्त आन्दोलनकारियों को परिचय पत्र जारी करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

सम्प्रति राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

शासनादेश के अनुसार चिन्हित आन्दोलनकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य आन्दोलनकारियों सूची में पत्रकारों को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में

62-- श्री केदार सिंह रावत--

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलन में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पत्रकारों को भी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की सूची में सम्मिलित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण से सम्बधित शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले पत्रकारों को भी सूची में सम्मिलित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वर्तमान सरकार कार्यकाल में खुले अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का जनपदवार विवरण

63-- श्री मयूख सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार गठन से अब तक प्रदेश में कुल कितने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये और कहाँ-कहाँ?

क्या मंत्री जी जनपद वार इसका ब्यौरा उपलब्ध करायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वर्तमान सरकार गठन से अब तक प्रदेश में खोले गये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संलग्न है।

जी हाँ, ब्यौरा संलग्न है। *

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के डयौढ़ा से झूलाघाट को मोटर मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव

64– श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डयौढ़ा से झूलाघाट को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग को बनाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल न खोले जाने का कारण

65– श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल खोलने हेतु शासनादेश जारी किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थान पर बेस चिकित्सालय खोल दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में पृथक से बेस चिकित्सालय खोलने का शासनादेश जारी नहीं किया गया था अपितु जिला पुरुष चिकित्सालय तथा जिला

---

* (विवरण देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ संख्या 241 पर)

महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का परस्पर संविलियन करके बेस चिकित्सालय बनाने की स्वीकृति दी गयी थी, जिसका स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण उक्त शासनादेश क्रियान्वित नहीं हो पाया।

उपरोक्तानुसार।

शासन के उक्त निर्णय के विरूद्ध दोनों अस्पतालों का पृथक अस्तित्व बनाये रखने का आग्रह प्राप्त होने के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी के राज0 महाविद्यालय के भवनों का निर्माण

66– श्री गगन सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी के राजकीय महाविद्यालयों में पठन–पाठ्न के लिए भवन नहीं हैं?

क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए कोई ठोस कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट वि0ख0 धारचूला के लिए भूमि चयन की कार्यवाही विचाराधीन है। राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी में भवन निर्माण हेतु 162 नाली 08 मुट्ठी भूमि के लिए हस्तानान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रदेश में अवैध शराब एवं सट्टा आदि अपराधों की रोकथाम

67– डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अवैध शराब एवं सट्टा जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु क्या सरकार इन अपराधों को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं। सम्प्रति अवैध शराब एवं सट्टा जैसे अपराध संज्ञेय अपराध घोषित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त अपराधों को असंज्ञेय श्रेणी में लाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

कैम्पटी फॉल (मसूरी) के निर्माणाधीन बाईपास मार्ग की प्रगति

68-- श्री केदार सिंह रावत--

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि कैम्पटी फॉल (मसूरी) में जनता आये दिन ट्रैफिक जाम से परेशान हो रही है?

यदि हाँ, तो निर्माणाधीन बाईपास मार्ग की क्या प्रगति है तथा कब तक यह मार्ग यातायात योग्य हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

जी हाँ।

मार्ग की 4.00 किमी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 1.75 किमी0 लम्बाई में सोलिंग एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है। मार्ग को पूर्ण रूप से यातायात हेतु सुगम कराये जाने हेतु लक्षित तिथि 30.04.2010 है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र लालढांग में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना

69-- हाजी तस्लीम अहमद--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 6-48122, दिनांक 17-09-2009 जो विधान सभा क्षेत्र-लालढांग में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना के विषय में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग में निजी एवं सरकारी किसी भी तरह का कोई स्नातक महाविद्यालय नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में लालढांग में महाविद्यालय की स्थापना करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

जी हाँ।

विधान सभा लालढांग से निकटस्थ 25 कि0मी0 की दूरी पर 03 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय क्रमशः एस0एन0जे0एन0 पी0जी0 कॉलेज, चिन्मय डिग्री कॉलेज एवं महिला महाविद्यालय सतीकुण्ड संचालित है।

महाविद्यालय की स्थापना के लिए मानकानुसार भूमि/भवन की उपलब्धता एवं समुचित छात्र संख्या की उपलब्धता होने पर विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वर्ष 2008–09 में नई विद्युत लाईन व ट्रान्सफार्मरों की संख्या

70– हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग जिला हरिद्वार में वर्ष, 2008 व 2009 में जिला योजना के अन्तर्गत कितनी नई विद्युत लाईन व ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, हरिद्वार को दिये गये प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जिला योजना व अन्य योजना के अन्तर्गत कार्य न कराये जाने का क्या कारण है?

क्या सरकार प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को प्रेषित जनहित के प्रस्ताव पत्र सं0 48131, दिनांक 13–10–2009 पर कार्यवाही करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वित्तीय वर्ष, 2008–09 में जिला योजना के अन्तर्गत 900 मी0 एल0टी0 लाईन का निर्माण तथा 04 परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया।

प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप समय–समय पर स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कराये जाते हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ के सिगाली दिगरा मोटर मार्ग का निर्माण

71– श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अधीक्षण अभियंता तृतीय वृत लो0नि0वि0 पिथौरागढ के पत्रांक 167/191सी0 03/09 दिनांक 15–01–2009 के अनुसार सिगारी दिगरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रथम चरण हेतु 2.60 कि0मी0 की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग में अभी तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है?

क्या विभाग उक्त मोटर मार्ग को बनाने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सिगाली से बसाडी तक 2.5 किमी0 मोटर मार्ग के प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या–577/लो0नि0–2/03–1(85–लोहाघाट)/02, दिनांक 28–08–03 के द्वारा प्रदान की गई है तत्पश्चात् बसाडी से दिगरा गाँव को जोड़ने हेतु शेष 5.00 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या–672/III–2/06–08(प्रा0आ0)/06, दिनांक 28–03–06 के द्वारा प्रदान की गई।

प्रारम्भिक 2.5 किमी0 भाग में केवल प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शेष 5.00 किमी0 भाग में वनभूमि हस्तान्तरण न हो पाने के कारण।

जी हाँ।

2.5 किमी0 भाग के द्वितीय चरण की स्वीकृति एवं शेष भाग में वनभूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के कौली कन्याल तोक हुडकी में वर्ष 2002 में तथा बरम में वर्ष 2007 में भूस्खलन से प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था

72– श्री मयूख सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2002 में जनपद पिथौरागढ़ के कौली कन्याल तोक हुडकी में तथा वर्ष, 2007 में बरम में भू–स्खलन से कुल कितनी धन एवं सम्पत्ति की हानि हुयी है?

क्या सरकार द्वारा प्रभावितों को पुनर्वासित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो इनके पुर्नवास की क्या व्यवस्था की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

वर्ष, 2002 में जनपद पिथौरागढ़ के कौली कन्याल तोक हुडकी में भू–स्खलन नहीं हुआ है अपितु वर्ष, 2000 में जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कौली कन्याल तोक हुडकी तहसील डीडीहाट में भू–स्खलन से कुल 17 जनहानि हुई है तथा 09 भवन पूर्ण व 01 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है साथ ही 180 नाली 08 मुट्ठी भूमि विलुप्त हुई है।

वर्ष, 2007 में जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम बरम तहसील धारचूला में भू–स्खलन से कुल 15 जनहानि हुई है तथा 02 पक्के व 04 कच्चे भवन पूर्ण ध्वस्त हुए हैं।

प्रभावितों को नियमानुसार राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। पुनर्वास के लिए प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के जौरासी से लखी गाँव तक निर्मित मोटर मार्ग की गुणवत्ता की जाँच

73–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जौरासी से लखी गाँव तक निर्मित मोटर मार्ग नियमानुसार एवं मानकों के अनुसार बनी है?

क्या उक्त मोटर मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग की गुणवत्ता की जाँच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के मटेला बैण्ड से उपरतोला तक मोटर सुविधा

74–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र, पिथौरागढ़ में एस०सी०पी० में चयनित मोटर मार्ग मटेला बैण्ड से उपरतोला तक में अभी तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है तथा कितना कि०मी० मोटर मार्ग बनकर तैयार हो चुका है एवं कितने कि०मी० तक मोटर गाड़ियों का संचालन हो रहा है?

क्या सरकार जनहित में निर्धारित स्थान तक मोटर सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रश्नगत मोटर मार्ग पर माह, 11/2009 तक रू० 113.32 लाख का व्यय किया जा चुका है। 11.00 कि०मी० पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण है तथा 1.00 कि०मी० में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग निर्माणाधीन है। वर्तमान में गाड़ियों का संचालन नहीं हो रहा है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र

जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना में एस0सी0पी0 में चयनित बगना शक्तिपुर मोटर मार्ग का निर्माण

75–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना में एस0सी0पी0 योजना में चयनित मोटर मार्ग बगना–शक्तिपुर मोटर मार्ग में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है?

क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

जी हाँ।

वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के पीपली थिंगरानी हेतु जिला प्लान में स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण

76–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पीपली थिंगरानी हेतु जिला प्लान में स्वीकृत लिंक मोटर मार्ग को अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पीपली–थिंगरानी नाम से जिला योजना के अन्तर्गत कोई मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पीपली एवं थिंगरानी पूर्व से ही निर्मित मोटर मार्गों से जुड़े हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के ला तथा झाकला में भू-स्खलन से लापता व्यक्तियों की घोषणा

77-श्री मयूख सिंह-

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2009 में जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के ला तथा झाकला ग्राम के भू-स्खलन में लापता व्यक्तियों को मालपा के भू-स्खलन में लापता व्यक्तियों की भाँति एक माह के भीतर मृत घोषित न करने तथा एक ही जनपद में अलग-अलग मानक निर्धारित करने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार उक्त ग्रामों के लापता व्यक्तियों की शीघ्र घोषणा करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

वर्ष, 2009 में दिनांक 07/08-08-2009 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के ला तथा झाकला क्षेत्र में भू-स्खलन से कुल 43 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 18 व्यक्तियों के शव बरामद न होने के कारण उन्हें लापता घोषित किया गया। वर्ष, 1998 में जनपद पिथौरागढ़ के स्थान मालपा में इसी प्रकार की घटना होने से उसी प्रकार लापता 18 व्यक्तियों को भी मृत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया तथा शासन के निर्देशानुसार घटना की मजिस्ट्रीयल जाँच के उपरान्त 18 लापता व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा उपजिलाधिकारी मुनस्यारी द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कर उनके वारिसान को दिनांक 03-12-2009 को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना में कुल अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों/स्टाफ की नियुक्ति

78-श्री मयूख सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना में कुल कितने अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

क्या उक्त अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर/स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में डॉक्टरों/स्टाफ की नियुक्ति करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना में कुल 04 प्राथमिक/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र व 06 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय एवं 17 उपकेन्द्र हैं।

जी नहीं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में वर्ष, 2009 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को क्षतिपूर्ति

79–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के तहसील खटीमा में वर्ष, 2009 में दैवीय आपदा के कारण कितने आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं?

यदि विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को क्षतिपूर्ति कर मकानों का पुनर्निर्माण कराया गया?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद उधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के अन्तर्गत माह जनवरी, 2009 से 15 दिसम्बर, 2009 तक कुल 75 कच्ची झोपड़िया दैवी आपदा से (अग्निकांड/बाढ़ से प्रभावित होकर) क्षतिग्रस्त हुए हैं।

प्रभावित परिवारों की कच्ची झोपड़ियाँ सरकारी भूमि में होने तथा उनके स्वामित्व की भूमि में न होने के कारण आपदा राहत कोष के मानकों के अनुसार वैध निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु उन्हें कोई धनराशि वितरित नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में लो–वोल्टेज की समस्या का निदान

80–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में कितने ग्रामों तथा तोकों में लो–वोल्टेज की समस्या है?

क्या वर्ष, 2009 में विधान सभा क्षेत्र खटीमा में लो वोल्टेज की समस्या का निदान कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में कुल 28 ग्रामों एवं तोकों में लो–वोल्टेज की समस्या है।

उक्त सभी ग्रामों एवं तोकों में लो-वोल्टेज की समस्या का जून, 2010 तक निदान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के ग्राम सभा नत्थनपुर में अलकनन्दा इन्क्लेव से मोहकमपुर तक मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण

81-- श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा--

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर, ग्राम सभा नत्थनपुर के अन्तर्गत जोगीवाला से रायपुर मुख्य मार्ग पर अलकनन्दा इन्क्लेव से मोहकमपुर तक का मार्ग अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ तथा अत्यन्त सकरा हो गया है?

क्या यह सत्य है कि हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय मार्ग पर जोगीवाला से मोहकमपुर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति में गाड़ियों का आवागमन मोहकमपुर से अलकनन्दा इन्क्लेव मार्ग से होने के फलस्वरूप उक्त मार्ग के कालोनी वासियों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में अलकनन्दा इन्क्लेव से मोहकमपुर तक के मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित करायेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'--

जी हाँ।

सामान्यतः नहीं।

शासन द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

82-- कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"--

(प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-30 में स्थानांतरित)

जनपद देहरादून में बद्रीपुर से नवादा मार्ग का डामरीकरण

83-- श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा--

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में बद्रीपुर से नवादा को जाने वाला मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनमानस को आवागमन में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को जनहित में डामरीकरण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0–5135/III(2)/09–01(प्रा0सा0)/09 दिनांक 05–12–09 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा जल विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन तथा परियोजना का सुधारीकरण

84– श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर खटीमा (लोहिया हेड) जल विद्युत गृह प्रतिदिन कितना विद्युत उत्पादन कर रहा है?

क्या यह जल विद्युत गृह अपनी क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन कर रहा है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार खटीमा जल विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु उक्त जल विद्युत परियोजना के सुधारीकरण की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

लगभग 0.40 मि0यू0 का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है।

जी नहीं।

जी हाँ।

विद्युत गृह में कुल 03 मशीनें विद्युत उत्पादन करती है। इनका सुधारीकरण एक–एक मशीन करके किया जायेगा। यह कार्य वर्ष, 2012 से 2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम में अवर अभियन्ता व सहा0 अभियन्ता के पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा में पूर्व सैनिकों को छूट की प्रदानता

65- श्री गणेश जोशी-

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम में अवर अभियंता व सहायक अभियंता के 460 पदों पर आयोजित की गई भर्ती परीक्षा में पूर्व सैनिक को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व सैनिकों को सेवानियमावली में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए उक्त 460 पदों के सापेक्ष पूर्व सैनिकों की अलग से भर्ती प्रक्रिया कराने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में मिनी स्टेडियम का निर्माण

66- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में स्याल्दे विकास खण्ड के स्याल्दे में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा दिनांक 21 मई, 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अपने भिक्यासैंण भ्रमण में की गई थी?

यदि हाँ, तो क्या घोषणा पर कार्य आरम्भ हो गया है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य आरम्भ किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

जी हाँ,

मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (टोकन) जारी की गयी है। भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं। विस्तृत आगणन गठित कर लिया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण में सबोली बैण्ड से तौल बुधानी और तल्ली चम्याड़ी से गणतखाल की सड़कों का निर्माण

87– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा भिकियासैंण में सबोली बैण्ड से तौल बुधानी और तल्ली चम्याड़ी से गणतखाल सड़कों के निर्माण की घोषणा दिनांक 15 फरवरी, 2009 को की थी?

यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त सड़कों के वन भूमि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं?

यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त सड़क हेतु वन भूमि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा भिकियासैंण में सबोली बैन्ड से तौल बुधानी मोटर मार्ग के निर्माण की घोषणा दिनांक 21 मई, 2008 को तथा तल्ली चम्याड़ी से रानलखाल (गणतखाल) मोटर मार्ग के निर्माण की घोषणा दिनांक 15 फरवरी, 2009 को की गई।

जी नहीं।

(1) स्वीकृत सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 01–11–09 को रेंज अधिकारी, चौरासी रेंज को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किये गये।

(2) तल्ली चम्याड़ी से रानलखाल (गणतखाल) मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के राज0 महाविद्यालय भिकियासैंण में बी0एड0 संकाय का खोला जाना

88– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21 मई, 2008 को राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण जनपद अल्मोड़ा में बी0एड0 संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त स्थान में पठन पाठन कार्य आरम्भ करायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

बी0एड0 पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जयपुर से अनुमति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ किया जाता है। राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण में बी0एड0

पाठ्यक्रम खोले जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जयपुर को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के मानिला में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

89– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानिला में विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने की घोषणा दिनांक 21 मई, 2008 को भिक्यासैंण भ्रमण के दौरान की थी?

यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा विद्युत उप केन्द्र का कब तक जनता को विद्युत लाभ मिलेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

विद्युत उपकेन्द्र के लिये भूमि चयनित कर अधिग्रहण कर ली गई है। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। मार्च, 2011 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण में स्वीकृत 20 सड़कों का निर्माण

90– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि दिनांक 16–12–2008 को नियम–53 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में लगभग 14 सड़कों की वित्तीय स्वीकृति है?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये विभागीय वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, कि लगभग 20 सड़कें राज्य सैक्टर में स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 सड़कों के वन भूमि के प्रस्ताव बनाये जाने शेष हैं?

यदि हाँ, तो क्या वक्तव्य में उल्लिखित 17 सड़कों के वन भूमि प्रस्ताव बना लिये गये हैं तथा बने हुए प्रस्ताव किन–किन स्तरों पर लम्बित हैं?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धित विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

दिनांक 16–12–08 को नियम–53 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना पर वक्तव्य में 20 सड़कों की स्वीकृति का उल्लेख है।

जी हाँ।

17 सड़कों में से 08 सड़कों के वनभूमि प्रस्ताव बना लिये गये हैं, जिनमें से भारत सरकार स्तर पर 4, गोडल अधिकारी स्तर पर 1, वनाधिकारी स्तर पर 2 एवं जिलाधिकारी स्तर पर 1 प्रस्ताव लम्बित है। शेष 9 प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किये जा रहे हैं।

विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य निर्माण आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों का सम्मान

91– श्री यशपाल बेनाम–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य निर्माण आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों, को भी सम्मान देने पर विचार कर रही है।

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत दिनेशपुर में निजी भवन से संचालित थाने के भवन स्वामी को किराये का भुगतान

92– श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊधमसिंहनगर) में थाना बनने से पूर्व पुलिस चौकी किसी निजी भवन से संचालित की जा रही थी?

यदि हाँ, क्या पुलिस विभाग द्वारा भवन स्वामी को किराये का भुगतान किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों,? तथा कब तक किराया भुगतान कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

† (विवरण देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या 242–246)

जनपद उधमसिंह नगर को आपदा प्रबन्धन मद में आवंटित धनराशि एवं लम्बित योजनाएँ

93– श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंहनगर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबन्धन मद में कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंहनगर में आपदा प्रबन्धन के तहत कितनी योजनाएँ लम्बित है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद उधमसिंहनगर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबन्धन मद (अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी, विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत) में अब तक कुल रू0 185.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

जनपद उधमसिंहनगर में आपदा प्रबन्धन के तहत 06 कार्यों के आगणन/प्रस्ताव जिला स्तर पर तथा 84 कार्यों के आगणन/प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

जनपद अल्मोड़ा स्थित चिकित्सालय से बेतालेश्वर मन्दिर विकास भवन तक मोटर मार्ग का निर्माण

94– श्री मनोज तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में मुख्यालय पर अनियंत्रित यातायात की स्थिति को देखते हुए अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय से बेतालेश्वर मन्दिर होते हुए विकास भवन को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है?

क्या इस कार्य हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है?

यदि हॉं, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हॉं।

जी हॉं।

वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण

95– श्री मनोज तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा मुख्यालय पर अनियंत्रित यातायात की स्थिति को देखते हुए अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है?

क्या इस कार्य हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है?

यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के नये खण्डों का सृजन एवं अन्य विभागों के खण्डों का लो0नि0वि में समायोजन

96– श्री मनोज तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त कार्यभार बढ़ने के कारण लो0नि0वि0 के कितने नये खण्डों का सृजन किया गया तथा

अन्य विभागों के कितने खण्ड लोक निर्माण विभाग में समायोजित किये गये?

क्या इन नये खण्डों के सृजन एवं समायोजन के सापेक्ष खण्डों की सीधे नियंत्रण अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता कार्यालयों के सृजन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है,

यदि हाँ, तो इन वृत्तों का सृजन कब तक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

08 खण्ड।

11 खण्ड सम्बद्ध हैं।

जी हाँ।

परीक्षणोपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में महिला उत्पीड़न रोकने हेतु किये गये उपाय

97– श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न रोकने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या–क्या उपाय किये गये हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ। महिला उत्पीड़न रोकने के लिये प्रत्येक थाने में महिला/बाल डेस्क, प्रत्येक जनपद में महिला एवं बाल हैल्प लाईन, महिला एक्शिक ब्यूरो तथा रिकौन्सिलेशन कमेटी का गठन किया गया है। जिनके द्वारा महिलाओं की पारिवारिक समस्याओं के निस्तारण के साथ–साथ छेड़–छाड़ जैसी घटनाओं का भी संज्ञान लिया जाता है।

सामुदायिक पुलिसिंग के अन्तर्गत अभियान चला कर महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। दहेज हत्याओं के मामलों की त्वरित विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर से की जाती है।

समय–समय पर स्कूल/कॉलेजों एवं भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में नियुक्त कर छेड़–छाड़ की घटनाओं की निगरानी की जाती है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का विद्यालयवार विवरण एवं उनका नियमितीकरण

98– श्रीमती अमृता रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की संख्या का विद्यालयवार विवरण क्या है तथा ये अंशकालिक शिक्षक कब से कार्यरत हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन अंशकालिकों के नियमितीकरण किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक इन अंशकालिक शिक्षकों का नियमितीकरण किया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अंशकालिक शिक्षक कार्यरत नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की संख्या महाविद्यालयवार तथा कार्यरत अवधि निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम	राजकीय महाविद्यालय का नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि
1	डा0 चन्द्रावती भट्ट	रा0 महा0 पिथौरागढ़	17-11-86
2	डा0 रमेश बिष्ट	रा0 महा0 पिथौरागढ़	12-11-86
3	डा0 प्रकाश दीप अग्रवाल	रा0 महा0 कोटद्वार	23-11-87
4	डा0 शैलेन्द्र प्रकाश मथवाल	रा0 महा0 कोटद्वार	03-03-87
5	डा0 विमल कुकरेती	रा0 महा0 कोटद्वार	02-12-86
6	डा0 भूपेन्द्र चन्द्र तिवारी	रा0 महा0 बागेश्वर	12-11-86
7	डा0 चन्द्रा क्वीरा	रा0 महा0 बागेश्वर	06-10-88
8	डा0 आशा तिवारी	एम0बी0 कॉलेज हल्द्वानी	08-10-87
9	डा0 प्रेमलता पंत	रा0 महा0 पिथौरागढ़	27-10-88
10	डा0 नरेश तिवारी	रा0 महा0 पिथौरागढ़	31-03-87
11	डा0 पंकज भट्ट	रा0 महा0 पिथौरागढ़	28-10-87
12	डा0 अरूण अग्रवाल	रा0 महा0 उत्तरकाशी	23-11-87
13	डा0 कैलाशचन्द्र ध्यानी	रा0 महा0 सतपुली	08-10-88
14	डा0 दीपा गोवाड़ी	रा0 महा0 बागेश्वर	22-09-87

उच्च शिक्षा विभाग में अंशकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद नैनीताल के रामनगर में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम

99– श्रीमती अमृता रावत–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है?

यदि हाँ, तो अपराधों की रोक–थाम हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

क्या यह सत्य है कि जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में हाल ही में कु0 महिमा सेठ पुत्री श्री संजय सेठ तथा श्री सोनू वर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रेम प्रकाश वर्मा की निर्मम हत्या की घटनाएँ हुई?

यदि हाँ, तो इन हत्याओं का कारण क्या है तथा हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

क्या सरकार इन प्रकरणों पर सी0बी0आई0 से जाँच करवाएगी?

यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जनपद नैनीताल के थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत अपराधों में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है।

रामनगर क्षेत्रान्तर्गत अपराधों की रोकथाम हेतु अभिसूचना तंत्र को सतर्क किया गया है तथा बीट व्यवस्था को प्रभावी एवं जिम्मेदार बनाया गया है। दिन–रात की पुलिस पिकेट व गश्त में बढ़ोत्तरी की गयी है तथा अपराधी व असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जी हाँ।

दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को श्री संजय सेठ द्वारा थाना रामनगर पर उनकी पुत्री कु0 महिमा सेठ उम्र 07 वर्ष की गुमशुदगी की सूचना दी गयी। गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल सभी सम्भावित स्थानों पर तलाशी प्रारम्भ की गयी। दिनांक 21 नवम्बर, 2009 को गुमशुदा के सम्बन्ध में कोई जानकारी न मिलने पर परिवारजनों द्वारा अपहरण की आशंका पर गुमशुदगी को मु0अ0सं0 285/09 धारा 364 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया। दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को कु0 महिमा सेठ का शव प्राप्त होने पर अभियोग में धारा 302/201 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। अभियोग के अनावरण हेतु पांच टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा घटना से सम्बन्धित सभी सम्भावित कारणों का पता लगाया जा रहा है तथा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है तथा घटना के अनावरण हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

दिनांक 21 नवम्बर, 2009 को श्री चन्द्रपाल निवासी नरसिंहपुर, रामनगर नैनीताल द्वारा गांव में एक अज्ञात युवक का शव होने की सूचना थाना रामनगर को दी गयी। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा मृतक की तलाशी से प्राप्त मोबाइल नम्बरों से सम्पर्क करने पर शव की शिनाख्त सोनू वर्मा उर्फ प्रेम वर्मा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 24 नवम्बर, 2009 को थाना रामनगर में मु0अ0सं0 287/2009 धारा 302/201 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी रामनगर के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक सोनू वर्मा को दिनांक 20 नवम्बर, 2009 की रात्रि में अपने मित्र विनोद देवल उर्फ सल्लू पुत्र अमीर चन्द निवासी हनुमान गढ़ी रामनगर की बारात में शामिल होना पाया गया। इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस के माध्यम से मृतक के मोबाइल पर आये नम्बरों की गहनता से जाँच की जा रही है तथा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभियोग के अनावरण हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के रायपुर स्पोर्टस कॉलेज से थानो तक फोर लेन सड़क का निर्माण

100– श्रीमती अमृता रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कैंप गेम प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद देहरादून के रायपुर स्पोर्टस कॉलेज से थानो तक फोर–लेन सड़क का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है?

यदि हाँ, तो फोर–लेन सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है, तथा कब तक उक्त सड़क फोरलेन में परिवर्तित की जायेगी।

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सड़क निर्माण का कार्य बाधित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन प्लान्ट की योजना

101– डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार की प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन प्लान्ट लगाये जाने की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजी गयी है?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी नहीं।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को कैन्टीन से वाहन खरीदने पर सेल टैक्स में छूट

102– श्री गणेश जोशी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि अन्य प्रान्तों में पूर्व सैनिकों को कैन्टीनों से वाहन खरीदने पर सेल टैक्स में छूट दिये जाने का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो क्या उत्तराखण्ड सरकार पूर्व सैनिकों को बाहरी प्रान्तों की भांति उत्तराखण्ड में भी सेल टैक्स में छूट दिये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

कुछ राज्यों के द्वारा वर्तमान में भी पूर्व सैनिकों को कैन्टीनों से वाहन खरीदने पर सेल्स टैक्स/वैट छूट दी जा रही है लेकिन अधिकांश राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, कर्नाटक आदि के द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू होने के बाद सी०एस०डी० कैन्टीनों के माध्यम से वाहन क्रय करने पर कोई कर मुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य के सीमित राजस्व संसाधनों तथा विभिन्न राज्यों में पूर्ववर्ती बिक्री कर/व्यापार कर व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही विशेष छूटों एवं भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न कर की दरों के कारण व्याप्त व्यवसायिक व्यावृत्ति (diversion of trade) व cascading effect को समाप्त करने के उद्देश्य से पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत पूर्व में दी जा रही छूटों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई औचित्य नहीं है।

103– श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद इस वर्ष सूखे की चपेट में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत दिये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:30 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

जरा देख तो लें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी सूचना प्राप्त हुई है, देख तो लें। (घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आज 310 सुन ही लो। आज गुस्सा थूक कर सुन लो, क्योंकि सात साल की बच्ची के साथ जिस तरह...(व्यवधान)

नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत जो पहली सूचना है, वह माननीय नारायण पाल जी की है जो जनपद ऊधमसिंह नगर के शक्तिफार्म में रहने वाले बंगाली विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने विषयक है। माननीय सदस्यगण, आपने नियम–58 में पूर्व में भी सूचना दी है जो आज के लिए निर्धारित है, उस समय इसे सुन लिया जायेगा। दूसरी सूचना माननीय हरिदास जी और डॉ0 शैलेन्द्र सिंह जी की है जो उत्तराखण्ड प्रदेश में कुम्भ मेला हरिद्वार से सम्बन्धित है ये सूचना भी नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा दी गयी है, उसके साथ इसे भी सुन लिया जायेगा। तीसरी सूचना माननीय श्री प्रीतम सिंह, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी की है, जिसे नियम–310 के अन्तर्गत आज तारांकित प्रश्न–6 में उत्तरित किया जा चुका है, (व्यवधान)

इसलिए दुबारा नहीं सुना जा सकता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) आप नियमों के ज्ञाता हैं। एक सूचना एक दिन में एक ही बार तो ली जायेगी। ये सूचना पहले ली जा चुकी है इसलिए दुबारा आज नहीं ली जा सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान) अगली सूचना माननीय किशोर उपाध्याय जी की है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने के संबंध में है, इसे नियम–58 के अन्तर्गत सुन लिया जायेगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी वित्तीय स्थिति वाली सूचना का क्या हुआ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश, माननीय शहजाद, माननीय प्रेमानन्द महाजन, माननीय हरिदास, माननीय तस्लीम अहमद द्वारा दी गयी सूचना, उत्तराखण्ड में आम आदमी का

जीना दूभर हो रहा है। लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, कानून व्यवस्था से संबंधित है, इसे नियम–58 में सुन लेंगे। अगली सूचना प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में है इसमें ऐसे स्पेसिफिक सूचना...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। कानून व्यवस्था से संबंधित जो सूचना है इसमें जो जो माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्राप्त हुई है उसके साथ इसे भी सुन लेंगे और स्पेसिफिक की जहाँ तक बात है, जो 17–11–2009 का विषय है, यह अतारांकित प्रश्न–99 में उत्तरित हो चुका है। (घोर व्यवधान)........

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया है)

(घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, सोनू की हत्या हो गई। आज तक उसके हत्यारे को पकड़ा नहीं गया है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैंने कहा, कानून व्यवस्था से संबंधित जो सूचना माननीय बसपा विधायकों ने दी है उसके साथ इसे भी सुन लिया जायेगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।(घोर व्यवधान)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन तीनों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों में कटौती से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल बेनाम–

[मान्यवर, प्रदेश में पुनर्गठन के पश्चात् जो विभागीय ढाँचा बनाया गया, उसमें शासन की स्वीकृति के पश्चात् कनिष्ठ सहायक के पद पूर्व से सृजित थे उन्हें कम किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रहा है और लगभग प्रदेश में 600 कनिष्ठ सहायक के पद समाप्त कर दिये गये हैं। जिससे शिक्षा विभाग के चतुर्थ कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग लगभग बन्द हो चुका है, जबकि विभाग के कर्मचारी समय-समय पर इस माँग को उठाते रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाये किन्तु विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि शिक्षा विभाग में समाप्त किये गये कनिष्ठ सहायक के पदों को पुनर्जीवित कर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का कष्ट करेंगे ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके।]

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शहजाद-

[मान्यवर, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्तियाँ राज्य गठन से ही संविदा पर की जा रही हैं। गत दस वर्षों से विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सक संविदा पर कार्य कर रहे हैं। इन्हें 19 अगस्त, 2009 को एक शासनादेश द्वारा तीन श्रेणियों में विभक्त कर सुगम में कार्यरत् चिकित्साधिकारी को रूपये 20,000, दुर्गम में तैनात चिकित्साधिकारी को रूपये 24,000 तथा अति दुर्गम को 28,000 रूपये मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है। स्थिति यह है कि विभाग ने सुगम, दुर्गम तथा अति दुर्गम स्थानों का क्या मानक रखा है इसकी नीति निर्धारित नहीं की है। परिणाम यह है कि अगस्त, 2009 के शासनादेश का अनुपालन दिसम्बर, 2009 तक भी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण संविदा में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को भुगतान बढ़े हुए मानदेय में नहीं किया जा रहा है। चिकित्सक परेशान हैं। चिकित्सकों ने विभाग एवं शासन में कई बार गुहार लगाई लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

पर्वतीय भू-भाग में कृषि कार्य हेतु बछड़ों व बैलों के आवागमन, खरीद-बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध न होने के उपरान्त भी इस हेतु लाये गये बैलों-बछड़ों व उनके खरीद-बिक्री हेतु आये लोगों के साथ अभद्रतापूर्वक मार-पीट किये जाने व आर्थिक क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

[मान्यवर, हमारे पर्वतीय भू-भाग में प्रायः छोटे-छोटे बछड़ों को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षित कर बैलों के रूप में उपयोग काफी प्राचीन समय से होता रहा है। यही बछड़े व बैल स्थान-स्थान पर लगने वाले मेलों व बाजारों में लोगों की आवश्यकता के अनुरूप

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खरीद तथा बिक्री किये जाते हैं और स्थानीय गरीब जनता की आजीविका का एक बड़ा साधन भी बनते हैं। पूर्व में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की खरीद–बिक्री हेतु इन बैलों व बछड़ों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके उपरान्त भी इस वर्ष मोहान, जनपद अल्मोड़ा व जनपद नैनीताल की सीमा पर बैलपड़ाव में दूर–दराज के स्थानों से लाये बछड़ों व बैलों की प्रशासन के लोगों द्वारा रस्सियाँ काटकर उन्हें वनों में छोड़ दिया गया तथा किसानों के साथ अभद्रता पूर्वक मारपीट की गयी। दूर–दराज से आये गरीब लोगों को भारी आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये माँग करता हूँ कि इसकी जाँच कराकर अपराधियों को दंडित किया जाय। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।]

नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, नियम–310 की सारे सदस्यों की सूचनायें अविलम्बनीय और लोक महत्व की हैं इसलिए सदन की कार्यवाही तत्काल रोककर इन पर चर्चा करायी जाये। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, सरकार ने गरीब जनता पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है और ट्रेड टैक्स बढ़ा दिये गये हैं। सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है।

(घोर व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–4 पुकारे जाने पर)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी–अपनी बात उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। एक सूचना जब तारांकित प्रश्न के रूप में आ चुकी है तो वह सूचना दोबारा नहीं आ सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, इस पर अल्पसूचित प्रश्न भी लगा हुआ है। श्रीमन्, सरकार इस विषय पर चर्चा कराना चाहती है, चर्चा से नहीं भाग रही है, लेकिन नियमों के आधार पर ही तो आयेगा। अल्पसूचित कल या परसों तो आ जायेगा उस दिन पूरी चर्चा हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न लगा हुआ है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति क्या है?

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर 'वेल' पर खड़े भारतीय कॉंग्रेस के कई माननीय सदस्य अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रकाश पन्त–

.........मान्यवर, आज प्रश्न लगा हुआ है आज की कार्यसूची में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति क्या है? क्या वित्तीय स्थिति पर श्वेत–पत्र जारी किया जायेगा? मान्यवर, आज का यह तारांकित प्रश्न है और आज के एजेण्डे में शामिल है और आज ही आप उसकी कैसे नोटिस ले लेंगे?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज प्रश्नकाल में यह तारांकित प्रश्न आ नहीं पाया।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम इस विषय पर चर्चा कराने से बच नहीं रहे हैं। लेकिन चर्चा नियमों के आधार पर ही तो होगी। नियमों में प्राविधान नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियमों में प्रावधान नहीं है। सरकार जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–30 के उपनियम–6 में उल्लिखित है कि " उसमें ऐसे प्रश्नों की तत्वतः पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर उसी सत्र में पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देने से इन्कार कर दिया हो।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् वेल में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण नहीं करते कोई बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वैसे यह परम्परा तो नहीं है कि जब सदन के अन्दर कोई प्रश्न के रूप में सूचीबद्ध होता है तो उसको उसी दिन किसी अन्य सूचना के माध्यम से उठाया जाय। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यगण अगर यह चाहते हैं कि इस विषय पर इसकी गम्भीरता है तो श्रीमन, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार उत्तर देने से कहीं नहीं भाग रही है। हम उत्तर देना चाहते हैं और राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति जिसके बारे में बहुत बढ़–चढ़कर बात कही जा रही है। उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं और इसी विषय पर हमारे पास तीन दिन हैं। आज ही के लिए, नियमों में कहीं परम्परा नहीं है। (घोर व्यवधान मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज हमारे पास बहुत प्रश्न हैं, इसे कल देख लेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इससे सहमत हैं तो इसे कल देख लेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधान मण्डल दल में यह तय किया है कि केवल दो ही सूचना देंगे। जबकि हमारे बहुत सारे माननीय विधायक कई सूचना नियम–310 में

देना चाह रहे थे, लेकिन हमने केवल दो ही सूचना दी है जिससे सदन सुचारू रूप से चले। मान्यवर, इसलिए हमारी इस सूचना को आज ही नियम-58 में सुन लिया जाय। वित्तीय स्थिति के बारे में सरकार भी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी चिन्तित हैं। इसलिए इसे नियम-58 में स्वीकार कर लें। माननीय अध्यक्ष जी, यह आपकी उदारता होगी। मान्यवर, सीमित समय में इन सूचनाओं को सुन लिया जाय, जिससे हमारे माननीय सदस्य की जो अन्य सूचनायें हैं वे भी आ सकें।

(वेल में आये सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया देखिये आज लगभग 20 तारांकित प्रश्न थे और 3 प्रश्न ही आ सके और हम अगर इसमें सहयोग करते तो कम से कम 10 प्रश्नों का जवाब आ जाता। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। शिथिलता देते हुए भी हमने यह प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का इसमें जवाब आ जाए और उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए परन्तु अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की गयी जिससे कि आगे प्रश्नकाल न चल सके। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपके और माननीय सदस्यों के अनुरोध पर इसे नियम-58 में सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति आदरभाव हमारे मन में है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को कुछ ठेस लगी है जब आपके द्वारा इस तरह की बात कही गयी।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह सभी माननीय सदस्यों के लिए कही गयी है। यह सभी सदस्यों से संबंधित है। यह मात्र आप लोगों के लिए नहीं है। यह हमसे भी संबंधित हो सकती है। मेरा अनुरोध यह था कि अगर हम प्रयास करते तो कम से कम 10 तारांकित प्रश्नों का आज हम यहाँ पर निस्तारण कर सकते थे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की और प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को सदन में रखते हैं प्रश्नकाल के माध्यम से, सवालों के माध्यम से रखते हैं उम्मीद हम करते हैं कि सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब आए, तार्किक जवाब आए और जनता के हित में जवाब आए लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर जनता के हित में सार्वजनिक रूप से सरकार की ओर से जवाब नहीं आयेगा तो माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से माननीय विधायक असंतुष्ट होंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह चर्चा का विषय नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम पीठ का सम्मान करते हैं चूँकि आपके द्वारा इस तरह का विनिश्चय कहूँ या इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे हमारे विपक्ष के सदस्यों के मन में पीड़ा जैसी महसूस हो रही है। हमको ठेस लगी। आप एक सहृदय व्यक्ति हैं। हम आपसे निवेदन कर सकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम जनता के हित के लिए लड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

अगर आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथियों पर ऐसी टिप्पणी की जाती है तो निश्चित रूप में हमको कष्ट होगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नहीं है मैंने किसी एक को नहीं कहा, मैंने सबको कहा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सरकार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी पक्ष को कहा है। मेरा अनुरोध यह भी था कि आज सभी नियम शिथिल करके आपकी बात सुन लेते हैं, कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि जब एक प्रश्न का उत्तर किसी नियम के अन्तर्गत आ चुका है तो वह अन्य प्रश्नों के माध्यम से दोबारा नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें।

सत्र के दौरान जिला पंचायत या बी0डी0सी0 की बैठकें आहूत न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सत्र के दौरान कोई भी जिला पंचायत की बैठक या बी0डी0सी0 की बैठक नहीं हो सकती है और पुरोला में कल बी0डी0सी0 की बैठक हो रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उसको दिखवा लीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है, मैं दिखवा लूंगा और बैठक स्थगित करा दी जायेगी।

***श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मईं भाई"–**

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, विधायक निवास में ढाई साल मुझे रहते हुये हो गये हैं उस विधायक निवास में कबूतरों ने अतिक्रमण कर रखा है, कौवों ने अतिक्रमण कर रखा है और कई पक्षियों ने अतिक्रमण कर रखा है। किनारे के कमरों में यह स्थिति है। शायद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी छोड़ गये हों क्योंकि मुझे वही कमरा मिला है जिसमें पहले आप थे और दो साल से मैं राज्य सम्पत्ति विभाग से कह चुका हूँ तो वे कहते हैं कि बजट नहीं है। मैं समझता हूँ कि हजारों में यह काम हो सकता है और माननीय मंत्री जी के यहाँ तो कबूतर नहीं होंगे वो हमारे यहाँ आते हैं इसलिए इसको देख लें।

उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नारायण राम दास के निधन पर शोकोद्‌गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करना है कि इसी विधान सभा के माननीय सदस्य रहे और उत्तराखण्ड राज्य में मंत्री पद पर पदारूढ़ रहे स्वर्गीय श्री नारायण राम दास जी का असामयिक निधन हो गया और 28 जुलाई, 2009 को उन्होंने 64 वर्ष की आयु में अपनी जीवन लीला समाप्त की, उनके निधन के पश्चात सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में उनकी एक विनम्र छवि के चलते हुये शोक की लहर व्याप्त हुई। स्वर्गीय श्री नारायण राम दास का जन्म 25 मई, 1945 को एक छोटे से गाँव खोली, जो बागेश्वर की पट्टी तल्ला कत्यूर में है, उसमें आपका जन्म हुआ था और अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही शिक्षा के प्रति आपका रूझान रहा और वकालत में आपने डिग्री हासिल की, पत्रकारिता में भी आपकी रूचि थी और पत्रकारिता में रूचि होने के साथ–साथ आपने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष, 1977 में आपने भारत सरकार की शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह इस बात को सिद्ध करता है कि आपका रूझान शिक्षा के प्रति कितना अधिक रहा और विलक्षण प्रतिभा के धनी आप रहे। मान्यवर, आपने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। सामाजिक कार्यों के प्रति शुरू से आपका बहुत अधिक रूझान रहा और हमेशा आप दलित, शोषित, वंचित समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। 1972 में भूमिहीन एवं मजदूर आंदोलन को आपने बहुत तरीके से नेतृत्व प्रदान किया और 1980 में आपने एक साप्ताहिक सामाजिक पत्रिका "बागनाथ" का सम्पादन भी प्रारम्भ किया था। शिक्षा के क्षेत्र में आपका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके चलते आपने अपने ग्राम खोली में एक आदर्श जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की और बागेश्वर में विवेकानन्द विद्या मंदिर की स्थापना कराने के साथ–साथ बागेश्वर में डिग्री कॉलेज खोलने में भी आपका योगदान रहा। 1996 में पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। विधायक के तौर पर और 1997 में आप माननीय श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमण्डल में उत्तराखण्ड विकास राज्य मंत्री और 1999 में आबकारी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार रहे। उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व आपने काबीना मंत्री के रूप में निर्वहन किया। जिसमें से समाज कल्याण, उद्यान, पंचायती राज तथा तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग आपके कुशल नेतृत्व में इस राज्य की तत्कालीन सरकार के माध्यम से संचालित हुए। मैं इस सदन की ओर से स्व० श्री नारायण राम दास जी के जीवन की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण और उनके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दी गयी अपनी सेवाओं के कारण और उनकी मृत्यु के पश्चात् जो अपूरणीय क्षति समाज को हुई है उसके लिए इस सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करता हूँ कि सदन की भावनाओं से उनके परिवार को और इष्ट मित्रों को अवगत कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व० श्री नारायण राम दास जी की मृत्यु पर जो शब्द और जो दुःख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि स्व० श्री नारायण राम दास जी का जन्म एक दलित परिवार में और इस पर्वतीय क्षेत्र के बहुत पिछड़े गांव में हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, जब उत्तराखण्ड के इन पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय नहीं होते थे और महाविद्यालय नहीं होते थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक गरीब परिवार, एक दलित परिवार के व्यक्ति ने उच्च शिक्षा ग्रहण की, न्याय की शिक्षा ग्रहण की। मान्यवर, जो देश के शिक्षा अधिकारियों की सेवा होती है, पी०ई०एस०, उस सेवा में वह सफल हुए। यह केवल उनकी सफलता नहीं थी, यह उत्तराखण्ड के तमाम दलितों और गरीबों की सफलता थी। शिक्षा अधिकारी के पद से त्यागपत्र देने के पश्चात् श्री दास जी ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सामाजिक परिवर्तन, गाँवों के विकास, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया, संघर्ष किया, मजदूर आन्दोलनों का नेतृत्व किया। मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ते–लड़ते सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समरसता मूलक समाज की स्थापना करते–करते उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में उन्होंने बागेश्वर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में पर्वतीय विकास और आबकारी जैसे मंत्रालय का काम करने का उन्हें सौभाग्य मिला। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि गरीब परिवार, दलित परिवार के एक व्यक्ति, एक नौजवान के लिए थी कि समाज ने उनके संघर्ष और त्याग के लिए उनको सम्मानित करते हुए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी।

माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन दुनिया से सबको जाना होता है, यह जीवन की सच्चाई है। जन्म कड़वी सच्चाई नहीं है किन्तु मृत्यु कड़वी सच्चाई है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अग्रदूत के रूप में काम कर रहा हो, वह अपने जीवन के मात्र 64 वर्ष में हम सबके बीच से विदाई ले ले, यह निश्चित रूप से केवल उस परिवार की क्षति नहीं है, यह पूरे उत्तराखण्ड और देश के दलित समाज की क्षति है। मैं तो सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और शोक तब होगा, जब उनके नाम पर कोई योजना, कोई कार्यक्रम सरकार संचालित करेगी, तो निश्चित रूप से यह उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे दुःख को उनके परिवार तक आप पहुँचाने का कष्ट करेंगे। हम सब लोग, यह सदन इस दुःख की घड़ी में उनके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल अपने आप को माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हैं। स्व० श्री नारायण राम दास जी का जन्म 25 मई, 1945 को बागेश्वर की पट्टी तल्ला कत्यूर के गाँव खोली में हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान से एम०ए० करने के साथ ही वकालत की डिग्री तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष, 1977 में उन्होंने भारत सरकार की शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया परन्तु वर्ष, 1980 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनके पिता का नाम श्री फकीरा दास व माता का नाम श्रीमती भागीरथी दास था। श्री नारायण राम दास एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान हेतु सदैव संघर्ष किया। श्री दास ने वर्ष, 1972 में भूमिहीन एवं मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व तथा वर्ष, 1980 में स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र 'बागनाद' का सम्पादन भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रभावी योगदान दिया। उन्होंने ग्राम खोली में आदर्श जूनियर हाई स्कूल की स्थापना तथा विवेकानन्द विद्या मन्दिर, बागेश्वर का उच्चीकरण करवाने के साथ ही बागेश्वर डिग्री कालेज की स्थापना में भी योगदान दिया।

श्री नारायण राम दास वर्ष, 1996 में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। वे वर्ष, 1997 में उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में उत्तराखण्ड विकास राज्य मंत्री तथा वर्ष, 1999 में आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् वर्ष, 2000 में उत्तराखण्ड सरकार में कबीना मंत्री के रूप में उन्होंने समाज कल्याण, उद्यान, पंचायती राज तथा तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को भी सम्भाला। दिनांक 29 जुलाई, 2009 को 64 वर्ष की आयु में श्री नारायण राम दास का निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती बसन्ती दास, तीन पुत्र, एक पुत्रवधू तथा एक पौत्र हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस दुःखद घटना पर मैं और मेरा दल चाहता है कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचे।

खाद्य एवं शहरी विकास मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी जी के विचारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुये, अपने दल और तमाम उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारी साथियों की ओर से माननीय श्री नारायण राम दास को श्रद्धांजलि देता हूँ। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनकी तमाम विशेषताओं के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा ने सदन को अवगत कराया है, मैं उससे तो अपने आप को सम्बद्ध कर रहा हूँ। उनकी एक और विशेषता, जो शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी, उससे भी सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि उनमें एक आन्दोलनकारी की भावना थी। मैं इसलिये इस बात को अपने विचार में सम्मिलित करना चाहता हूँ, जब 1978 में दिल्ली में सर्वदलीय रैली हुई थी, तो उस दौरान वे सर्विस में थे और सर्विस में रहते हुये भी उन्होंने इस रैली में बहुत बड़ी मदद की थी और 1981 में डा0 डी0डी0 पन्त जी के नेतृत्व में जब उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की नींव रखी गई, तब भी उनका काफी योगदान हमें मिलता रहा । बागेश्वर में कई बार ऐसे कार्यक्रमों को उन्हीं के माध्यम से आयोजित करने का भी हमें अवसर मिला। मान्यवर, मैं यह कहूँगा कि वे महान आन्दोलनकारी थे, वे एक महान शिक्षक थे, महान राजनीतिज्ञ थे और पत्रकारिता में भी उनका बहुत बड़ा स्थान था।

मान्यवर, यह बात मेरे संज्ञान में नहीं थी कि श्री नारायण राम दास जी का निधन हो गया है, जैसे मुझे माननीय सदन के माध्यम से अवगत कराया गया तो मुझे इतना दुःख हुआ क्योंकि वे इतने सरल हृदय के व्यक्ति थे और किसी भी सामाजिक कार्य के लिये वे अपने आपको सबसे पहले उपस्थित करते थे, यह उनकी खूबी थी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे तथा हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुँचाई जायें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के उस विचार से भी सहमत हूँ कि उनकी याद में कोई योजना चलाई जाय।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल के शोक संवेदना में अपने शब्दों को जोड़ते हुए चूँकि बड़ी कठिनाईयों में, बड़ी विषम परिस्थितियों में तत्कालीन जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर स्थान में आपका एक दूरस्थ क्षेत्र में जन्म हुआ था और बड़ी कठिनाई में आपकी शिक्षा हुई। सामाजिक कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जाय,

इस प्रकार का एक प्रयत्न आदरणीय नारायण राम दास जी ने दिया था। उनकी सोच भी किस प्रकार से जनपद बागेश्वर की रचना हो, ऐसा भी आपका व्रत था। 05 सितम्बर, 1997 में तत्कालीन अल्मोड़ा जनपद से बागेश्वर जनपद को पृथक करने के लिए आपका विशेष योगदान रहा, और उत्तरांचल राज्य के लिए भी आपका विशेष योगदान रहा। चूंकि उत्तर प्रदेश में जब आप मंत्री थे तो अल्मोड़ा जनपद में जिला पंचायत में उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के रूप में मुझे भी उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ, उनका सहयोग प्राप्त हुआ और बहुत सारे कार्यों को हमने जिला पंचायत के माध्यम से जिले में, अल्मोड़ा और बागेश्वर में, किस प्रकार से विकास का जनजागरण अभियान चलाया जाय, ऐसा आपके साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 26 जुलाई, 2009 को सोमेश्वर में लौटते समय आपका हृदय गति रुकने से निधन हुआ। मैं अपनी बात को माननीय सभी सदस्यों के साथ जोड़ते हुए उनके परिवार को ऐसी दुःखद घटना में इस सदन के माध्यम से शोक संवेदना प्रेषित करता हूँ।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल और श्री अजय टम्टा जी द्वारा इसी सदन के सम्मानित सदस्य रहे स्व० श्री नारायण राम दास जी के निधन के संदेश पर मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। चूँकि मैं उसी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज कर रहा हूँ, बागेश्वर क्षेत्र में नारायण राम दास जी ने जो तमाम विकास कार्य किये, जो उनकी आज भी छवि है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। माननीय नारायण राम दास जी का निधन 26 जुलाई, 2009 को हुआ। 25 मई, 1945 को उनका जन्म अविभाजित अल्मोड़ा जनपद, जो अब वर्तमान जनपद बागेश्वर है, ग्राम खोली में हुआ। उनके पिताजी का नाम स्व० फकीरा दास था, वे बहुत ही गरीब परिवार से थे, परन्तु उन्होंने अपनी शिक्षा–दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। एम०ए० करने के बाद उन्होंने एल०एल०बी० किया। उसके बाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में श्रम अधिकारी के रूप में 1980 से पूर्व उनकी नियुक्ति हुई और उनकी पहली नियुक्ति मुम्बई (महाराष्ट्र) में हुई। उन्होंने श्रम विभाग में रहकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए बहुत काम किया और एक नई शुरूआत की। उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर 1980 के बाद राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और माननीय भट्ट जी ने कहा, उन्होंने वहाँ श्रम के आन्दोलन चलाये और उसी समय से उन्होंने श्रम समता समितियाँ और जो लैण्डलेस लेबर की समितियाँ थी, उनको बनाया। भूमिहीन आन्दोलन की शुरूआत श्री नारायण राम दास जी ने बागेश्वर जनपद और नैनीताल जनपद में शुरू की। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी श्री नारायण राम दास जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल चलकर जो आन्दोलन की शुरूआत की, बागेश्वर को जिला बनाने के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, जिसकी परिणति बागेश्वर जिले के रूप में हुई और उत्तराखण्ड आन्दोलन में भी उनकी बहुत ही अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमिका रही। उनकी माताजी बागेश्वर जनपद के आन्दोलन में और उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन में 14–14, 15–15 दिन जेल में रही हैं। यानि ऐसा परिवार, जो पूरे प्रदेश में आन्दोलन के क्षेत्र में अग्रणी रहा हो, मान्यवर, वह उत्तर प्रदेश में 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए, उनके पास उत्तराखण्ड राज्य मंत्री के रूप में आबकारी विभाग का दायित्व रहा। वह एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। मैं उनके बारे में आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, जब वह आबकारी मंत्री थे तो उनके पास एक आबकारी विभाग का ठेकेदार एक करोड़ रुपया लेकर आया था और उन्होंने उसको तुरन्त एरेस्ट करा दिया, इस तरह वह ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। इसके साथ वह एक अच्छे वकील भी थे, अल्मोड़ा जनपद में उनका वकालत में बहुत बड़ा नाम था। मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ। पूरे उत्तरांचल में जो उनकी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में ऐसी–ऐसी किताबें थी, जो किताबें बहुत कम वकीलों के पास होंगी। राजस्व में और फौजदारी में वह एक माहिर एडवोकेटों में थे। बाद में उनकी लाइब्रेरी में आग लग गई, इससे उनको बहुत क्षति हुई उस दिन से वह दिली रूप से भी बहुत परेशान थे। सभी माननीय सदस्यों ने यहाँ पर कहा कि उनके नाम से कोई अच्छी योजना चलायी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि एक अच्छी लाइब्रेरी उनके नाम से अगर बनायी जाय तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूँगा। मैं सबकी बातों का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड में उनकी मृत्यु से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय अजय टम्टा, माननीय चन्दन राम दास जी के विचारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि माननीय नारायण राम दास जी एक संघर्षशील राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। जिस प्रकार से 1972 में भूमिहीन और मजदूर आन्दोलन का उन्होंने नेतृत्व किया तथा वर्ष, 1980 में स्थानीय समाचार पत्र "बागनाथ" का सम्पादन भी किया। इसके साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने प्रभावी योगदान दिया और ग्राम खोली में आदर्श जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की तथा विवेकानन्द विद्यामंदिर, बागेश्वर का उच्चीकरण करवाने के साथ ही बागेश्वर डिग्री कॉलेज की स्थापना में भी योगदान दिया। इससे स्पष्ट है कि वह मात्र राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, एक शिक्षाविद् भी थे, एक पत्रकार भी थे और मजदूर आन्दोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनका जन्म 25 मई, 1945 को बागेश्वर की पट्टी तल्ला कत्यूर के ग्राम खोली में हुआ था तथा उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से एम०ए० करने के पश्चात् वकालत की डिग्री तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष, 1977 में उन्होंने भारत सरकार की शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्रथम

स्थान प्राप्त किया, परन्तु वर्ष, 1980 में उन्होंने नौकरी से त्याग–पत्र दे दिया। उनके पिता का नाम श्री फकीरा दास व माता का नाम श्रीमती भानीरथी दास था। श्री नारायण राम दास एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान हेतु सदैव संघर्ष किया। इसके साथ–साथ वह राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष, 1997 में उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में उत्तराखण्ड विकास राज्यमंत्री तथा वर्ष, 1999 में आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात् वर्ष, 2000 में उत्तराखण्ड सरकार में काबीना मंत्री के रूप में उन्होंने समाज कल्याण, उद्यान, पंचायती राज तथा तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी सम्भाला और मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में तथा उत्तराखण्ड में मेरे साथ और भी अनेक विद्वान सदस्यों को उनके साथ रहकर काम करने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से नजदीक से उन्हें देखने के बाद मैं निःसंदेह कह सकता हूँ कि आज उनके निधन से जो क्षति [XXX] समाज की हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता की हुई है एक वंचित समाज के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उस रूप में उस कार्यकर्ता की हुई है। उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है। आप सब की भावनाओं के साथ–साथ अपनी भावना को भी व्यक्त करते हुए मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनके नाम से कोई एक ऐसी योजना या ऐसा संस्थान बनाया जाए जिससे उनकी चिर–स्मृति बनी रहे और हम उन्हें हमेशा याद कर सकें। मैं उनके परिवारजनों को सदन की भावनाओं से अवगत करा दूँगा। अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विभाग मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट :– [XXX] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार/कार्यवाही से हटाया गया।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, मैं, आपकी अनुज्ञा से 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संशोधन (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के अनुसमर्थन हेतु प्राप्त संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का सातवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का आठवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का नौवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2009 का दसवाँ अधिनियम बन गया।

(व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–58 में चर्चा करा ली जाय। चूंकि शून्यकाल चल रहा है, आज की सारी कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायी जाए। मान्यवर, शून्यकाल में कार्यस्थगन में हमेशा चर्चा होती है। यह तो पहले से ही निर्धारित है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो नियमों के आधार पर है। यह तो केवल लेइंग आइटम है। औपचारिक कार्य पहले हो जाये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह परम्परा रही है, शून्यकाल में नियम–58 पर चर्चा होनी चाहिए यह निर्धारित भी है,

श्री अध्यक्ष–

कार्यसूची में मद निर्धारित है। यह तो आज निर्धारित नहीं है, पहले से ही निर्धारित है, औपचारिक कार्य के विषय पहले हो जाया करते हैं।

सभापति, प्रवर समिति तथा संसदीय कार्य मंत्री ने प्रवर, समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की प्रवर समिति का प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की प्रवर समिति का प्रथम प्रतिवेदन मैं माननीय सदन के समक्ष रख रहा हूँ। इस प्रवर समिति जिसे इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009, हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 एवं पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 निर्दिष्ट किया गया था। उन पर इस प्रवर समिति का गठन माननीय सदन ने किया था, उसका प्रतिवेदन इस सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप सभी सहमत होंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतनी अपेक्षित है। अतः विधान भवन में प्रवेश हेतु जारी सभी प्रवेश–पत्र धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रवेश–पत्र के साथ अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र दिखाने में सहयोग प्रदान करें।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाय।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)](संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन के भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाए।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाए।

उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाए।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाए।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 की बैठक में दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर, 2009

21 (सोमवार) (1) औपचारिक कार्य।

(2) विधायी कार्य

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 से सम्बन्धित निम्नलिखित संकल्प का अनुसमर्थन–

"यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पहली सूचना श्री नारायण पाल की है जो कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत शक्तिगढ़ क्षेत्र की भूमि विसंगतियों को समाप्त कर वहाँ के निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री केदार सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' तथा श्री जोत सिंह गुनसोला की है जो कि महाकुम्भ के लिए बिना निविदायें आमन्त्रित कर निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है। ये दोनों सूचनायें अति महत्वपूर्ण हैं इसलिए ग्राह्यता के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी स्वीकार की थी।

श्री अध्यक्ष–

वह बात आ गई है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मेरी नियम–58 के अन्तर्गत सूचना को लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अवगत हैं कि ऊधमसिंह नगर में शक्तिगढ़ जो क्षेत्र है जहाँ पर करीब सवा लाख बंगाली समाज के लोग हैं, जो अब से पचासों साल पहले वहाँ पर आकर बसे थे और समय–समय पर उनको भूमि का अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये जाने की माँग यहाँ पर उठती रही है, साथ ही बंगाली समाज के जो लोग हैं, उनको अन्य प्रदेशों की भांति अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठती रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गवर्नमेण्ट एक्ट ग्राण्ट, 1895 के आधार पर यहाँ बसाया गया और यह सभी बंगाली समाज के जो लोग हैं, जो जमीनों के पट्टे इनको मिले थे उनका राजस्व वे लगातार देते आ रहे हैं और बहुत लम्बे समय से इनको मालिकाना हक भूमिधरी के अधिकार की माँग होती रही है और यह भी आपके संज्ञान में लाना है कि समय–समय पर हर राजनीतिक दलों के जो एजेंडे हैं, घोषणा–पत्र हैं और चुनावी जो वायदे हैं उसमें भी इनको भूमिधरी का अधिकार देने की बात हमेशा होती रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, दूसरे प्रान्तों में दर्जा दिया जा चुका है लेकिन यहाँ पर यह इस परिधि से वंचित हैं और जो इनके पट्टे हैं उन पट्टों पर आज भी उनका मालिकाना हक नहीं है तो न तो इनके बच्चों के लिए शिक्षा–दीक्षा, चिकित्सा के लिए ऋण मिल पाता है, न ही कृषि के लिए लोन मिल पाता है और न ही क्रय–विक्रय की अनुमति है और आज बहुत सारे लोग हैं लाखों लोग हैं, अगर आप संज्ञान लेंगे तो एक–आध हजार नौजवान बाहर बैठा है आज भी और लगातार बरसों से यह माँग चलती आ रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि उनको मालिकाना हक मिले, पिछले सत्र में भी यह मामला मैंने सदन में उठाया था, तो सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिला था कि एक कमिश्नर कुमाऊँ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी। मान्यवर, लेकिन एक साल व्यतीत होने के बाद भी न तो उस कमेटी ने कोई काम किया और न कोई जनमत संग्रह हुआ। अगर जनमत संग्रह होता तो उसमें लाखों लोग उठकर खड़े होकर कहते कि हमें मालिकाना हक चाहिए। आजाद भारत में जब हर तरीके से यहाँ रहने वाले लोगों को सुविधाएँ देने की बात होती है, उनको अधिकार देने की बात होती है तो इस आधुनिक परिवेश में लोगों को सरकार ने पूरी तरह से अपने अधीन बंधक बनाकर रखा है। मैं इस व्यवस्था का आपके माध्यम से विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से उम्मीद करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि बंगाली समाज के लोगों को मालिकाना हक मिले, जिससे कि वे पूरी तरह से अपनी आजादी की जिंदगी जी सकें। यही मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूँ।

राजस्व एवं शहरी विकास मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मसला तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बांगलादेश) से आये हुए 1841 विस्थापित परिवारों से सम्बन्धित है। इनको वर्ग–8 मौरूसी काश्तकार के रूप में पट्टा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पट्टेदार अपने जीवनयापन हेतु कृषि भूमि का उपयोग कर सकता है एवं प्राप्त भूमि को किसी रूप में हस्तान्तरित न कर सके। जीवनयापन हेतु इन पट्टों पर पट्टेदारों को आनुवांशिक, जब तक उसका वंश चलता रहेगा उसका वहीं अधिकार रहेगा। वह इस भूमि का उपयोग करेगा। जीवनकाल

तक इन पट्टेधारकों को आनुवांशिक अधिकार उपलब्ध हैं। इस प्रकार वर्तमान तक वे परिवार इस भूमि का उपयोग अपने जीवनयापन में कर रहे हैं। मान्यवर, जहाँ तक कुमाऊँ कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के वायदे की बात है तो वह कमेटी बनायी गयी है, इस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। यह रिपोर्ट शासन में आ चुकी है और इस पर जल्दी फैसला हो जायेगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ग–4 की भूमि की बात कर रहा हूँ (व्यवधान)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, पिछली बार मैंने नियम–58 के अन्तर्गत इस विषय को चार बार रखा था और इसे आपने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपने हमें ग्राहयता पर सुनने का मौका दिया है (व्यवधान) माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत सारा अध्ययन करके आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना को ग्राहयता पर सुन लिया है। कृपया आप लोग बैठ जायं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नारायण पाल और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राहय करता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जब तक वे अपने स्थान पर नहीं चले जाते।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, नियम–58 की सूचना पर अपनी बात रखें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करिये।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान तो ग्रहण करिये।

('वेल' पर खड़े माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री शहजाद–

मान्यवर, पिछली सरकार के दौरान तो एक विधायक जी के सिर में पट्टी भी बंधी थी, आज वह स्थिति तो नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आजकल नेता बसपा को पट्टी ज्यादा पसन्द है, वे चाहते हैं कि विधायक सदन में पट्टी बांधकर आयें, तो ही वे मानेंगे कि लाठीचार्ज हुआ है। (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

मान्यवर, मैं तो 10 दिन के लिये हॉस्पिटल में भी रहा था, उस चोट का घाव आज भी मेरे माथे पर है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसलिये मैं माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ कि इस लाठी की पीड़ा को समझिये। जब आपको लाठी पड़ी थी तो आपको पीड़ा हुई थी, यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है, न जाने किस दिन और फिर से लाठी पड़ जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्यगण चाह क्या रहे हैं, यह तो पता चल जाय। इनकी माँग क्या है, अभी तो यह पता ही नहीं चला है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बता देता हूँ कि हम क्या चाह रहे हैं, यदि पन्त जी को लगता है कि माननीय विधायकों को सड़क पर पुलिस के अधिकारी रोकें और वह बहुत उचित बात है, तो मान्यवर, हमको कुछ नहीं कहना है। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लगता है कि विधायकों को पुलिस के अधिकारी सड़क पर रोकें और कहें कि हम आपको सदन में नहीं जाने देंगे। मैं नाम लेकर बताना चाहता हूँ कि शाहजहाँ अंसारी ने हम पाँच विधायकों को रोककर कहा कि आपको नहीं जाने दिया जायेगा। उसके बाद महेश चन्द्र नाग के सब इंस्पेक्टर ने हमारे पाँच विधायकों से कहा कि आपको नहीं जाने दिया जायेगा और माननीय विधायक जी का गला पकड़ने तक की कोशिश की। पुलिस इस कदर निरंकुश हो चुकी है कि शांतिपूर्ण और सामान्य प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बर

लाठीचार्ज किया जाता है। इस प्रदेश में पुलिस आज निरंकुश हो चुकी है, पुलिस जहाँ चाहे वहाँ पर सरकार के संरक्षण में लोगों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रही है और उसके बाद भी हम वहाँ पर अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। इस तरह का आचरण पुलिस वाले करें और हम इस बात को भी सदन में आकर नहीं कह सकते तो मान्यवर, कहाँ कहेंगे, आप बताइये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, आप सारी बातें बता दीजिये, जो आप कहना चाहते हैं, कह दीजिये।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या बतायें, इससे ज्यादा क्या बतायें, क्या यह बतायें कि वह अधिकारी कितने फुट की थी, उसका रैंक क्या था, वह काली थी या गोरी थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी......।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या बतायें कि वह अधिकारी कैसा था......।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का पक्ष भी आने दीजिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

*श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, पहले हमारी बात तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश जी की बात आ गयी है। माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने अपने साथ आप सबकी बात कह दी। (व्यवधान) सब का नाम लेकर माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने बता दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। आप हमारी बात तो सुन लीजिए। आज हमारी पार्टी का शान्तिपूर्ण तरीके से विधान सभा घेराव था। उस घेराव में काँग्रेस के जितने भी विधायक हैं, सब सम्मिलित होने गये। प्रदर्शन के दौरान जब हम विधान सभा आ रहे थे तो मैं, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय जोत सिंह गुनसोला जी और माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, हम एक गाड़ी में बैठकर आ रहे थे और जब हम विधान सभा की ओर आने लगे तो बाईपास रोड पर एक अधिकारी, जिनका नाम अभी माननीय सदस्य ने लिया, डी०एस०पी० रैंक की अधिकारी होंगी, हमारी गाड़ी रोकी। हमने ये कहा कि सदन के अंदर जा रहे हैं हम विधायक हैं, सदन के अंदर जा रहे हैं, हमें विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना है, उक्त अधिकारी ने हमको वहाँ पर जबरन रोकने का काम किया है। जब हम आगे बढ़ने लगे तो उक्त अधिकारी ने हमसे जिस तरीके का बर्ताव किया, वो निश्चित रूप से अशोभनीय है। आज हमारे सत्ता पक्ष के बहुत से साथी कह रहे थे कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है। ये प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये प्रश्न इस सदन के सम्मानित विधायक का है, सदन के सम्मानित सदस्य का है, सम्मानित सदस्य की गरिमा पर कोई अधिकारी इस तरीके का कृत्य करे तो निश्चित रूप से वो दण्डनीय अपराध है और एक घटना ये हुई, दूसरी घटना जिसका उल्लेख अभी माननीय केदार सिंह रावत जी करेंगे, अलग से घटना हुई। तो श्रीमन्, अगर पुलिस अधिकारी इतने निरंकुश हो जाएं, वो विधायकों का सम्मान न करें, वो विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का काम करें तो निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर विषय है और मैं तो चाहता हूँ इस पर सदन की कार्यवाही आप रोकें और इसमें चर्चा होनी चाहिए। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। यह आज सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है।

आज प्रश्न इस सदन के सम्मानित सदस्य का है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके का व्यवहार उक्त अधिकारी ने किया, मैं तो ये चाहूँगा कि सदन से उक्त अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कोई न कोई आपकी पीठ से ऐसा निर्णय आना चाहिए। जिस निर्णय के आधार पर भविष्य में कभी भी कोई अधिकारी ऐसा दुस्साहस करने का काम न कर सके, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरा आपसे निवेदन है। अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे केदार सिंह रावत जी, जिनके साथ जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी ने गला पकड़ने का काम किया। किशोर उपाध्याय जी के पैर में चोट आई, वे भी अपनी बात का जिक्र करेंगे। इसलिए श्रीमन्, हम ये चाहते हैं कि संसदीय परम्परा बनी रहे, पक्ष और विपक्ष होता रहेगा, कभी हम उधर होंगे, कभी आप इधर होंगे, पहले हम उधर थे, आप इधर थे, आज आप उधर हैं, हम इधर हैं, कल हम उधर होंगे, आप इधर होंगे, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधायकों का सम्मान होना चाहिए, विधायिका का सम्मान होना चाहिए। माननीय मीना जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब आप इधर होंगे, अगर आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई पुलिस अधिकारी करेगा तो निश्चित रूप से आप भी आहत होंगे, आप भी चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ, जो विधायिका का सम्मान न कर सके, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, बात आ गई आपकी।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जब हम अपनी पार्टी के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने के बाद विधान सभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए इस माननीय सदन मे आ रहे थे। मान्यवर, मैं और माननीय श्री रणजीत सिंह रावत जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, माननीय श्री करन मेहरा जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी को रिस्पना पुल पर श्री महेश चन्द्र, शायद एस0आई0 हैं उनके साथ वहाँ पर और भी पुलिस के अधिकारी–कर्मचारी थे उन्होंने जबरदस्ती हमें वहाँ पर रोका, हमने उनको परिचय भी दिया कि हम सब लोग विधायक हैं और सदन की कार्यवाही में भाग लेने जा रहे हैं। इसके बाद भी उस पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और कॉलर पकड़ने की कोशिश की गई। मान्यवर, यह माननीय सदस्यों की गरिमा का प्रश्न भी है और सदन में आने से रोकने के सवाल पर विशेषाधिकार हनन का भी प्रश्न है, इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों। यह कुल मिलाकर सदस्य की गरिमा और विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस गम्भीर विषय का संज्ञान लेते हुए हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अपनी बात रख दी है। माननीय सदस्य दिनेश अग्रवाल को मैंने अनुमति दी थी और माननीय सदस्य केदार सिंह रावत जी ने अपनी बात रख दी है और आपकी बात भी रख दी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी बात रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप मेरा पैर देख लें, मैं तो आपके समक्ष हूँ। जब हम यहाँ से गये हमारे नेता प्रतिपक्ष डा० हरक सिंह रावत जी भी हमारे साथ थे, जब हम लोग वहाँ जाने लगे तो हमने उनसे कहा कि हमको प्रदर्शन में थोड़ा जाना है तो पुलिस वालों ने हमें रोक दिया, हमको वहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। धरने पर जब हम लोग वहाँ पर बैठे तब हमको अपने साथियों के साथ वहाँ पर से जाने दिया गया। तब यह बात हुई थी कि जब आप सदन में जाने के लिए आयेंगे तो हम आपको रास्ता दे देंगे।

मान्यवर, जब मैं और माननीय डा० हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह जी तथा दिनेश अग्रवाल जी आने लगे तो पुलिस वालों ने इतने धक्के दिये कि मैं अगर गिर गया होता तो, और मुझे दिनेश अग्रवाल जी ने सम्भाला नहीं होता तो मैं यहाँ मर गया होता और जिस तरह से हमें यहाँ पर ठोकरें मारी गई, मान्यवर, आप डॉक्टर को बुलाकर चैक करा लीजिए। मान्यवर, इस तरह की हालत होगी तो इस प्रदेश में, इस प्रजातंत्र में किस तरह से विधायक लोग काम करेंगे। मान्यवर, अब डॉ० हरक सिंह रावत जी भी आ गये हैं। अभी जो भयंकर लाठीचार्ज वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर किया गया है, हमारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखने आये थे। यह सरकार जिस तरह से प्रदेश का शोषण कर रही है और प्रदेश को बर्बाद कर रही है। मान्यवर, इस तरह का व्यवहार होगा तो क्या गरिमा रह जायेगी विधायकों की?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से रख दी है।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना इतनी तात्कालिक और गम्भीर है जो उत्तराखण्ड के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जायेगी।

***श्री खजान दास–**

मान्यवर, 13 दिसम्बर, 2003 की घटना याद है।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप तो नकली पट्टी बांधकर सदन के अन्दर आये थे। (कोई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बात कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा था, मेरे एक्सरे हैं और एम०आर०आई० है। (घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यों अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने शब्दों को वापस लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम लिया है उन्हें बोलने का अवसर तो दें।

(घोर व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक न्यायिक जाँच नहीं हो जाती तब तक मैं 'वेल' पर आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ पानी भी नहीं लूँगा।

(नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में आकर बैठ गये।)

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकों ने जो अपनी बात रखी है। मैं पहले भी कह रहा था, मेरा मकसद माहौल को सिर्फ हल्का करना था। चोट भले ही हमारे रावत जी को कम लगी हो या ज्यादा लगी हो, यह अलग घटना है। लेकिन आज विधान सभा में आते हुए, जो विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यह वाकई बहुत ही गम्भीर है, निन्दनीय है हम उसकी निन्दा करते हैं। अगर कोई विधायक का गिरेबान पकड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं, हमारे। हम अपनी बात कहें। अगर विधान सभा में आते हैं और विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या कहीं भी होता है। मैं समझता हूँ इससे निन्दनीय घटना और कोई नहीं हो सकती है। अधिकारी चाहे महिला हो या पुरूष हो आज उसके खिलाफ इस सदन में कार्यवाही होनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, चूँकि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों द्वारा जो घटना की जानकारी यहाँ पर उपस्थित होकर उपलब्ध कराई गई है। मैं इस सम्पूर्ण घटना का विस्तृत विवरण सदन के सम्मुख रखूँगा और उसके उपरान्त सदन के विचारार्थ वह विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम माननीय सदस्यगणों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी घटना हुई है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त मैं सदन के विचारार्थ वक्तव्य प्रस्तुत करूँगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् बैठे रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यगणों द्वारा कही गयी बातों का संज्ञान ले लिया गया है और उस पर विस्तृत रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, कह तो दिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज ही उपवेशन समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, चूँकि सरकार अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी और उसमें अगर आपको कहीं पर इत्तेफाक न हो तो यह हथियार आपके पास तब भी है, अगर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें तो ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 4:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 5:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 5:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 6:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 6:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 7:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 7:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 8:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 8:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 9:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 9:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 9:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 10:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नेता सदन द्वारा कॉग्रेस की विधान सभा घेराव रैली में घटित घटना की जाँच

(नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पूर्व से ही 'वेल' में बैठे थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

मान्यवर, आज कॉग्रेस पार्टी का पूर्व घोषित कार्यक्रम था और इस के तहत ही आज कॉग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता डा0 हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक जुलूस श्रीमन्, धर्मपुर की ओर से विधान सभा की ओर आ रहा था। श्रीमन्, जिसे नेहरू कालोनी स्थित बैरियर के पास पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया और जुलूस में से श्रीमन्, बहुत कुछ लोग जबरदस्ती बैरियर पर चढ़कर बैरियर को भी पार करने की कोशिश करने लगे और स्वयं ही बैरियर से इस प्रयास में श्रीमन्, वो बैरियर से गिरे और जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें आयी हैं।

इसमें 09 पुलिस कर्मी भी चोटिल हो गये। श्रीमन्, यह व्यवस्था जनित कार्यक्रम जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के नेतृत्व में बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ इस दौरान न कोई लाठीचार्ज हुआ है और न किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना सामने आयी है। श्रीमन्, इसी बीच लगभग 02:30 बजे बाईपास रोड स्थित बैरियर पर एक सैन्ट्रो कार यू0पी0–07ए0–7000, पहुँची इसमें ड्राईवर सहित छः लोग सवार थे। वो विधान सभा की ओर आ रहे थे क्योंकि विधान सभा के 300 मीटर के परिक्षेत्र में धारा–144 लगी थी इसलिए उस गाड़ी को वहीं पर रोक लिया गया। जाँच–पड़ताल के बाद जब श्रीमन्, यह पता चला कि उसमें हमारे माननीय विधायकगण हैं तो उसके बाद ससम्मान उन्हें विधान सभा की ओर आने दिया गया। श्रीमन्, इसी दिन लगभग 02:45 बजे तीसरी घटना हुई जिसमें 10–15 लोग विधान सभा की ओर आ रहे थे, उनको बैरियर पर रोका गया और बैरियर पर रोकने के बाद श्रीमन्, जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो जाँच–पड़ताल के बाद, और वहाँ पहुँचे माननीय तिलकराज बेहड़ जी द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी पहचान पर उन लोगों को भी अन्दर, विधान सभा में प्रवेश करने के लिए ससम्मान कहा गया। श्रीमन्, वहाँ ड्यूटी पर नियुक्त कानूनव्यवस्था, क्लेमेनटाउन थे और पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही शिष्टाचार और गरिमा का भी ध्यान रखने की पूरी कोशिश की गई। श्रीमन्, मैंने लगभग डेढ़ से दो घंटे तक इस पूरे कार्यक्रम की सी०डी० देखी है अतः श्रीमन्, मैं भरोसे के साथ आपको यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने वहाँ बहुत धैर्य व गम्भीरता का परिचय दिया। उस सारे कार्यक्रम की सी०डी० देखने के बाद श्रीमन्, मैं चाहूँगा कि यदि आपका आदेश हो श्रीमन्, (डा० हरक सिंह रावत जी के 'वेल' में बैठे–बैठे कुछ कहने पर) (व्यवधान) मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि (व्यवधान) श्रीमन्, ये तो देखने की बात है। श्रीमन्, यदि नेता प्रतिपक्ष यह कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं फिर जोर देकर कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उसकी पूरी वी०डी०ओ० क्लीपिंग देखी। श्रीमन्, सरकार ही नहीं, किसी भी टी०वी० चैनल ने कहीं भी नहीं दिखाया है कि कहीं भी लाठीचार्ज हुआ है। (व्यवधान) श्रीमन्, जो नेता प्रतिपक्ष कहना चाहते हैं, यह बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं है। यदि नेता प्रतिपक्ष यह कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो इसकी जाँच कराने को सरकार तैयार है इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। श्रीमन्, हम इसकी जाँच कराने को तैयार हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, मैंने पूरी वी०डी०ओ० क्लीपिंग को देखा है, पूरे एक–एक विषय को देखा है। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि ये कहते हैं तो सरकार इसकी जाँच कराने को तैयार है, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वह मैंने आपके संज्ञान में दे दी है। (व्यवधान) (नेता प्रतिपक्ष द्वारा 'वेल' में बैठे–बैठे कुछ कहने पर) इसीलिए तो मैं जाँच करवा रहा हूँ। (व्यवधान) श्रीमन्, ये जो दो–तीन बिन्दु कह रहे हैं कि पहले यह तय कर लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। हम तो जाँच करने के लिए तैयार हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी सूचना के आधार पर जाँच के लिए कह तो रहे हैं।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सूचनायें संग्रहीत हुई हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष यह कहना चाहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए उसकी जाँच कराने को कह रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, मैं तो नहीं था मेरे पास जो सूचना आई है और इस सूचना के आधार पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। यदि यह कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो यह जाँच का विषय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को, कि मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर वह बात को कह रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को कि उन्हें जो सूचना प्राप्त हुई है उसी के आधार पर कह रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो सूचना मुझे प्राप्त होगी उसी को तो मैं सदन के सम्मुख रखूँगा। श्रीमन्, यदि मैं आश्वस्त होता तो जाँच की बात मैं क्यों करता। श्रीमन्, यह सरकार यदि आश्वस्त होती और आपका सम्मान न करती तो हम जाँच की बात ही क्यों करते? श्रीमन्, यह कहा गया कि सूचना जो प्राप्त हुई है, वह यह है और जो मैंने क्लीपिंग देखी है, उसकी जानकारी भी है। लेकिन यदि इस पर संतुष्ट नहीं हैं तो यह सरकार जाँच को तैयार है। कार्यवाही में भी यह अंकित है कि सूचना प्राप्त हुई है। आप ही की सूचना के आधार पर जाँच की बात हो रही है सदस्यों का सम्मान और उनकी सूचना प्राप्त होने के बाद ही यह जाँच की बात आई है।

(घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष यहाँ आये हालत वाकई बहुत खराब थी। रावत जी भी देख रहे हैं इनकी हालत, हमने भी देखी है। आज भी काफी हालत खराब थी। इनसे पहले जिन माननीय विधायकगणों ने अपनी बात रखी उन्होंने भी अपनी बात कही है। अगर दुर्व्यवहार न हुआ होता तो माननीय विधायकगण इतने भावुक होते? लेकिन चूँकि इस मसले को निपटाना है और सदन भी चलाना है। जो भी बात माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में हुई है, मैं समझता हूँ सीधा उसी आधार पर काट–काट कर इस मसले का समाधान कर दें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह सरकार माननीय विधायकगणों का पूरा सम्मान करती है। सरकार अपने नेता प्रतिपक्ष का भी बहुत सम्मान करती है। श्रीमन्, हम तो परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। (हँसी)। मैं ही नहीं कह रहा हूँ इन्होंने स्वयं अपने भाषण में भी यदा–कदा कहा ही है कि हम लोगों की बहुत निकटता है। इसलिए श्रीमन्, जब मुझे पता चला कि नेता प्रतिपक्ष जी ने यह निर्णय लिया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा।

(वेल में खड़े होकर माननीय किशोर उपाध्याय जी के यह कहने पर कि जिस स्कूटर में आप दोनों घूमते थे वह स्कूटर हमें भी दिला दीजिए।) (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

मानीय किशोर जी, जिस स्कूटर में यह बैठते थे उसमें एक चलाता था दूसरा धक्का मारता था। (हँसी)।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय किशोर उपाध्याय जी को मैं 1983 से जानता हूँ। वह भी हमारे पुराने मित्रों में हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, श्रीमन्, आज हम इधर बैठे हैं कल कोई दूसरा बैठेगा। हम सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का अपमान करने का किसी को भी हक नहीं है। श्रीमन्, जिसकी मेरे कक्ष में अभी चर्चा हुई थी। माननीय तिलक जी और आदरणीय श्री दिनेश जी ने बताया ये दोनों घटना मेरे संज्ञान में अभी आयी हैं। इसलिए हमको यह लगा कि वैसे यह अलग बात थी कि यदि विधायक को विधान सभा की कार्यवाही में आने से रोकने का है। वैसे तो यहाँ पर नियम–64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का भी प्रस्ताव आया, एक विषय वह भी था। लेकिन मुझे लगता है कि सारे घटनाक्रम को आद्योपरान्त देखा जाय तो कुछ विरोधाभासी बातें सामने आयी हैं। इसलिए श्रीमन्, हमने यह तय किया है आपका आदेश हो और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष से और माननीय सभी सदस्यगण, से कि इस पूरे घटनाक्रम की हम जाँच करायेंगे और जाँच कराने तक, चूँकि माननीय दिनेश जी हमारे वरिष्ठतम विधान सभा के सदस्य हैं और माननीय केदार सिंह रावत जी ने जिस बात को कहा है। चूँकि आपने अपनी भी बात को कहा है हमारे विधायकगण की भी बात है वह भी आ जाय। इसलिए ये दोनों कर्मचारी, जिसमें से एक अधिकारी है उसमें से जो सी०ओ० है उसको डी०जी०पी० के साथ जाँच तक सम्बद्ध करते हैं और जो पुलिस का दूसरा कर्मी है उसको हम एस०एस०पी० के साथ सम्बद्ध करते हैं। इस पूरे घटना क्रम की जाँच को मजिस्ट्रेटी के लिए कहा था, लेकिन माननीय तिलक जी का और नेता प्रतिपक्ष जी का कहना है कि कमिश्नर से करायें तो हम जाँच कमिश्नर को देने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जाँच करायेंगे। (तालियों की थप–थपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें। (व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा जो सूचना आज के लिए निर्धारित थी, वह सूचना कल दोबारा दे दें। चूँकि कल और सूचनायें भी आयेंगी तो दिक्कत आ जायेगी इसलिए वे सूचनाएँ कल दोबारा दे दें। उनको कल टेक–अप कर लेंगे।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा प्रस्तावित संशोधन जैसा कि संसद के दोनो सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है, पर संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान' (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान' (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल दो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना शिक्षा विभाग में कार्यरत उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को उनके मूल स्थान में भेजने के संबंध में श्री यशपाल बेनाम की है। दूसरी सूचना जनपद अल्मोड़ा के देघाट नामक स्थान में उच्च स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की है। मैं इनमें से श्री यशपाल बेनाम की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र

दिनांक: 21 दिसम्बर,2009 सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी–'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–24–25 पर)

जनपद देहरादून के उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के नाम व पता

1.	श्री उमाकान्त त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती यशोदा उर्फ ज्योति त्रिपाठी, मसूरी।	2,40,000/
2.	श्रीमती जमुना बंगारी, पत्नी श्री राम सिंह, मसूरी।	10,00,000/
3.	श्रीमती शान्ति ममगाई, पत्नी स्व0 श्री मदनमोहन, मसूरी।	10,00,000/
4.	भगवान सिंह, पुत्र श्री जवाहर सिंह, मसूरी।	10,00,000/
5.	श्रीमती प्यारी देवी, पत्नी स्व0 श्री धनपत सिंह	10,00,000/
6.	श्री भगवान सिंह मसूरी	10,00,000/
7.	श्री धर्मसिंह मसूरी	10,00,000/
8.	श्रीमती इन्दिरा वालिया, पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश, देहरादून	10,00,000/
9.	श्रीमती आनन्दी देवी, पत्नी स्व0 श्री महिन्द्र सिंह देहरादून	10,00,000/
10.	श्रीमती धनकुमारी, पत्नी स्व0 श्री जीवालू	10,00,000/
11.	श्री वाचस्पति बड़ी, अजबपुर, देहरादून	10,00,000/
12.	श्री कुन्दन सिंह रावत, देहरादून	10,00,000/
13.	श्री दर्शन लखेड़ा, देहरादून	10,00,000/
14.	कुमारी देवी, पत्नी स्व0 श्री जीत सिंह	2,40,000/
15.	श्री महावीर सिंह नेगी, देहरादून	10,00,000/

जनपद–देहरादून।

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
1.	श्री वी0 पी0 थापा, पुत्र स्व0. श्री भगत बहादुर थापा,नि0 जाखन देहरादून।	50,000/–
2.	श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री टेटराम, नि0 समर हाऊस,मसूरी	50,000/–

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
3.	श्री मदन सिंह, पुत्र श्री नारायणसिंह,नि0 हैकमन्स कम्पाऊण्ड, मसूरी।	50,000/-
4.	श्री गब्बरसिंह, पुत्र श्री तारासिंह,नि0 हैकमन्स कम्पाऊण्ड,मसूरी।	50,000/-
5.	श्री दिनेश, पुत्र श्री प्रेमदत्त, नि0 प्रेम होटल,कुलड़ी,मसूरी।	50,000/-
6.	श्री रवि वर्मा, पुत्र श्री कपूर चन्द,नि0 276 लण्ढौर, मसूरी।	50,000/-
7.	श्री रामदयाल, पुत्र श्री बनारसी दास, नि0शिवभवन, कुलड़ी, मसूरी	50,000/-
8.	श्री रतन प्रसाद, पुत्र श्री भगवतीप्रसाद, नि0 सनोव्यूएस्टेट, मसूरी	50,000/-
9.	श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री भोलो सिंह, नि0 अमित निवास मसूरी	50,000/-
10.	श्री अमीरचन्द, पुत्र श्री कपूर चन्द्र, नि0 लण्ढौर बाजार, मसूरी	50,000/-
11.	श्री वीरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री मस्तीसिंह, नि0 मजदूर बस्ती, मसूरी	50,000/-
12.	श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री मोहनसिंह, नि0 सर्विस स्टेशन, बालीगंज, मसूरी	50,000/-
13.	श्री हरीसिंह, पुत्र श्री रामचन्द, नि0 हुसैन गंज मसूरी	50,000/-
14.	श्री गजपालसिंह नेगी, पुत्र श्री जबरसिंह नेगी, नि0 राज बिल्डिंग, कुलड़ी मसूरी	50,000/-
15.	श्री गोपालसिंह रावत, पुत्र श्री बख्तावरसिंह रावत,नि0 गाँधीचौक, मसूरी,देहरादून।	50,000/-
16.	श्री प्रेमसिंह, पुत्र श्री गोपालसिंह, नि0 मलीनगार काटेज,गाँधी चौकी, मसूरी, देहरादून।	50,000/-
17.	श्री दिनेश पंवार, पुत्र श्री भावसिंह, नि0 समर हाऊस,मसूरी	50,000/-
18.	श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री जोधसिंह, नि0 बालीगंज, मसूरी	50,000/-
19.	श्री मक्खराम, पुत्र श्री नन्दीराम,नि0 मसूरी, देहरादून	50,000/-
20.	श्री बलवन्तसिंह, पुत्र श्री मातबरसिंह, नि0 रावतकोटेज,मसूरी	50,000/-
21.	श्री कौशल कुमार, पुत्र श्री गोपालदास, नि0 माल रोड, मसूरी	50,000/-
22.	श्री पवन प्रकाश, पुत्र श्री ओमप्रकाश, नि0 झड़ीपानी, मसूरी	50,000/-

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
23.	श्री उमेदसिंह, पुत्र श्री बचनसिंह, नि0 हवर्ड, मालरोड,मसूरी	50,000/-
24.	श्री सतीश काला, पुत्र श्री चक्रधर, नि0 होटल बैलन, मालरोड,मसूरी	50,000/-
25.	श्री प्रेमचन्द्र, पुत्र श्री तिलकराम, नि0 राजभवन, कुलड़ी, मसूरी	50,000/-
26.	श्री पूरनसिंह, पुत्र श्री चन्दर सिंह, नि0 6/1 नई बस्ती बालगवाला,	50,000/-
27.	श्री भवनीत वशोनी, पुत्र श्री खिलानन्द, नि0बार्लोगंज, मसूरी	50,000/-
28.	श्री राधेश्याम, पुत्र श्री ओमप्रकाश, नि0 शंकर भवन, लण्ढौर,मसूरी	50,000/-
29.	श्री भगवतीप्रसाद, पुत्र श्री विशम्भरदत्त,नि0 सरकुलर रोड,मसूरी	50,000/-
30.	श्री बच्चीराम, पुत्र श्री गोविन्दराम, नि0 रिवधर पैलेस, मसूरी	50,000/-
31.	श्री धनीराम, पुत्र श्री जगतराम, नि0 हिमालय क्लब, मसूरी	50,000/-
32.	श्री शिवप्रसाद, पुत्र श्री सालिग राम, नि0 मधुकाटेज, मसूरी	50,000/-
33.	श्री हिम्मतसिंह, पुत्र श्री मातबरसिंह, नि0 बार्लोगंज, मसूरी	50,000/-
34.	श्री जयप्रकाश, पुत्र श्री सोहनलाल, नि0 पर्वती भवन, मसूरी	50,000/-
35.	श्री हुकमसिंह, पुत्र श्री गोपालसिंह, नि0 लण्ढौर, मसूरी	50,000/-
36.	श्री दिनेश, पुत्र श्री इन्द्रमणि, नि0 बालबार, मसूरी	50,000/-
37.	श्री सुरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री गोकुलसिंह, नि0 डुग्गलविला, मसूरी	50,000/-
38.	श्री विजय प्रकाश, पुत्र श्री जसोदाराम,नि0 श्यामनिकेतन, मसूरी	50,000/-
39.	श्री कुंवरसिंह, पुत्र श्री कलमसिंह, नि.0 मोतीबेगम, मसूरी	50,000/-
40.	श्री जोतसिंह, पुत्र श्री बुलकसिंह, नि0 7/8 लाईब्रेरी बाजार,मसूरी	50,000/-
41.	श्री देवदत्त, पुत्र श्री दुर्गादत्त, नि0मोतीबेगम, मसूरी	50,000/-
42.	श्री वीरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री जोतसिंह, नि0 वासनिक,लाईब्रेरी,मसूरी	50,000/-
43.	श्री विनोदसिंह, पुत्र श्री मोलासिंह, नि0 अमृत निवासी, मसूरी	50,000/-
44.	श्री सुरेन्द्रदत्त, पुत्र श्री नन्दकिशोर, नि0 निरमा हाऊस,मसूरी	50,000/-
45.	श्री कमल भण्डारी, पुत्र श्री धोपालसिंह, नि0 मसूरी, देहरादून	50,000/-
46.	श्री देवी गोदियाल, पुत्र श्री पिताम्बरदत्त, नि0 वैष्णविक लॉज, बस स्टैण्ड, मसूरी	50,000/-

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
47.	श्री बचन सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह, नि0 राधाभवन, मसूरी	50,000/–
48.	श्री उमेश, पुत्र श्री मोतीलाल, नि0 हिलक्वीन, मसूरी	50,000/–
49.	श्री मातबरसिंह, पुत्र श्री दुर्लभसिंह, नि0 22/3 इन्दिरा कालौनी, देहरादून।	50,000/–
50.	श्री दिलीप कुमार, पुत्र श्री रामनाथ, नि0 3 स्टेशन कालोनी, रेलवे, देहरादून।	50,000/–
51.	श्री प्रेमसिंह, पुत्र श्री रवीसिंह, नि0 62 नालापानी रोड, देहरादून कालोनी, देहरादून।	50,000/–
52.	श्री इन्द्रजीत, पुत्र श्री हरचरण, नि0 214– चुक्खूवाला, देहरादून	50,000/–
53.	श्री रघुवीरसिंह, पुत्र श्री जयसिंह, नि0 19–कैवल बिहार,सहस्त्रधारा रोड,देहरादून।	50,000/–
54.	श्री अजय सिंह, पुत्र श्री उदयसिंह, नि0 19 बकरालवाला,देहरादून	50,000/–
55.	श्री राधेश्याम, पुत्र श्री रामेश्वर वर्मा, नि0 13/7 नेशविला रोड बकरालवाला, देहरादून।	50,000/–
56.	श्री राज, पुत्र श्री दीवान सिंह, नि0 40 अहीर मण्डी, कोतवाली, देहरादून।	50,000/–
57.	श्री सुभाष, पुत्र श्री रामलखन, नि0 56डोभालवाला, देहरादून	50,000/–
58.	श्री पंकज, पुत्र श्री गंगाशरण, नि0 37 चकराता रोड,देहरादून	50,000/–
59.	श्री माइकल डेविड, पुत्र श्री सी0डेविड, नि0 क्रिश्चियन कालोनी, 51–सी राजपुर रोड,देहरादून	50,000/–
60.	श्री विक्की डेनियल, पुत्र श्री पी0डी0 पाल,100/6 नेशविला रोड, देहरादून।	50,000/–
61.	श्री रमेश शर्मा, पुत्र श्री अश्वनी कुमार, नि0 69–मन्नूगंज,देहरादून	50,000/–
62.	श्री हरनेन्द्रसिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, नि0 190/1 चुक्खूवाला,देहरादून	50,000/–
63.	श्री ओमप्रकाश, पुत्र श्री नरहरिदत्त नि0 81/85 ब्राह्मणमौहल्ला,देहदून	50,000/–
64.	श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री श्याम कुमार, नि 110 मच्छीबाजार,देहरादून	50,000/–
65.	श्री सौरभ, पुत्र श्री आई0एम0 नैरोला, नि0 110 अंसारी रोड,देहरादून	50,000/–

क्र०सं०	नाम व पता	धनराशि
66.	श्री आकाश ग्रोवर, पुत्र श्री कश्मीरी लाल, नि० 43 डी०ए०वी०कालेज रोड, देहरादून	50,000/-
67.	श्री संजय, पुत्र श्री नन्हे गोयल, नि० फेज नं०99 चोरखाला, बल्लुपुर देहरादून	50,000/-
68.	श्री अनिरुद्ध मिश्रा, पुत्र श्री हरप्रसाद मिश्रा, नि० 43 डी०ए०वी०कालेज रोड, देहरादून	50,000/-
69.	श्री राकेश नन्दा, पुत्र श्री नानकचन्द्रा, नि० 27 मन्नूगंज कोतवाली, देहरादून	50,000/-
70.	श्री बृजपाल, पुत्र श्री भगवान सिंह, नि० 12 मन्नूगंज, देहरादून	50,000/-
71.	श्री अम्बिका प्रसाद, पुत्र श्री हीरामणी, नि० 63एफ कालीदास रोड, देहरादून।	50,000/-
72.	श्री राकेश कुमार, पुत्र श्री विशेश्वरप्रसाद सेमवाल, नि० सिनोला,राजपुर	50,000/-
73.	श्री सोनू, पुत्र श्री श्री रानीजोन, नि० 14 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	50,000/-
74.	श्री बलवन्तसिंह रावत, पुत्र श्री रेवतसिंह रावत,नि० 45 वनविहार, बल्लूपुर, देहरादून	50,000/-
75.	श्री मदन कुमार, पुत्र श्री प्रेम कुमार, नि० 11 ऋषिनगर, सहस्त्रधारा रोड अधोईवाला देहरादून	50,000/-
76.	श्री राज, पुत्र श्री द्वारिकानाथ, नि० 164/5 लोनिया मौहल्ला,देहरादून	50,000/-
77.	श्री प्रदीप, पुत्र श्री नन्हू,नि० चुक्खूमौहल्ला,शौचालय के पास,देहरादून	50,000/-
78.	श्री इस्तकार,पुत्र श्री बशीर अहमद, नि० 267 चुक्खूमौहल्ला, देहरादून	50,000/-
79.	श्री संजय गौड, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, नि० 582 खुडबुडा मौहल्ला देहरादून	50,000/-
80.	श्री नरेन्द्र राणा, पुत्र श्री पदमसिंह, नि० 90 डी०डी० मानवाला,दे०दून	50,000/-
81.	श्री विनोद चमोली, पुत्र श्री चन्द्रमोहन, नि० 30 नेहरू कालोनी,देहरादून	50,000/-
82.	श्री वीरेन्द्र पोखरियाल, पुत्र श्री फतेसिंह, नि० 50 गांधीरोड, देहरादून	50,000/-
83.	श्री संदीप पटवाल, पुत्र श्री एस० पटवाल,नि० 76/11 डालनवाला राजपुर रोड, देहरादून	50,000/-

क्र०सं०	नाम व पता	धनराशि
84.	श्री राजेन्द्रसिंह शाह, पुत्र श्री गुरबक्शसिंह, नि० ग्राम रैणापुर, ऋषिकेश	50,000/-
85.	श्री देवेन्द्र उर्फ कल्लू, पुत्र श्री ओमप्रकाश, नि० लण्ढौर, मसूरी	50,000/-
86.	श्री कालमसिंह रावत, पुत्र श्री डालूसिंह रावत, नि० भट्टागाँव,मसूरी	50,000/-
87.	श्री बालक राम, पुत्र श्री चेतराम, नि० 113 ब्लाइण्ड स्कूल,देहरादून	50,000/-
88.	श्री पवन, पुत्र श्री भीमसिंह,नि० ब्लाइण्ड स्कूल, देहरादून	50,000/-
89.	श्री सोनू, पुत्र श्री राजकुमार, नि० 113 ब्लाइण्ड स्कूल, देहरादून	50,000/-
90.	श्री राजीवन, पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद, नि० 74 आराघर,देहरादून	50,000/-
91.	श्री राजेन्द्र, पुत्र श्री धरणसिंह उर्फ धुर्र सिंह, नि० 10 धर्मपुर,देहरादून	50,000/-
92.	श्री गुरनीत सिंह, पुत्र श्री जसवीरसिंह,नि० 191 सर्वे स्टेट, हाथीबड़कला, देहरादून	50,000/-
93.	श्री अरूणकुमार, पुत्र श्री प्रानसिंह उर्फ मानसिंह, नि० 38 सर्वे स्टेट हाथीबड़कला, देहरादून	50,000/-
94.	श्री राजेश सेठी उर्फ राकेश सेठी, पुत्र श्री सुन्दरलाल, नि० 38 न्यू कैन्ट रोड विजय कालोनी, देहरादून	50,000/-
95.	श्री जगमोहन, पुत्र श्री विशेश्वरनाथ, नि० जे-2/27 सर्वे स्टेट कालोनी, देहरादून	50,000/-
96.	श्री मुकेश नवानी, पुत्र श्री कन्हैया लाल, नि० रायपुर देहरादून	50,000/-
97.	श्री योगेश, पुत्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा, नि० डील के सामने,रायपुर,दे०दून	50,000/-
98.	श्री हरीशकुमार,पुत्र श्री चन्द्रीलाल,नि० के०वे०कालोनी, राजपुर	50,000/-
99.	श्री शम्भू प्रसाद, पुत्र श्री प्रकाशचन्द, नि० ग्राम कान्डोली,राजपुर,दे०दून	50,000/-
100.	श्री रघुवीरसिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह, नि० 5 सीमेन्ट रोड, देहरादून	50,000/-
101.	श्री प्रेम बहुखण्डी, पुत्र श्री टीकानन्द, नि० 8 नेशविला रोड, देहरादून	50,000/-
102.	श्री खुशवन्त सिंह, पुत्र श्री फूलचन्द, नि० ग्राम ब्राह्मणवाला,देहरादून	50,000/-
103.	श्री शेरसिंह, पुत्र श्री छत्तर सिंह उर्फ छतर सिंह,नि० नगर बस स्टैण्ड देहरादून	50,000/-
104.	श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री लै० कर्नल सोमनाथ, नि० 50 इन्दिरानगर सीमाद्वार, देहरादून	50,000/-

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
105.	श्री देवेन्द्र शास्त्री, सदस्य, विधान सभा परिषद, उ0प्र0	50,000/–
106.	श्री विजय कोहली, पुत्र श्री हवेलीराम,नि0 120 करनपुर, देहरादून	50,000/–
107.	श्री भगत, पुत्र श्री गोपालसिंह, नि0 62 सुभाष रोड, देहरादून	50,000/–
108.	श्री सत्यप्रकाश नवीनतम, पुत्र श्री काशीनाथ, 109 तिलकरोड,दे0दून	50,000/–
109.	श्री हरवंश कपूर, पुत्र श्री मोहनलाल, नि0 41 खुड़बुड़ामोहल्ला,दे0दून	50,000/–
110.	श्री भुवनचन्द्र खण्डूड़ी, सांसद, पौड़ी, गा0उ0प0	50,000/–
111.	श्री बी0जी0धर, पुत्र श्री नन्दलाल, नि0 69/48 शान्ति विहार, न्यू कैन्ट, देहरादून	50,000/–
112.	श्री सुल्तानसिंह चौहान, पुत्र श्री भोलेसिंह, 228 बसन्त विहार,दे0दून	50,000/–
113.	श्री सुरेश बलोनी, पुत्र श्री किशनदेव,नि0 41–सी0 राजपुर, देहरादून	50,000/–
114.	श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री विक्रमसिंह, नि0 अध्यक्ष,सहकारी बाजार,दे0दून	50,000/–
115.	श्री मोहनसिंह, पुत्र श्री रघुवीरसिंह, नि0 ग्राम बालीवाला,राजपुर,दे0दून	50,000/–
116.	श्री समीर डबराल, पुत्र श्री एस0सी0डबराल, नि0 डोभालवाला,दे0दून	50,000/–
117.	श्री सत्येन्द्र उर्फ शैलेन्द्र, पुत्र श्री एस0एस0सजवाण, ग्राम कांवली, कोतवाली, देहरादून	50,000/–
118.	श्री रणजीतसिंह, पुत्र श्री दुर्गासिंह वर्मा, अथोईवाला,रायपुर,देहरादून	50,000/–
119.	श्री मोहन सिंह, पुत्र श्री गोविन्दसिंह, मौहब्बेवाला, देहरादून	50,000/–
120.	श्री पृथ्वीसिंह, पुत्र श्री पी0एस0नेगी उर्फ के0एस0नेगी,15–न्यू कैन्ट रोड, देहरादून	50,000/–
121.	श्री रवीन्द्र जुगरान, पुत्र श्री वृ0के0शर्मा, नि0 8 ई0सी0 रोड डालनवाला, देहरादून	50,000/–
122.	श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री कमलाप्रसाद,नि0 पुष्कर मन्दिर,ऋषिकेश	50,000/–
123.	श्री चन्द्रवल्लभ, पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, नि0 देहरादून रोड, ऋषिकेश	50,000/–
124.	श्री अरूण कुमार, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, सुभाषचौक, ऋषिकेश	50,000/–
125.	श्री सोभन सिंह, पुत्र श्री दलीपसिंह, नि0 गोपालनगर, देहरादून	50,000/–

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
126.	श्री हरवंश सिंह, उर्फ हरपालसिंह, पुत्र श्री खुशालसिंह, नि0 काकोली ढाल, ऋषिकेश	50,000/–
127.	श्री प्रेमसिंह, पुत्र श्री बचनसिंह, होशियारी मन्दिर, रायवाला,देहरादून	50,000/–
128.	श्री मनोज पुत्र श्री सदानन्द, आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश	50,000/–
129.	श्री ओंकार, पुत्र श्री शम्भूनाथ, चन्द्रभागा, ऋषिकेश	50,000/–
130.	श्री महेश्वरी, पुत्र श्री नन्दराम, नि0 खन्ना ट्रांसपोर्ट, ऋषिकेश	50,000/–
131.	श्री दौलतराम, पुत्र श्री ललिताप्रसाद, नि0 डालवाला, देहरादून	50,000/–
132.	श्री दर्शन लाल, पुत्र श्री गोविन्दप्रसाद, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश	50,000/–
133.	श्री कमलसिंह, पुत्र श्री जंगबहादुर, नि0 131 आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश	50,000/–
134.	श्री दीपक नेगी, पुत्र श्री हरिसिंह, 98/8 प्रगति बिहार, देहरादून	50,000/–
135.	श्री विजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री मदन सिंह, आशुतोषनगर ऋषिकेश	50,000/–
136.	श्री रणजीतसिंह वर्मा, पुत्र श्री गुलाबसिंह, 19/5 राजेन्द्रनगर,दे0दून	50,000/–
137.	श्री शंकरचन्द्र रमोला, पुत्र श्री धर्मचन्द्र उर्फ धूमचन्द्र, नि0 ग्राम भगवानपुर, देहरादून	50,000/–
138.	श्री सुरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री जोतसिंह, नि0 अधोईवाला, रायपुर,देहरादून	50,000/–
139.	श्री प्रभुलाल, पुत्र श्री नारायणसिंह, नि0 पलीगोढ़ी सौंग बडोसी, डोईवाला, देहरादून	50,000/–
140.	श्री विवेकानन्द खण्डूडी, पुत्र श्री धर्मानन्द, नि0 डंगवाल मार्ग,दे0दून	50,000/–
141.	श्री गणेश जोशी, पुत्र श्री श्यामदत्त, नि0 106 नेशविला रोड, देहरादून	50,000/–
142.	श्री रतनसिंह रावत, पुत्र श्री भरोसीसिंह, नि0 चुक्खूवाला, देहरादून	50,000/–
143.	श्री योगेश, पुत्र श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, नि0 21–एम0डी0डी0ए0 कालोनी लक्ष्मणचौक, देहरादून	50,000/–
144.	श्री प्रदीप, पुत्र श्री चन्दरसिंह, नि0 कारगी, देहरादून	50,000/–
145.	श्री नरेन्द्र कठैत, पुत्र श्री नारायणसिंह, नि0 33डी0 आफिसर्स कालोनी देहरादून	50,000/–

क्र0सं0	नाम व पता	धनराशि
146.	श्री चन्द्रमोहन, पुत्र श्री भवानीसिंह, 101–नालापानी रोड, देहरादून	50,000/–
147.	श्री गणेशसिंह, पुत्र श्री कल्याणसिंह, नि0 अजबपुरकलां, देहरादून	50,000/–
148.	श्री ध्यानपालसिंह, पुत्र श्री मोहन सिंह, 32–भण्डारीबाग, देहरादून	50,000/–

उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान घायल व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान का विवरण:–

1.	श्री राजीव मोहन, पुत्र श्री श्यामलाल, देहरादून	25,000/–
2.	श्री अजीत रावत, पुत्र श्री बी0एस0रावत, देहरादून	25,000/–
3.	श्री जीतसिंह, पुत्र श्री अर्जुनसिंह, देहरादून	25,000/–
4.	श्री प्रेमसागर, पुत्र श्री डी0आर0 नौटियाल, मसूरी	25,000/–
5.	श्री कुंवर सिंह, पुत्र श्री गिलवा सिंह, मसूरी	25,000/–
6.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, पुत्र श्री कल्याणसिंह, मसूरी	25,000/–
7.	श्री विरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भगीरथ सिंह, मसूरी	25,000/–
8.	श्री कल्पतसिंह, पुत्र श्री अमरसिंह, मसूरी	25,000/–
9.	श्री जेठ सिंह, पुत्र श्री भट्टसिंह मसूरी	25,000/–
10.	श्री गब्बी सिंह, पुत्र श्री महेश सिंह मसूरी	25,000/–
11.	श्री भगवती प्रसाद, पुत्र श्री बादनन्द मसूरी	25,000/–
12.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, पुत्र श्री नवरतनसिंह मसूरी	25,000/–
13.	श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री राजकुमार, मसूरी	25,000/–
14.	श्री संजीव चौधरी, मसूरी	25,000/–
15.	श्री गोविन्दसिंह, पुत्र श्री के0एस0रावत, मसूरी	25,000/–
16.	श्री टीकाराम उनियाल, मसूरी	25,000/–
17.	श्री नरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री बी0एस0रावत, देहरादून	25,000/–
18.	श्री नरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री एस0एस0नेगी, देहरादून	25,000/–
19.	श्री मनोज ध्यानी, पुत्र श्री पी0डी0ध्यानी, देहरादून	25,000/–
20.	श्री विपिन नेगी, पुत्र श्री आनन्दसिंह नेगी, देहरादून	25,000/–
21.	श्री के0एन0खण्डवाल, पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह खण्डवाल,देहरादून	26,000/–
22.	श्री वीरेन्द्रसिंह बिष्ट, पुत्र श्री खुशाल बिष्ट, देहरादून	25,000/–

जनपद ऊधमसिंहनगर के आन्दोलनकारियों का नाम एवं पता

क्र०	नाम एवं पता	धनराशि
1.	श्री ललित खड़ायत पुत्र श्री नन्दा सिंह नि0 कंजाबाग रोड खटीमा–	50,000.00/–
2.	श्री बलवन्त मनराल पुत्र श्री मोहन सिंह नि0 पोलीटेक्निक रोड खटीमा–	50,000.00/–
3.	श्री हरीश सिंह मेहरा पुत्र श्री देवी सिंह नि0 अलावृद्धि खटीमा–	50,000.00/–
4.	श्री सुभाष पहलोडी पुत्र श्री दयानन्द नि0 वार्ड नं0 1 राजेन्द्र नगर खटीमा–	50,000.00/–
5.	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री दान सिंह नि0 हलवाडी–	50,000.00/–
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री महेन्द्र सिंह नि0 सितारगंज रोड–	50,000.00/–
7.	श्री हयात सिंह पुत्र श्री शेर सिंह नि0 कंजाबाग रोड खटीमा–	50,000.00/–
8.	श्री दान सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह नि0 कंजाबाग रोड खटीमा–	50,000.00/–
9.	श्री गणेश चन्द्र पुत्र श्री खड़कचन्द नि0 नगला तराई–	50,000.00/–
10.	श्री शंकर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह नि0 तिगडी–	50,000.00/–
11.	श्री रविन्द्र पाण्डे पुत्र श्री देवीदत्त नि0 मुडिया–	50,000.00/–
12.	श्री पूरनचन्द्र पाण्डे पुत्र श्री शम्भूदत्त नि0 कंजाबाग रोड खटीमा–	50,000.00/–
13.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगत सिंह नि0 कंजाबाग रोड	50,000.00/–
14.	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह नि0 तिगडी	50,000.00/–
15.	श्री घनश्याम यादव पुत्र श्री रामयादव नि0 चकरपुर	50,000.00/–
16.	श्री चंचल सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह नि0 चकरपुर	50,000.00/–
17.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री टीकाराम नि0 डिग्री कालेज रोड–	50,000.00/–
18.	श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री राम सिंह नि0 रतनपुर	50,000.00/–
19.	श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह नि0 डिग्री कालेज रोड	50,000.00/–
20.	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री जयचन्द नि0 आलावृद्धि	50,000.00/–
21.	श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री देवीदत्त नि0 डिग्री कालेज रोड	50,000.00/–
22.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवाड़ी पुत्र श्री एच0डी0 तिवाड़ी	50,000.00/–
23.	श्री योगेश कुमार पुत्र श्री शंकरदत्त शर्मा, नि0 दनगढ़ा	50,000.00/–

24.	श्री अनिमेश अग्रवाल पुत्र श्री नयन अग्रवाल नि0 खटीमा	50,000.00/–
25.	श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्री प्रसाद नि0 श्रीपुर बिछुवा–	50,000.00/–
26.	श्री महेश चन्द पुत्र श्री टीकाराम, नि0 आदर्श कालोनी–	50,000.00/–
27.	श्री किशोर सिंह राणा पुत्र श्री सी0एस0राणा नि0 टियरी–	50,000.00/–
28.	श्री रमेश सुनेजा पुत्र श्री श्याम सुन्दर नि0 वार्ड नं0–4–	50,000.00/–
29.	श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री बी0एस0मेहता, नि0 कंजाबाग रोड–	50,000.00/–
30.	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, नि0 गुरखुवा–	50,000.00/–
31.	श्री शमशेर सिंह दरसोली पुत्र श्री शिव सिंह, नि0 लाइनपार–	50,000.00/–
32.	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री तेज सिंह नि0 पचौरिया–	50,000.00/–
33.	श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह नि0 वार्ड नं0–3–	50,000.00/–
34.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री जी0सी0जोशी नि0 वार्ड नं0–9–	50,000.00/–
35.	श्री कैलाश एन्जोला पुत्र श्री आर0बी0 बिन्जौला सितारगंज रोड–	50,000.00/–
36.	श्री मुकेश तिवारी पुत्र श्री आनन्द बल्लभ नि0 सितारगंज रोड–	50,000.00/–
37.	श्री पंकज सिन्हा पुत्र श्री मदनलाल नि0 वार्ड नं0–4–	50,000.00/–
38.	श्री दिनेश मित्तल पुत्र श्री सुरेश मित्तल नि0 चकरपुर–	50,000.00/–
39.	श्री कन्याल पुत्र श्री बहादुर सिंह नि0 अमाऊ	50,000.00/–
40.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह नि0 पचौरिया–	50,000.00/–
41.	श्री निरंकार मिश्रा पुत्र श्री राम निवास, नि0 चकरपुर–	50,000.00/–
42.	श्री परशुराम यादव पुत्र श्री राम यादव, नि0 चकरपुर–	50,000.00/–
43.	श्री नवीन उनियाल पुत्र श्री विशालमणी नि0 खटीमा	50,000.00/–
44.	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री भैरव सिंह नि0 बलारीफार्म	50,000.00/–
45.	श्री दान सिंह पुत्र श्री कमल सिंह नि0 सितारगंज रोड	50,000.00/–
46.	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह नि0 फूलवा	50,000.00/–
47.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखबीर सिंह नि0 थाने के सामने	50,000.00/–
48.	श्री जगदीश जोशी पुत्र श्री बी0एल0जोशी वार्ड नं0–8	50,000.00/–
49.	श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह नि0 वार्ड नं0–4	50,000.00/–

50. श्री ईश्वरी चन्द्र पुत्र श्री अर्जुन चन्द्र नि0 सवोरा	50,000.00/–
51. श्री सौजन्य कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द्र वार्ड नं0–4	50,000.00/–
52. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र सितारगंज रोड	50,000.00/–
53. श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री जय प्रकाश नि0 आदर्श कालोनी	50,000.00/–
54. श्री तेज सिंह पुत्र श्री प्रान सिंह नि0 थिरिया मौहल्ला	50,000.00/–
55. श्री नूर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह नि0 उलधन	50,000.00/–
56. श्री गुसाईं सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह नि0 सिद्धुवा	50,000.00/–
57. श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री उत्तम कुमार नि0 सितारगंज	50,000.00/–
58. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री मदन सिंह नि0 पिपलिया	50,000.00/–
59. श्री प्रमोद सक्सेना पुत्र श्री जगदीश पटवारी, नि0 कंजाबाग	50,000.00/–
60. श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री उत्तम कुमार नि0 सितारगंज रोड	50,000.00/–
61. श्री वासुदेव जोशी पुत्र श्री दुर्गादत्त नि0 भुटियाधारू	50,000.00/–
62. श्री धन सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह नि0 थिरिया मौहल्ला	50,000.00/–
63. श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री जयदत्त नि0 भुटियाधारू	50,000.00/–
64. श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री माधव चन्द्र नि0 भुटियाधारू	50,000.00/–
65. श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, नि0 रम्पुड़िया	50,000.00/–
66. श्री दामोदर पुत्र श्री टीकाराम नि0 भुड़िया	50,000.00/–
67. श्री धनपति चन्द्र पुत्र श्री रामीचन्द्र नि0 सवौरा	50,000.00/–
68. श्री आनन्द बल्लभ पुत्र श्री ईश्वरी दत्त नि0 भूड़	50,000.00/–
69. श्री शेर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह नि0 सवौरा	50,000.00/–
70. श्री शेखर सिंह पुत्र श्री हरीशंकर नि0 दिगराबाग	50,000.00/–
71. श्री ताराचन्द्र पुत्र श्री कन्हैयालाल नि0 वार्ड नं0–4	50,000.00/–
72. श्री होशियार सिंह पुत्र श्री देवसिंह नि0 सैजना	50,000.00/–
73. श्री दलीप सिंह पुत्र श्री धन सिंह नि0 मोहल्लपटिया	50,000.00/–
74. श्री शेर सिंह पुत्र श्री नरसिंह नि0 चकरपुर	50,000.00/–
75. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री धनीचन्द्र नि0 देवीपुरा	50,000.00/–

76. श्री किशोर पन्त पुत्र श्री मथुरा दत्त नि0 देवीपुरा	50,000.00/–
77. श्री नर बहादुर पुत्र श्री रंजीत चन्द नि0 शिवपुरी	50,000.00/–
78. श्री भीम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह नि0 कंजाबाग	50,000.00/–
79. श्री पदम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह नि0 कंजाबाग	50,000.00/–
80. श्री महेश चन्द्र खटीक पुत्र श्री जादो नि0 वार्ड नं0–8	50,000.00/–
81. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह नि0 खेतानखेड़ा	50,000.00/–
82. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह नि0 चनकट	50,000.00/–
83. श्री राम सिंह पुत्र श्री चंचल सिंह नि0 पसारी	50,000.00/–
84. श्री चन्द सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह नि0 चनकट	50,000.00/–
85. श्री हरीश सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह नि0 टिमरी	50,000.00/–
86. श्री गणेश सिंह पुत्र श्री गोपाल चन्द नि0 चन्दफार्म	50,000.00/–
87. श्री रविन्द्र कालोनी पुत्र श्री रामदत्त नि0 नामभट्टा	50,000.00/–
88. श्री कैलाश थपलियाल पुत्र श्री देवीप्रसाद नि0 बनबसा	50,000.00/–
89. श्री हरीशलाल पुत्र श्री वीरबहादुर नि0 बनबसा	50,000.00/–
90. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नत्थूलाल गुप्ता, नि0 बनबसा	50,000.00/–
91. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री किशनचन्द नि0 चन्दनी	50,000.00/–
92. श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री डी0आर0जोशी नि0 बनबसा	50,000.00/–
93. श्री जनकचन्द पुत्र श्री दीवानचन्द नि0 भजनपुर	50,000.00/–
94. श्री अजय जैन पुत्र श्री महेन्द्र जैन नि0 बस स्टैण्ड	50,000.00/–
95. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री पुरुषार्थ विक्रमजीत सिंह, निदेशी फार्म–	50,000.00/–
96. श्री शेखरवल्लु पुत्र श्री नरोत्तम नि0 चन्दफार्म	50,000.00/–
97. श्री भुवनचन्द पुत्र श्री पीताम्बर दत्त तिवाड़ी नि0 चन्दनी	50,000.00/–
98. श्री हेमचन्द्र पुत्र श्री मोतीचन्द नि0 चुनाभट्टा	50,000.00/–
99. श्री अनिल रावत पुत्र श्री नारायण सिंह नि0 चन्दफार्म	50,000.00/–
100. श्री अरविन्द रावत पुत्र श्री डी0एस0रावत नि0 बस स्टैण्ड	50,000.00/–
101. श्री नवीन चन्द पुत्र श्री जमुनादत्त नि0 चन्दफार्म	50,000.00/–

102. श्री गणेशदत्त पुत्र श्री कालूचन्द नि0 चन्दनी	50,000.00/–
103. श्री विशाल गोयल पुत्र श्री रमेश गोयल, नि0 बनबसा	50,000.00/–
104. श्री विजय भट्ट पुत्र श्री हरिदत्त नि0 बनबसा	50,000.00/–
105. श्री पूरन कलौदी पुत्र श्री रामदत्त नि0 चन्द्रफार्म	50,000.00/–
106. श्री स्वरूप जोशी पुत्र श्री किशनचन्द जोशी नि0 पचपखाडिया	50,000.00/–
107. श्री भुवनचन्द पाण्डे पुत्र श्री जगदीश चन्द नि0 चन्द्र फार्म	50,000.00/–
108. श्री विनोद भट्ट पुत्र श्री महावीर भट्ट नि0 चन्द्र फार्म	50,000.00/–
109. श्री विकास जोशी पुत्र श्री राकेश जोशी नि0 पचपखड़िया	50,000.00/–
110. श्री कमलराजन पुत्र श्री वणीचन्द्र नि0 चन्दनी	50,000.00/–
111. श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह नि0 चन्द्रफार्म	50,000.00/–
112. श्री प्रभाकर उनियाल पुत्र श्री अनसुईया प्रसाद नि0 बमनपुरी	50,000.00/–
113. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह नि0 चन्दनी	50,000.00/–
114. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री पदमसिंह नि0 पचपखड़िया	60,000.00
115. श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री होरीचन्द नि0 बनबसा	50,000.00
116. श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री फूटकचन्द नि0 भजनपुर	50,000.00
117. श्री विशाल मणी पुत्र श्री फुटक चन्द नि0 भजनपुर	50,000.00
118. श्री इंदरीश लोहनी पुत्र श्री कैलाश लोहनी नि0 आमबाग	50,000.00
119. श्री गणेशदत्त पुत्र श्री कृष्णानन्द, नि0 चिपई	50,000.00
120. श्री मोहन सिंह टेक पुत्र श्री जोध सिंह नि0 शुक्लाफार्म	50,000.00
121. श्री राज कुमार ठकुराल पुत्र श्री खानचन्द नि0 मुख्य बाजार	50,000.00
122. श्री बलराम सिंह पुत्र श्री सुर्जन सिंह नि0 शुक्लाफार्म	50,000.00
123. श्री कपिल वर्मा पुत्र श्री शम्भूनाथ वर्मा, नि0 तिराई पैट्रोलपम्प	50,000.00
124. श्री राजीव शुक्ला पुत्र श्री कमलेश शुक्ला नि0 शुक्लाफार्म	50,000.00
125. श्री अनिल चौहान पुत्र श्री हरिराज चौहान, नि0 सिंह कालोनी	50,000.00
126. श्री पवन पुत्र श्री मिलापचन्द नि0 सिविल लाईन	50,000.00
127. श्री सेट बलिया पुत्र श्री सरदार मोहर सिंह नि0 डी.डी.एमगली	50,000.00

128. श्री तिलकराज मेहता पुत्र श्री दिलबागराय नि0 आवास विकास कालोनी 50,000.00

129. श्री सुभाष चतुर्वेदी पुत्र श्री राधेश्याम नि0 खेड़ा 50,000.00

130. श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह नि0 दिनेशपुर 50,000.00

131. श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमनारायण गुप्ता नि0 आवास विकास 50,000.00

132. श्री मनोज पाण्डे पुत्र श्री नित्यानन्द नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

133. श्री नवल किशोर शर्मा पुत्र श्री देवीदत्त नि0 मल्लीदेवरिया 50,000.00

134. श्री राजन तिवारी पुत्र श्री नारायण दत्त नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

135. श्री शेखर पाण्डे पुत्र स्व0 श्री कमल किशोर नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

136. श्री देवेन्द्र बिष्ट पुत्र श्री महेश बिष्ट नि0 मल्लीदेवरिया 50,000.00

137. श्री महेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नि0 मल्लीदेवरिया 50,000.00

138. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हंसराज नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

139. श्री विकास कुमार पुत्र श्री आनन्द प्रकाश नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

140. श्री उमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री विष्णुदत्त नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

141. श्री दिनेश चन्द्र पाठक पुत्र श्री बालादत्त नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

142. श्री मुकेश वैष्णव पुत्र श्री जयानन्द वैष्णव नि0 देवरिया 50,000.00

143. श्री संजय परिहार पुत्र श्री जगत सिंह नि0 देवरिया 50,000.00

144. श्री सतेन्द्र बोरा पुत्र श्री मोहन सिंह नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

145. श्री शिव सिंह धमोला पुत्र श्री पान सिंह नि0 वार्ड नं0 1 50,000.00

146. श्री भास्करानन्द पुत्र श्री भैरव दत्त नि0 देवरिया 50,000.00

147. श्री रिंकू बिष्ट पुत्र श्री महेश बिष्ट नि0 देवरिया 50,000.00

148. श्री शेखरानन्द पाण्डे पुत्र श्री ख्याली राम नि0 देवरिया 50,000.00

149. श्री तारकेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मोहन चन्द्र नि0 देवरिया 50,000.00

150. श्री सचिन पुत्र श्री दीवान सिंह वार्ड नं0 1 50,000.00

151. श्री मुकुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र नि0 वार्ड नं0 1 60,000.00

152. श्री विनोद जोशी पुत्र श्री मोहन जोशी नि0 बन्डीया 50,000.00

153. श्री नरेन्द्र सिंह धानी पुत्र श्री प्रताप सिंह नि0 देवरिया 50,000.00

154. श्री संजय बजाज पुत्र श्री गणेश दत्त नि0 मुखर्जी नगर	50,000.00
155. श्री संजय आर्य पुत्र श्री एस0डी0 आर्य नि0 आर्य पुस्तक भण्डार	50,000.00
156. श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार गुप्ता नि0 लाहौरियान	50,000.00
157. श्री दीपक बाती पुत्र श्री आर0एस0 बाती नि0 टांडा उज्जैन	50,000.00
158. श्री रवि शर्मा पुत्र श्री हरशंकर शर्मा नि0 सिंघान	50,000.00
159. श्री भगत सिंह पुत्र श्री सिंगारा सिंह नि0 भरतपुर	50,000.00
160. श्री वीरेन्द्र कुमार उर्फ बीरू पुत्र श्री मुकुल बिहारी, नि0 स्वार हाल अध्यक्ष डिग्री कालेज संघ काशीपुर	50,000.00
161. श्री जबर सिंह पुत्र श्री मंजूर सिंह नि0 गली सूरज मेडिकलरामनगर	50,000.00
162. श्री संजीव उर्फ पप्पू पुत्र रामबिलास नि0 मानपुर रोड	50,000.00
163. श्री शोभित पुत्र श्री ओमप्रकाश नि0 काजीबाग	50,000.00
164. श्री भारतभूषण पुत्र श्री मेलाराम नि0 कंजनालगाजी	50,000.00
165. श्री केवल सिंह पुत्र श्री जीत सिंह नि0 जसपुर खुर्द	50,000.00
166. श्री नरपत सिंह राजपूत पुत्र श्री नत्थू सिंह नि0 मुखर्जीनगर	50,000.00
167. श्री जयन्त वशिष्ठ पुत्र श्री सीताराम नि0 आवास विकास	50,000.00
168. श्री राजेन्द्रपाल पुत्र श्री रतनलाल नि0 कानूनगोयान	50,000.00
169. श्री नरेन्द्र कुमार खत्री पुत्र श्री मोहनलाल नि0 शास्त्रीनगर	50,000.00
170. श्री बलराजपासी पुत्र श्री योगरापासी नि0 बाजपुर	50,000.00
171. श्री सरदार सिंह उर्फ साहब सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह नि0 पतरामपुर	50,000.00
172. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री रामअवतार नि0 गुजरातियान	50,000.00
173. श्री नीरजकुमार पुत्र श्री विजयपाल नि0 मौ0 चौहानान	50,000.00
174. श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री रामकुमार नि0 गुजराविशन	50,000.00
175. श्री लाखन सिंह पूर्व विधायक खटीमा नि0 हल्द्वानी	50,000.00
176. श्री नवीनचन्द दुमका पुत्र श्री अम्बादत्त दुमका नि0 हल्दूचौड	50,000.00
177. श्री मैत्रसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह नि0 फोरेस्ट कम्पाउण्ड तिकोनिया हल्द्वानी	50,000.00
178. श्री जितेन्द्र लोहनी पुत्र श्री पूरनचन्द्र नि0 बिजलीघर कम्पाउण्ड, तिकोनिया हल्द्वानी	50,000.00

179. श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री शम्भू दत्त नि० कवनालपुरछोई रामनगर 50,000.00

180. श्री संदीप चौधरी पुत्र श्री अमरनाथ नि० उदयभवन सगली अल्मोड़ा 50,000.00

181. श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री गंगासिंह रावत नि० जनरल स्टोर मतरीचखान 50,000.00
अल्मोड़ा

182. श्री गुरबख्श सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह नि० ढिकड़िया फार्म 50,000.00

183. श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह नि० कौशलगंज थाना बिलासपुर 50,000.00
रामनगर

<u>जिला नैनीताल के आन्दोलनकारियों के नाम पता</u>

1– सर्व श्री जगदीश चन्द तिवारी पुत्र श्री मोती राम 50,000.00
निवासी–ग्राम–दुलारामपुर, हल्दूचौड़ थाना–लालकुआँ।

2– रंजीत सिंह नेगी पुत्र श्री मदन सिंह नेगी 50,000.00
निवासी–मल्ला गोरखपुर।

3– तारा जोशी पुत्र श्री चिन्तामणी जोशी 50,000.00
निवासी–हीरानगर, हल्द्वानी।

4– केशवदत्त ध्याली पुत्र श्री ईश्वर दत्त 50,000.00
निवासी–चोरगलिया, हल्द्वानी।

5– गोविन्द सिंह पुत्र श्री पान सिंह 50,000.00
निवासी–कलावती कालोनी, हल्द्वानी

6– मनिक मोहन शुक्ला पुत्र श्री रविन्द्रनाथ शुक्ला 50,000.00
निवासी–रेलवे कालोनी काठगोदाम।

7– पान सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह 50,000.00
निवासी–रामपुर थाना–कालाढूंगी।

8– विनोद सिंह पुत्र दरबान सिंह कन्याल 50,000.00
निवासी–ग्राम–विदरामपुर थाना कालाढूंगी।

9– दिनेश चन्द्र पुत्र श्री तारादत्त 50,000.00
निवासी–ग्राम–पूरनपुर थाना कालाढूंगी।

10– नन्दन सिंह पुत्र श्री भूपाल सिंह 50,000.00
निवासी–ग्राम–पूरनपुर थाना कालाढूंगी।

11– चन्द्रशेखर पुत्र श्री जीवानन्द 50,000.00
निवासी–ग्राम–पजीनिया हल्दू थाना कालाढूंगी।

12– रामसिंह कैड़ा पुत्र श्री नारायण सिंह कैड़ा निवासी–एस.डी.कोर्ट हल्द्वानी के सामने।	50,000.00
13– जगमोहन सिंह खाती पुत्र श्री दीवान सिंह खाती निवासी–ग्राम–देवलचौड़ रामपुर रोड हल्द्वानी।	50,000.00
14– गगन पाण्डे पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी–छोटी मुखानी, हल्द्वानी।	50,000.00
15– दिनेश धुवाल पुत्र श्री पी०सी०धुवाल निवासी–कमल फोटो स्टेट कालाढूंगी रोड हल्द्वानी।	50,000.00
16– दिनेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री डी०एम० जोशी निवासी–बड़ी मुखानी, हल्द्वानी।	50,000.00
17– कमलेश कुठारी पुत्र श्री जे०एस० कुठारी निवासी–कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।	50,000.00
18– अनुज कुमार सचिव पुत्र श्री के०पी०सक्सेना निवासी–पन्तनगर, थाना लालकुऑं।	50,000.00
19– विवेक सक्सेना पुत्र श्री एस०एम० सक्सैना निवासी–झा कालोनी, पन्तनगर, थाना लालकुऑं।	50,000.00
20– हेम चन्द्र पुत्र श्री अम्बादत्त निवासी–ग्राम सूपी भगवानपुर,मोटाहल्दू, थाना लालकुऑं।	50,000.00
21– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी–दुर्गापालपुर,बेरीपड़ाव, थाना हल्द्वानी।	50,000.00
22– उमेश शर्मा पुत्र श्री मोहन शर्मा निवासी–मोटाहल्दू, थाना लालकुऑं।	50,000.00
23– अब्दुल रउफ सिद्दीकी पुत्र स्व०अब्दुल मो०सिद्दीकी निवासी–लाईन नं०–17, आजादनगर, हल्द्वानी।	50,000.00
24– जाहिद हुसैन खां पुत्र श्री राप्पू खॉं निवासी–लाईन नं०–12, हल्द्वानी।	50,000.00
25– चन्द्र मोहन सिंह पुत्र श्री ठाकुर पोप सिंह निवासी–बरेली रोड अब्दुला बि० हल्द्वानी।	50,000.00
26– जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी निवासी–सेन्चुरी पेपर मिल, लालकुऑं।	50,000.00

27– शम्मी खान पुत्र श्री जीमल खाँ निवासी–बेसटगंज किदवई नगर हल्द्वानी।	50,000.00
28– त्रिलोक कुमार बनोरी पुत्र स्व0बी0आर0बनोरी निवासी–राजेन्द्र नगर हल्द्वानी।	50,000.00
29– गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री लालमणि शर्मा निवासी–बरेली रोड भीमताल पाण्डेगांव, नैनीताल।	50,000.00
30– गंगा प्रसाद जायसवाल पुत्र श्री छोटेलाल जायसवाल निवासी–महावरगंज, हल्द्वानी।	50,000.00
31– आदित्य कोठारी पुत्र श्री सत्यप्रकाश कोठारी निवासी–अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,कुमाऊँ मण्डल संगठन सदर बाजार, हल्द्वानी	50,000.00
32– प्रमोद अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रताप अग्रवाल निवासी–अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,कुमाऊँ मण्डल संगठन सदर बाजार, हल्द्वानी	50,000.00
33– जगमोहन बगड्वाल पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी–छात्र संघ सचिव रामलीला मो0, हल्द्वानी।	50,000.00
34– कमलेश सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह निवासी–चौतपुर गौलापार छात्र संघ उपाध्यक्ष, हल्द्वानी।	50,000.00
35– महेश त्रिपाठी पुत्र श्री शिवदत्त त्रिपाठी निवासी–रामपुर रोड, हल्द्वानी।	50,000.00
36– हरिशंकर नेगी पुत्र श्री तेजबहादुर निवासी–रामपुर रोड, हल्द्वानी।	50,000.00
37– नरसिंह बिष्ट पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी–रामपुर रोड, हल्द्वानी।	50,000.00
38– लाखन सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह निवासी–देवला तल्ला गौलापार, हल्द्वानी।	50,000.00
39– शंकर भट्ट पुत्र श्री एल0डी0भट्ट निवासी–स्टेट बैंक हाउस, मल्लीताल, नैनीताल।	50,000.00
40– दिनेश मेहता पुत्र श्री जे0एस0 मेहता निवासी–मल्लीताल, नैनीताल।	50,000.00
41– नीरज सिंह बंगोला पुत्र श्री डी0एस0 बंगोला निवासी–विजय भवन, मल्लीताल, नैनीताल।	50,000.00
42– प्रताप सिंह (मृतक) ग्राम–मिरौली पट्टी मल्ला सालम, जिला–अल्मोड़ा।	10,00000.00

<u>जिला पौड़ी गढ़वाल के आन्दोलनकारियों के नाम व पता</u>

1– श्री अनुसूयाप्रसाद पुत्र माखीराम — 25,000.00
निवासी कोटद्वार गढ़वाल।

2– श्रीमती नीलम देवरानी — 10,00,000.00
पत्नी स्व०श्री राकेश देवरान निवासी मवाकोट कोटद्वार।

3– श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री कीर्ति सिंह निवासी–पौड़ी। — 50,000.00

4– श्री प्रेम कण्डूड़ी पुत्र श्री बी०एस०कण्डूड़ी निवासी–पौड़ी। — 50,000.00

5– श्री डी०एस० गुसाईं पुत्र श्री जी०एस० गुसाईं — 25,000.00
नि० अन्दरगांव पट्टी पैनों, तह० लैंसडोन।

6– श्री राजीव गौड़ पुत्र मंगतराम, तन० शिवपुर, — 50,000.00
प्रताब कालोनी कोटद्वार।

7– श्री इन्द्रदत्त शर्मा पुत्र श्री विद्यादत्त शर्मा — 50,000.00
ग्राम कामदी मल्ली थाना लक्ष्मणझूला पौड़ी गढ़वाल।

8– श्री गोकुल सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह — 50,000.00
ग्राम सरणा पट्टी कटूलस्यूँ तह० श्रीनगर गढ़वाल।

9– श्री नईम पुत्र अजहर नि० आमपड़ाव कोटद्वार गढ़वाल — 50,000.00

10– श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नन्दन सिंह रावत — 50,000.00

<u>जनपद–उत्तरकाशी के आन्दोलनकारियों के नाम व पता।</u>

1– श्री विजय कुमार पुत्र श्री इन्द्र लाल — 25,000.00
निवासी–तम्बाखानी, उत्तरकाशी।

2– श्री आनन्द सिंह पंवार पुत्र श्री राम सिंह — 50,000.00
निवासी–कचहरी रोड, उत्तरकाशी।

<u>जिला टिहरी गढ़वाल के आन्दोलनकारियों के नाम व पता।</u>

1– सर्व श्री चिंतामणी थपलियाल(मृतक सूर्यप्रकाश थपलियाल के पिता) — 2,40,000.00
निवास–चौदह बीघा, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

2– विशालमणी पुत्र श्री तारादत्त — 25,000.00
निवासी–ढालवाला, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

3– लाखन सिंह पुत्र श्री हंससिंह — 25,000.00
निवासी–ढालवाला, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

4– एस०एस०राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह — 25,000.00
निवासी–गढ़ोलिया, पट्टी खास, टिहरी गढ़वाल।

5– जबर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह 25,000.00
निवासी–खवाड़ा, पट्टी–बासर, टिहरी गढ़वाल।

6– राधाकृष्ण पुत्र श्री मूर्तिराम, 25,000.00
निवासी–खवाड़ा, पट्टी–बासर, टिहरी गढ़वाल।

7– मनीराम पुत्र श्री तारादत्त सेमवाल, 25,000.00
निवासी–ओखला पट्टी रैका टिहरी गढ़वाल।

8– कर्ण सिंह पुत्र श्री भागचन्द सिंह 25,000.00
निवासी–डालगाँव, पट्टी–बासर, टिहरी गढ़वाल।

9– राज पुत्र श्री हरिसिंह, 50,000.00
निवासी–बडकोट, पट्टी–खास, टिहरी गढ़वाल।

10– डब्बल सिंह पुत्र श्री बच्चन, 50,000.00
निवासी–छोलगाँव, पट्टी–खास, टिहरी गढ़वाल।

11– गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह 50,000.00
निवासी–सिनोली, पट्टी–लोस्तु, टिहरी गढ़वाल।

12– गोपाल सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह कैंडा 50,000.00
निवासी–देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।

13– सर्व श्री चिंतामणी थपलियाल(मृतक सूर्यप्रकाश थपलियाल के पिता) 1,00,000.00
निवासी–चौदह बीघा, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

14– सोबन सिंह राणा पुत्र श्री भोपाल सिंह 10,000.00
निवासी–मठोलिया, पट्टी खास, टिहरी गढ़वाल।

15– ओम प्रकाश रावत पुत्र श्री चन्दन सिंह 10,000.00
निवासी–ग्राम आगर, पट्टी–धनान्दस्यू, टिहरी गढ़वाल।

16– विजेन्द्र भट्ट पुत्र श्री चिन्तामणी भट्ट 10,000.00
निवासी–गजपुर, टिहरी गढ़वाल।

17– जयपाल सिंह सरियाल पुत्र श्री सरोप सिंह, 10,000.00
निवासी–जाखधौरा, जुवा, टिहरी गढ़वाल।

18– दयाराम रतूड़ी पुत्र श्री गोविन्दराम 10,000.00
निवासी–ग्राम–लसियालगाँव बासर, टिहरी गढ़वाल।

19– मणीराम सेमवाल पुत्र श्री तारादत्त, 10,000.00
निवासी–ग्राम–ओखला पट्टी रैका, टिहरी गढ़वाल।

20– बलवीर सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह 10,000.00
निवासी–खोनबागी, पट्टी–धौड़ीखाल, टिहरी गढ़वाल।

21– हुकम सिंह पुत्र श्री कीर्ति सिंह 10,000.00
निवासी–गौंग, पट्टी–रैमद रमोली, टिहरी गढ़वाल।

नत्थी–'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–38 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत जी मा० सदस्या विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तरालेख का संलग्नक

हाँ कतिपय स्थानों पर भारत संचार निगम लि० द्वारा स्थापित मोबाइल टावर्स पर विद्युत संयोजन नहीं दिये जा सके हैं।

मोबाइल टावर्स को विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने की जनपदवार स्थिति निम्नवत है।

गढ़वाल क्षेत्र

जनपद पौड़ी

क्र० सं०	विकासखण्ड	स्थान का नाम	भा०सं०नि०लि० द्वारा आवेदन की तिथि	संयोजन देने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	रिखणीखाल	उनेरी	08–08–08	16–05–09	भा०सं०नि०लि० के द्वारा का निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण संयोजन देने में विलम्ब हुआ।
2	रिखणीखाल	सिलगाड़	25–04–09	06–05–09	—
3	रिखणीखाल	चपडेथ	25–04–09	12–05–09	—
4	रिखणीखाल	कचूड गरखोला	25–04–09	14–05–09	
5	रिखणीखाल	कर्तिया	25–04–09	17–05–09	
6	द्वारीखाल	कचूड बड़ा	08–08–08	29–05–09	भा०सं०नि०लि० के द्वारा का निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण संयोजन देने में विलम्ब हुआ।

1	2	3	4	5	6
7	द्वारीखाल	चुराडी	06-06-08	29-05-09	—तदैव—
8	बीरोंखाल	ईंडा	06-06-08	30-03-09	—तदैव—
9	थलीसैंण	कपरोली	03-03-09	30-03-09	
10	दुगड्डा	देवीखाल	26-07-08	29-03-09	पा0सं0नि0लि0 के द्वारा का निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण संयोजन देने में विलम्ब हुआ।
11	दुगड्डा	बल्ली	06-06-08	28-03-09	—तदैव—
12	दुगड्डा	नालीखाल	06-07-08	25-11-08	
13	दुगड्डा	कालाबड कोटद्वार	03-03-09	19-11-09	राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण समय पर निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी थी। इस कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ।
14	नैनीडांडा	डण्डयार	25-05-09	—	कार्य प्रगति पर है।
15	पाबौ	सीकू	10-07-08	—	इन स्थानों में विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 उपस्थान बुआखाल से होती थी जो कि अतिभारित (ओवर लोडेड) था, माह 08/09 से 33/11 के0वी0 पिपलघाट उपस्थान से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जाने से इन क्र0सं0 14 से 26 तक के संयोजनों को विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव हो जायेगा। इन सभी स्थानों में आगामी 3 माह में विद्युत संयोजन निर्गत कर दिये जायेंगे।
16	पाबौ	चौरीखाल	10-07-08	—	
17	पाबौ	पांग	10-07-08	—	
18	पाबौ	किमडांग	28-08-08	—	
19	पाबौ	सीकूखाल	20-04-09	—	
20	थलीसैंण	कोकली	10-07-08	—	

1	2	3	4	5	6
21	थलीसैंण	सुराडी	10-07-08	—	
22	कल्जीखाल	खण्डूडा	07-08-08	—	
23	कल्जीखाल	पसली मल्ली	28-08-08	—	
24	पोखड़ा	बडरी	28-08-08	—	
25	पौड़ी	घनाऊमल्ला	07-08-08	—	
26	कोट	नकोट	21-09-08	23-04-09	
जनपद रूद्रप्रयाग					
1	अगस्त्यमुनि	देना	19-06-08	—	माह 12/2009 के अन्त तक ऊर्जीकृत कर दिये जायेंगे।
2	जखोली	बधानी	19-06-08	—	
3	जखोली	खाकरा	15-07-09	—	
4	ऊखीमठ	उखीला	19-06-08	—	
5	ऊखीमठ	सिवाणू	19-06-08	—	
जनपद टिहरी					
1	देवप्रयाग	मही	20-10-08	23-11-08	
2	देवप्रयाग	देवप्रयाग	30-12-08	25-04-09	
1	जौनपुर	मैलगढ़ (धनोल्टी)	16-06-08	20-11-09	
2	जौनपुर	अग्यारना	16-05-08	20-11-09	
3	जौनपुर	ओनेन्धा	21-02-08	20-11-09	
4	जौनपुर	द्वारागढ़ (धनोल्टी)	09-04-08	20-11-09	
5	नरेन्द्रनगर	चमेली	16-05-08	11-11-09	

1	2	3	4	5	6
6	नरेन्द्रनगर	मुण्डला	09-04-08	11-11-09	
7	नरेन्द्रनगर	खाड़ी	27-06-08	15-04-09	
8	चम्बा	बनाली	21-02-08		कार्य प्रगति पर है।
9	भिलंगना	अखोड़ी	21-02-08	07-11-09	
10	भिलंगना	घंगोरा	09-04-08		कार्य प्रगति पर है। 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा।
11	भिलंगना	अन्धयालगाँव	09-04-08	16-11-09	
12	भिलंगना	निवालगांव	09-04-08	10-11-09	
13	प्रतापनगर	दीनगांव	21-02-08	18-11-09	
14	जौनपुर	श्रीकोट	08-09-09		कार्य प्रगति पर है।
15	चम्बा	आन्दचौक	08-09-09	29-10-09	
16	चम्बा	जड़ीपानी	08-09-09	30-10-09	
17	नरेन्द्रनगर	कुंजापुरी	20-10-09		कार्य प्रगति पर है। 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा।
18	धौलधार	कौन्धू (कमान्द)	09-09-09	12-11-09	
19	भिलंगना	पाटगांव	10-07-08		कार्य पूर्ण, मीटर लगना शेष है।
20	भिलंगना	मड़ारा	10-07-08		कार्य पूर्ण, मीटर लगना शेष है।
21	नरेन्द्रनगर	रणाकोटी	12-02-09	06-11-09	
22	चम्बा	मोल्धार नई टिहरी	09-09-08	29-09-08	
23	भिलंगना	देवताधार	07-10-09		कार्य प्रगति पर है।
24	भिलंगना	हर्षिदवाना	07-10-09		कार्य प्रगति पर है। 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा।
25	प्रतापनगर	गल्लाखेत	16-10-09		कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
26	प्रतापनगर	उनाल गांव	16-10-09		कार्य प्रगति पर है। 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा।
27	नरेन्द्रनगर	व्यासी	27-09-08	22-07-09	
जनपद देहरादून (न0)					
1	देहरादून	वसन्त विहार	27-10-09	11-01-09	
जनपद उत्तरकाशी					
1	मोरी	खरसाड़ी	21-04-08	01-07-09	कार्य प्रगति पर है। 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2	मोरी	धारा	14-11-08	11-12-09	
3	डुण्डा	सौरी गांव	21-04-08	11-12-09	
4	चिन्यालीसौण	बनारी	21-04-08		
5		पारकोट	07-07-08	11-012-09	
6	नौगांव	किसाला	07-07-08	11-012-09	
7		कटढा	07-07-08	11-012-09	
जनपद हरिद्वार					
1	भगवानपुर	मजाहिदपुर सतीवाला	06-06-08		ग्रामवासियों द्वारा जमीनी विवाद के कारण लाइन बनाने में अवरोध किये जाने के कारण लम्बित है।
2	भगवानपुर	कोटमुरादनगर	11/08	11-12-08	
3	बहादराबाद	औरंगाबाद	4/09	01-05-09	
जनपद चमोली					
1	जोशीमठ	उर्गम	13-08-08	–	भा0सं0नि0लि0 के द्वारा टावर का निर्माण कार्य अपूर्ण।
2	गैरसैंण	घंटी	23-06-08	–	भा0सं0नि0लि0 के द्वारा टावर का निर्माण कार्य अपूर्ण।

1	2	3	4	5	6
3	घाट	लुण्डखरा	23-06-08	संयोजन निर्गत।	
4	पोखरी	सबना	23-06-08	संयोजन निर्गत।	
5	गैरसैण	सारकोट	18-08-08	संयोजन निर्गत।	
6	गैरसैण	माईथान	16-09-08	संयोजन निर्गत।	
7	गैरसैण	मकाई	13-08-08	संयोजन निर्गत।	
8	गैरसैण	कण्डारीखाल	16-09-09	संयोजन निर्गत।	
9	गैरसैण	पडजचोरा	16-09-09	संयोजन निर्गत।	
10	गैरसैण	खेती	23-03-09	संयोजन निर्गत।	
11	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	17-01-09	संयोजन निर्गत।	
12	देवाल	धारबारम	23-03-09	संयोजन निर्गत।	
13	घाट	रामणी	12-06-09	—	कार्य प्रगति पर
14	जोशीमठ	टंगड़ी	05-02-09	संयोजन निर्गत।	
15	गैरसैण	चांदपुरगढ़ी	25-10-06	संयोजन निर्गत।	
16	कर्णप्रयाग	जाख	26-10-06	संयोजन निर्गत।	
17	देवाल	देवाल	06-07-06	संयोजन निर्गत।	
18	दसोली	गोपेश्वर	06-07-06	संयोजन निर्गत।	
19	दसोली	गोपेश्वर (गाड)	12-04-06	संयोजन निर्गत।	
20	दसोली	मण्डल	17-07-07	संयोजन निर्गत।	
21	कर्ण प्रयाग	सेमी	22-08-08	—	कार्य प्रगति पर

अनुपूरक सामग्री :-

1. गढ़वाल मण्डल के जनपद पौड़ी/टिहरी/रुद्रप्रयाग/हरिद्वार/देहरादून/उत्तरकाशी एवं चमोली में कुल 90 भा0सं0नि0लि0 द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है जिसके विपरीत कुल 59 संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं एवं शेष जनपद पौड़ी के अधिकांश संयोजनों को विद्युत आपूर्ति किये जाने वाले 33/11 के0वी0 उपस्थान बुआखाल के अतिभारित होने के कारण संयोजन निर्गत करने में विलम्ब हुआ है। चूंकि अब 33/11 के0वी0 विद्युतघर को ऊर्जीकृत कर दिया गया है अतः जनपद पौड़ी के शेष संयोजनों को 3 माह के अन्तर्गत ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य जनपदों के शेष संयोजनों के ऊर्जीकरण कार्य प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी

बी0एस0एन0एल0 के मोबाईल टावरों को विद्युत संयोजन निर्गत करने की स्थिति

माह 12/20

विद्युत वितरण मण्डल, रुद्रपुर

(1) वि0वि0ख0, रुद्रपुर

क्र0सं0	विकासखण्ड	स्थान का नाम	भारत संचार निगम लि द्वारा आवेदन की तिथि	उपभोक्ता द्वारा संयोजन देने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	एसटीई बीएसएनएल टावर ग्राम नन्दपुर किच्छा	20-02-08	22-10-08	ऊर्जीकृत
2	रुद्रपुर	एसटीई बीएसएनएल रेलवे क्रासिंग के पास काशीपुर रोड, रुद्रपुर	20-05-08	25-08-09	ऊर्जीकृत
3	रुद्रपुर	एसटीई बीएसएनएल फ्लोर मिल आदर्श कालोनी, रुद्रपुर	30-12-07	30-03-08	ऊर्जीकृत
4	गदरपुर	एसटीई बीएसएनएल ग्राम नन्दपुर, गदरपुर	20-02-08	25-10-08	ऊर्जीकृत
5	गदरपुर	एसटीई बीएसएनएल ग्राम कुल्हा, गूलरभोज	20-02-08	07-11-08	ऊर्जीकृत

जि0वि0, काशीपुर

1	2	3	4	5	6
1	काशीपुर	कुण्डेश्वरी	02-06-85	18-10-88	कार्यरत
2	काशीपुर	प्रतापपुर	11-05-89	16-10-89	कार्यरत
3	काशीपुर	बीएसएनएल काशीपुर	22-03-90	24-06-90	कार्यरत
4	जसपुर	जसपुर	12-10-91	20-01-92	कार्यरत
5	जसपुर	गढ़ीनेगी, काशीपुर	21-06-97	28-11-97	कार्यरत
6	जसपुर	दूरभाष केन्द्र [illegible] काशीपुर	15-10-98	27-01-98	कार्यरत
7	काशीपुर	टाण्डा उज्जैन, काशीपुर	16-11-02	11-02-03	कार्यरत
8	काशीपुर	स्वामी नगर, काशीपुर	12-08-03	09-12-03	कार्यरत
9	काशीपुर	देवीपुरा	05-07-03	13-01-04	कार्यरत
10	काशीपुर	इस्लाईन, काशीपुर	13-03-05	13-09-05	कार्यरत
11	काशीपुर	रामनगर रोड, काशीपुर	12-03-05	16-08-05	कार्यरत
12	जसपुर	पतरामपुर	19-04-06	30-08-06	कार्यरत
13	जसपुर	महुआडाबरा	01-04-06	04-09-06	कार्यरत
14	काशीपुर	सरवरखेड़ा	26-07-06	09-11-06	कार्यरत
15	काशीपुर	सरवरखेड़ा	26-07-06	09-11-06	कार्यरत
16	जसपुर	शिवराजपुर	22-07-06	17-11-06	कार्यरत
17	जसपुर	आदर्श नगर गढ़ीनेगी	21-05-07	10-10-07	कार्यरत
18	जसपुर	शिवराजपुर	11-07-07	18-12-07	कार्यरत
19	काशीपुर	तहसील के अन्दर	11-08-08	09-01-09	कार्यरत
20	जसपुर	धर्मपुर, जसपुर	24-02-08	04-05-08	कार्यरत
21	काशीपुर	चिलापुर रोड चिकित्सालय के पास	02-06-08	10-10-08	कार्यरत
22	काशीपुर	खेड़ा खुर्द	21-07-08	22-12-08	कार्यरत
23	काशीपुर	कोर्ट, रोड, काशीपुर	11-11-08	26-02-09	कार्यरत

(2) जि0वि0, बाजपुर

1	बाजपुर	ग्राम बेरिया दौलत, मजरानगला, बाजपुर	19-02-09	28-05-09	कार्यरत

वि0वि0ख0, सितारगंज

1	2	3	4	5	6
1	सितारगंज	सब डिविजन आफिसर, बीएसएनएल, टुकड़ी	01-04-08	16-01-09	ऊर्जीकृत
2	सितारगंज	सब डिविजन आफिसर, बीएसएनएल, शक्तिफार्म	01-04-08	20-12-08	ऊर्जीकृत
3	सितारगंज	सब डिविजन आफिसर, बीएसएनएल, धानसीढ़ा	01-04-08	15-11-08	ऊर्जीकृत
4	किच्छा	सब डिविजन आफिसर, बीएसएनएल, शहदौरा	01-04-08	27-08-08	ऊर्जीकृत
5	खटीमा	सब डिविजन आफिसर, बीएसएनएल, अमौन	07-07-08	work delayed due to non availability of deposited of money & Site condition. Work under process	
6	सितारगंज	सब डिविजन आफिसर, बी-110, फेज-1, सिडकुल	18-09-08	24-01-09	ऊर्जीकृत

वि0वि0म0, हल्द्वानी

(1) वि0वि0ख0 हल्द्वानी नगर

1	2	3	4	5	6
1	हल्द्वानी	सब डिविजन आफिसर (टावर) मोबाईल टावर बीएसएनएल, गौलापार, हल्द्वानी	19-02-08	17-11-08	ऊर्जीकृत

(2) वि0वि0ख0 हल्द्वानी ग्रामीण

1	2	3	4	5	6
1	हल्द्वानी	क्षेत्रीय अधिकारी फोन, जीएसएमबीटीएस टावर, हल्दूचौड़	25-09-08	19-10-08	ऊर्जीकृत
2	हल्द्वानी	एसडीओ फोन्स गौलापार, हल्द्वानी	05-11-08	22-11-08	ऊर्जीकृत
3	हल्द्वानी	एसडीओ फोन्स, दमुवाढूंगा देवलचौड़	28-07-08	21-08-08	ऊर्जीकृत
4	हल्द्वानी	एसडीओ फोन्स, फतेहपुर सुभाष मानपुर पश्चिम	28-07-08	21-08-08	ऊर्जीकृत
5	हल्द्वानी	एसडीओ फोन्स, कुसुमखेड़ा	25-05-08	20-06-08	ऊर्जीकृत
6	हल्द्वानी	मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, सुशीला तिवारी चिकित्सालय, हल्द्वानी	05-08-09	26-08-09	ऊर्जीकृत
7	हल्द्वानी	एसडीओ फोन्स, लालकुआँ, हल्द्वानी	25-07-09	21-08-09	ऊर्जीकृत

(3) वि0वि0ख0 नैनीताल

1	2	3	4	5	6
1	नैनीताल	उपमण्डल अभियन्ता, पटवाडांगर	12-06-01	12-06-01	ऊर्जीकृत
2	नैनीताल	उपमण्डल अभियन्ता, देवीधुरा	29-12-01	04-01-02	ऊर्जीकृत
3	नैनीताल	उपमण्डल अभियन्ता, ज्योलीकोट	16-09-02	18-10-02	ऊर्जीकृत

1	2	3	4	5	6
4	भीमताल	उपमण्डल अभियन्ता, पटवाडांगर	21-02-05	19-03-05	ऊर्जीकृत
5	भीमताल	उपमण्डल अभियन्ता, बगड़ पल्ला	09-06-06	27-03-06	ऊर्जीकृत
6	भीमताल	उपमण्डल अभियन्ता, भवाली	18-01-98	14-02-98	ऊर्जीकृत
7	बेतालघाट	उपमण्डल अभियन्ता, बेतालघाट	05-10-99	10-02-00	ऊर्जीकृत
8	बेतालघाट	उपमण्डल अभियन्ता, हैड़ी	20-12-03	21-01-01	ऊर्जीकृत
9	बेतालघाट	उपमण्डल अभियन्ता, गरमपानी	14-04-05	23-05-05	ऊर्जीकृत
10	रामगढ़	उपमण्डल अभियन्ता, रामगढ़	16-05-06	31-05-06	ऊर्जीकृत
11	बेतालघाट	उपमण्डल अभियन्ता, हल्दी	14-08-06	12-09-06	ऊर्जीकृत
12	धारी	उपमण्डल अभियन्ता, सरगाखेत	28-03-08	07-06-08	ऊर्जीकृत
13	ओखलकाण्डा	उपमण्डल अभियन्ता, भीड़ापानी	05-03-08	30-07-08	ऊर्जीकृत
14	भीमताल	उपमण्डल अभियन्ता, बानना	15-07-08	23-02-09	ऊर्जीकृत
15	धारी	उपमण्डल अभियन्ता, सुन्दरखाल	04-09-08	31-05-09	ऊर्जीकृत
16	ओखलकाण्डा	उपमण्डल अभियन्ता, भीड़ापानी	09-06-08	31-05-09	ऊर्जीकृत
17	ओखलकाण्डा	उपमण्डल अभियन्ता, कमोली	04-09-08	31-05-09	ऊर्जीकृत
18	ओखलकाण्डा	उपमण्डल अभियन्ता, पतलोट	25-07-08	13-12-08	ऊर्जीकृत
19	ओखलकाण्डा	उपमण्डल अभियन्ता, ओखलकाण्डा	02-08-05	09-10-05	ऊर्जीकृत
20	धारी	उपमण्डल अभियन्ता, टैंकबुर धारी	15-11-05	25-01-06	ऊर्जीकृत
21	भीमताल	उपमण्डल अभियन्ता, अल्चौना	09-06-08	24-01-09	ऊर्जीकृत
22	धारी	डिविजनल इंजीनियर टेलीफोन	15-04-02	17-05-02	ऊर्जीकृत
23	रामगढ़	उपमण्डल अभियन्ता, नथुवाखान	05-01-05	31-03-05	ऊर्जीकृत
24	भीमताल	[illegible], धारी	03-06-08	25-11-08	ऊर्जीकृत

(4) वि०वि०ख० रामनगर

1	2	3	4	5	6
1	कोटाबाग	ककलूडा	07-02-08	05-03-08	ऊर्जीकृत
2	रामनगर	ढिकुली	28-06-05	28-07-05	ऊर्जीकृत
3	कोटाबाग	कमोला	15-05-04	14-06-04	ऊर्जीकृत
4	कोटाबाग	कन्धा पल्ला	29-12-07	24-01-08	ऊर्जीकृत
5	रामनगर	डिग्री कॉलेज, रामनगर	15-02-06	28-03-06	ऊर्जीकृत
6	रामनगर	टांडा मल्लू	11-06-08	03-07-08	ऊर्जीकृत

वि०वि०ख०, रानीखेत

(1) वि०वि०ख० रानीखेत

1	2	3	4	5	6
1	भिकियासैंण	तिमार	15-04-08	05-07-09	ऊर्जीकृत
2	ताड़ीखेत	काटे	22-06-08	05-08-09	ऊर्जीकृत
3	स्याल्दे	सलानगाड़ी	15-04-08	05-10-09	ऊर्जीकृत
4	द्वाराहाट	नागार्जुन/नगुमटी	15-04-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
5	द्वाराहाट	पछियाडगाँव	29-04-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
6	स्याल्दे	चनौली	05-05-08	05-07-09	ऊर्जीकृत
7	सल्ट	पैडाकोट	05-05-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
8	सल्ट	सरप	05-05-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
9	सल्ट	किनौली	21-10-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
10	ताड़ीखेत	सौला	17-03-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
11	ताड़ीखेत	पाखुड़ा	18-03-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
12	स्याल्दे	चकरगाँव	17-03-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
13	भिकियासैंण	सीम	17-03-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा
14	सल्ट	कुनोली	21-10-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा

(2)वि0वि0ख0 अल्मोड़ा

1	2	3	4	5	6
1	हवालबाग	चौसली	19-02-2008	16-02-2009	ऊर्जीकृत
2	ताकुला	बैल	19-02-2008	31-03-2009	ऊर्जीकृत
3	भिकियासैंण	सिनारी	19-02-2008	22-05-2009	ऊर्जीकृत
4	धौलादेवी	चौसली	19-02-2008	21-05-2009	ऊर्जीकृत
5	धौलादेवी	धुरा	19-02-2008	22-05-2009	ऊर्जीकृत
6	धौलादेवी	धुरका	05-03-2008	12-11-08	ऊर्जीकृत
7	धौलादेवी	चौनपुरी	05-03-2008	07-12-08	ऊर्जीकृत
8	धौलादेवी	काण्डी	05-03-2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
9	लमगड़ा	मोरनौली	05-03-2008		फोरेस्ट केस के सुलझाने के 1 माह में भीतर ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
10	लमगड़ा	सौपलताल	06/2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
11	ताकुला	गनाड़	08/2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
12	धौलादेवी	कानड़ी	08/2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
13	धौलादेवी	बीनाबाखाल	21-11-2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
14	हवालबाग	नेटुली	10/2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
15	लमगड़ा	दैनोली	25-08-2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
16	भिकियासैंण	रापुर	01-09-2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
17	लमगड़ा	सिलकोट	06/2008		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

(3) वि०वि०ख० बागेश्वर

1	2	3	4	5	6
1	बागेश्वर	घुन्घुना	25-02-09	18-06-09	ऊर्जीकृत
2	कपकोट	सौड़ाख्यल	23-06-08	25-09-09	ऊर्जीकृत
3	बागेश्वर	नन्दीगांव	23-06-08	05-06-09	ऊर्जीकृत
4	बागेश्वर	हनमतोली	25-02-09	12-05-09	ऊर्जीकृत
5	कपकोट	सूपी	25-02-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 3 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
6	बागेश्वर	घेड़लोती	23-06-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
7	बागेश्वर	खेताई	25-02-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

(4) वि०वि०ख० पिथौरागढ़

1	2	3	4	5	6
1	डिम	बॉस मैतोली	11-06-08	17-03-09	ऊर्जीकृत
2	डिम	बेडा	11-06-08		विद्युत लाईन खींचने में भूमि स्वामी आपत्ति कर रहा है सम्बन्धित उपभोक्ता को सूचित कर दिया गया है
3	गंगोलीहाट	चुन्नूका	11-06-08	13-09-09	ऊर्जीकृत
4	गंगोलीहाट	सानतोला	11-06-08	18-06-09	ऊर्जीकृत
5	गंगोलीहाट	खीमापुखौली	11-06-08	30-05-09	ऊर्जीकृत
6	गंगोलीहाट	पहल	25-02-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
7	बेरीनाग	उडियारी	25-02-09	05-12-09	ऊर्जीकृत
8	बेरीनाग	कन्यालापकर	26-07-09	05-12-09	ऊर्जीकृत
9	मुनाकोट	फलयाखाली	02-03-09	01-10-09	ऊर्जीकृत
10	गंगोलीहाट	जीवल	30-03-09		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

(ड)नि0नि0ख0 चम्पावत

1	2	3	4	5	6
1	चम्पावत	ल्वाढ़्या	02-07-08	30-08-08	ऊर्जीकृत
2	चम्पावत	गोरखनाथ	10-07-07	30-11-07	ऊर्जीकृत
3	टनकपुर-चम्पावत	ककराली गेट	20-11-07	07-02-08	ऊर्जीकृत
4	चम्पावत	धूप	28-07-08	28-09-08	ऊर्जीकृत
5	चम्पावत	मड़कोट	15-05-08	25-04-09	ऊर्जीकृत
6	पाटी	ढूढ़ा	15-05-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
7	चम्पावत	बिरगुल	15-05-08	30-06-09	ऊर्जीकृत
8	पाटी	नागर	15-05-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
9	पाटी	कुलियाल गाँव	15-05-08	29-11-09	ऊर्जीकृत
10	पाटी	धौड़ाकोट	15-05-08		कार्य प्रगति पर, आगामी 2 माह में ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।
11	पाटी	चौड़ा मेहता	02-06-08	30-11-08	ऊर्जीकृत
12	लोहाघाट	चौड़ा ढेक	16-09-08	02-06-09	ऊर्जीकृत
13	चम्पावत	मूल चौड़ा कोट	30-12-08	20-06-09	ऊर्जीकृत
14	चम्पावत	कोसाठी सेन्दर्क	30-12-08	31-05-09	ऊर्जीकृत

नत्थी–'म'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–40 पर)

विधान सभा प्रश्न संख्या–13 के उत्तर का संलग्नक

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत डामरीकृत मार्गों का विवरण।

क्र० सं०	ढाई वर्षों में किये गये डामरीकरण के मोटर मार्गों का विवरण।	किये गये डामरीकरण की कुल लम्बाई (कि०मी०)
1.	टिहरी–मुरादाबाद कि०मी० 214 से सिसई–मखोली दुनाव मोटर मार्ग।	5.00
2.	बैजरो–जोगीमढ़ी–सराईखेत मोटर मार्ग।	2.00
3.	सौंपखाल–रसियामहादेव मोटर मार्ग।	7.500
4.	पोखड़ा–बैजरो मोटर मार्ग।	21.00
5.	बैजरों–धौखाल–ठकरैखाल–बूंगीधार–बखुवाबाण मोटर मार्ग।	2.00
6.	गवाणी–ब्रह्मपाणी मोटर मार्ग।	6.75
7.	दमदेवल–गढ़री मोटर मार्ग।	1.50
8.	दमदेवल–गढ़री मोटर मार्ग।	0.30
9.	कुजखाल–कोलाखाल हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य।	8.50

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत डामरीकरण हेतु अवशेष कच्चे मार्गों का विवरण।

क्र० सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई	डामरीकरण हेतु अवशेष लम्बाई	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	टिहरी मुरादाबाद मो०मा० कि कि०मी० 214 से सिसई–मखोली–दुनाव मोटर मार्ग।	13.000	7.000	ADB द्वितीय फेज में स्वीकृत है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य माह 06/2011 है।
2.	सौंपखाल–रसियामहादेव मोटर मार्ग।	21.000	13.500	

–तदैव–

1	2	3	4	5
3.	धरराड़ी–मठकोट–छांछरी मोटर मार्ग।	3.000	3.000	कार्य स्वीकृत नहीं है।
4.	बेदीखाल–एरोली–पडिण्डा मोटर मार्ग।	3.00	3.00	–तदैव–
5.	धबुलसारी–रंगल्या–ढौर–बाखणी–मैठाणाघाट मोटर मार्ग।	10.00	10.00	–तदैव–
6.	देवराजखाल–जयराजखाल मोटर मार्ग।	2.00	2.00	–तदैव–
7.	सिमनढी–सम्पर्क मोटर मार्ग।	0.600	0.800	–तदैव–
8.	जबरा–मालकोट हल्का वाहन मार्ग।	1.800	1.800	–तदैव–
9.	दमदेवल–गढ़ी मोटर मार्ग।	2.00	0.200	–तदैव–
10.	दमदेवल–चौरीखाल मोटर मार्ग।	12.300	12.300	–तदैव–
11.	पोखड़ा–बैजरो मोटर मार्ग।	38.400	15.400	–तदैव–
12.	बैजरों चौखाल–धकरैखाल–धूर्गीधार–बाबूखाल मार्ग।	31.00	2.00	कार्य 4/2010 में पूर्ण हो जायेगा।
13.	ओडगांव सम्पर्क मार्ग।	4.00	4.00	कार्य 5/2010 में पूर्ण हो जायेगा।
	योग	140.10	74.80	

नत्थी–'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–44 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत मा0 सदस्य विधान सभा के द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर का संलग्नक

विधान सभा क्षेत्र–पौड़ी

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0)
1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2007–08			
1	प्रा0ख0पौड़ी	डाबूखाल सैनार मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	11/07	21.35
2	प्रा0ख0पौड़ी	एस0पी0 आवास के सम्मुख से क्यूंकालेश्वर तक मार्ग का निर्माण	0.80	11/07	17.07
3	प्रा0ख0पौड़ी	सिलेथ से क्यार्कसैण तक मो0मार्ग निर्माण	1.00	11/07	21.35
4	नि0ख0पौड़ी	चुनाखाल–मनकोट–किर्थू मो0 मार्ग रई धार मिलान रोड हैड का निर्माण	0.80	11/07	17.08
5	प्रा0ख0पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल में सम्पार सिरों [illegible] मार्ग का निर्माण	7.00	1/08	0.00
6	प्रा0ख0पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल में सरासू से नैल होकर नवासी कमाई गोब नैल मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	1/08	0.00
7	प्रा0ख0पौड़ी	बगवाड़ से नन्दकोट मोटर मार्ग	8.00	1/08	280.00

1	2	3	4	5	6
8	प्रा0ख0पी0डी	बीराल पीपला, टेका मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	1/08	280.00
9	प्रा0ख0पी0डी	अल्मा चौघी नकोली डाडी अल्कोटी रोड का विस्तारीकरण	3.00	1/08	0.00
10	प्रा0ख0पी0डी	बीराल पीपला, टेका मार्ग का निर्माण	8.00	1/08	0.00
11	प्रा0ख0पी0डी	चौखी ल्वाली मोटर मार्ग से ग्राम नन्खाट के लिये सम्पर्क मार्ग	3.00	3/08	51.75
12	प्रा0ख0पी0डी	पाल्ड0का औलनी से ब्राह्मण कब्खला तक मोटर मार्ग	4.00	3/08	85.40
13	नि0ख0पी0डी	रीखू-कम्डेली मो0 मार्ग का माली-बैला बाजार तक विस्तार एवं 38 मी0 पुल का निर्माण	5.00+38 मी0	03/08	243.40
14	नि0ख0पी0डी	बैनपुल पुलानु-पुलभाल मो0 मार्ग का निर्माण	5.00	03/08	175.00
		वर्ष 2008-09			
1	नि0ख0पी0डी	मटियाना-खिलबेरा हल्का वाहन मार्ग के नव निर्माण, सुधार कार्य	1.60	07/08	60.80
2	नि0ख0पी0डी	पाबर वाउस चौखी से जिला चिकित्सालय एवं निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण	1 मार्ग	07/08	5.37
3	प्रा0ख0पी0डी	बीराल से कम्पनियाल मोटर मार्ग का डामरीकरण	14.30	12/08	300.00
4	नि0ख0पी0डी	उरेगी-अयाल-चौल्दी-पैडुल मो0 मार्ग मे पैडुल-गढ़ेरे पर 24 मी0 स्टील गर्डर सेतू का निर्माण	24 मी0	12/08	69.20

1	2	3	4	5	6
5	प्रा0ख0पौढ़ी	नगर मवालार भेटी मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	2/09	175.00
6	प्रा0ख0पौढ़ी	मरगांव काण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	2/09	175.00
7	प्रा0ख0पौढ़ी	पौढ़ी ल्वाली मोटर मार्ग के खपरौली बस स्टाप से नगरोली तक मार्ग	2.50	2/09	87.50
		विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर			
		वर्ष 2007–08			
1	नि0ख0श्रीनगर	सुमाड़ी हरकण्डी जलेथा होते हुये दसाखेत तक मो0मार्ग	5.00	2007–08	186.75
2	नि0ख0श्रीनगर	ग्राम जुकण्डी से ग्राम गिरगांव जोग्याणा तक मो0मार्ग	10.00	2007–08	200.00
3	नि0ख0श्रीनगर	देहलचौरी मजिन काण्डा मो0मार्ग से मंजाकोट लिंक मार्ग	1.00		35.00
4	नि0ख0श्रीनगर	देवप्रयाग बाह बाजार धनेश्वर से ग्राम पुण्डल में मां भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर तक मो0मार्ग को ग्राम कोठी तक विस्तार	2.00	2007–08	70.00
5	नि0ख0श्रीनगर	देहलचौरी तैलावाटे मो0मार्ग का विस्तार	1.00	2007–08	35.00
6	नि0ख0श्रीनगर	डांग घोबीघाट से गाईचौरी तक मो0मार्ग	2.00	2007–08	70.00
7	नि0ख0श्रीनगर	चमराडा असिंगी मो0मार्ग का जाख तक विस्तार	1.25	2007–08	43.75
8	नि0ख0श्रीनगर	जामलाखाल से पोखरी मो0मार्ग	3.00	2007–08	105.00

1	2	3	4	5	6
9	नि0ख0श्रीनगर	धिनोली अस्वनी खन्दुखाल मो0मार्ग तक विस्तार एवं मो0मार्ग का पक्कीकरण	5.00	2007–08	135.00
10	नि0ख0श्रीनगर	देहलचौरी पौड़ी ह0का0 मार्ग को मो0मार्ग में परिवर्तन करते हुये पुनः निर्माण एवं सुधार	12.50	2007–08	337.50
11	नि0ख0श्रीनगर	खण्डाह घुमाड़ी बुघाणी मो0मार्ग से खल्लू सम्पर्क मार्ग का पक्कीकरण	1.00	2007–08	35.00
12	नि0ख0श्रीनगर	खण्डाह घुमाड़ी बुघाणी मो0मार्ग से धमराड़ा सम्पर्क मार्ग का पक्कीकरण	3.25	2007–08	65.00
13	नि0ख0श्रीनगर	डांग ऐठाणा मार्ग का पक्कीकरण	1.80	2007–08	36.00
14	नि0ख0श्रीनगर	बीबट्टाखाल हुलाकीखाल कठुली मो0मार्ग का पुनः निमार्ण एवं सुधार	8.40	2007–08	201.60
15	नि0ख0श्रीनगर	गंगादर्शन मोड़ से रा0रा0मार्ग 58 तक मो0मार्ग का पक्कीकरण	3.00	2007–08	60.00
16	नि0ख0श्रीनगर	दावद चहीगांव मो0मार्ग का पक्कीकरण	2.50	2007–08	50.00
17	नि0ख0श्रीनगर	खण्डाह गिरगांव मो0मार्ग का मैठाणा तक विस्तार	3.00	2007–08	81.75
18	नि0ख0श्रीनगर	धमराड़ू घिण्डवाड़ा नकोट नकलोंडी मो0मार्ग	29.00	2007–08	516.00
19	नि0ख0श्रीनगर	धनेला कटाखोली ग्वाड़ पंयापानी तक मो0मार्ग में परिवर्तित कर पक्कीकरण	8.00	2007–08	170.80

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2007—08			
20	नि0खं0श्रीनगर	खण्डाह गिरगांव मोटमार्ग का पुनः निर्माण	6.00	2007—08	121.50
21	नि0खं0श्रीनगर	दिगोली से अम्बेडकर गांव मरगुण तक मोटमार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण	3.50	2007—08	66.42
22	नि0खं0श्रीनगर	खण्डाह बकेली खोला ह0वा0 मार्ग को मोटमार्ग	9.00	2007—08	97.50
23	नि0खं0श्रीनगर	चमराडा सम्पर्क मार्ग से डामकेश्वर मन्दिर तक मार्ग	0.325	2007—08	6.95
24	नि0खं0श्रीनगर	जामलाखाल पराकोट मोटमार्ग से पंचुर ह0वा0 मार्ग को मोटमार्ग में परिवर्तन	0.50	2007—08	4.05
25	नि0खं0श्रीनगर	जामलाखाल पराकोट मोटमार्ग से पंचुर के कि0मी0 2 से 5 तक क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण एवं मलवा सफाई	3.00	2007—08	1.50
26	प्रा0खं0पौड़ी	पौड़ी देवप्रयाग मोटमार्ग का बी0एम0/एस0डी0 बी0सी0 से नवीनीकरण कि0मी0 4,5(300मी0) कि0मी0 9 से 11 (2.50 कि0मी0)	3.80	11/07	101.74
27	प्रा0खं0पौड़ी	सल्डा से कण्डोला मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	11/07	21.35
28	प्रा0खं0पौड़ी	पौड़ी देवप्रयाग मोटमार्ग के कि0मी0 23.50 तक 28.00 तक बी0एम/एस0डी0 बी0सी0 का कार्य तथा कि0मी0 9 से 25 तक ज्यामितीय सुधार का कार्य	5.50	1/08	304.00

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2007–08			
29	प्रा0ख0पौड़ी	पुकदौड़ी चराकोट पामनलखाल देवप्रयाग मोटर मार्ग का विस्तार	8.00	1/08	343.00
30	प्रा0ख0पौड़ी	बुवाखाल पौड़ी देवप्रयाग मोणा (कि0मी0 1 से 28) के अवशेष मार्ग का सुधार व बी0एम0/ एस0डी0 बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण।	28.00	2/08	252.44
31	प्रा0ख0पौड़ी	जनपद पौड़ी में कोलू बैण्ड से मकलोढी तक मो0मार्ग का निर्माण	1.50	3/08	25.67
32	प्रा0ख0पौड़ी	वि0खण्ड कोट के ग्राम कटुक की हरिजन बस्ती को पौड़ी देवप्रयाग से जोड़ने के लिये मो0मार्ग का नव निर्माण	6.00	3/08	129.77
33	प्रा0ख0पौड़ी	बजूण से नकोट भट्टी–गडम अन्य पिपदा ग्राम तक मो0मार्ग का निर्माण	2.50	3/08	52.72
34	प्रा0ख0पौड़ी	मण्डालू दर्जाखार अमसारी पूलीसी तक मोटर मार्ग	5.00	3/08	86.25
35	प्रा0ख0पौड़ी	घिडकाढा बजूण गोदी मरोडा बवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण सेतु सहित	10.00	3/08	251.10
36	प्रा0ख0पौड़ी	पौड़ी में रामकुण्ड देवप्रयाग से कुर्म तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	3/08	120.75

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2007–08			
37	प्रा0खं0पौड़ी	बड़ेथाखाल खाण्डा मोटर मार्ग से खाण्डा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.50	3/08	75.87
38	प्रा0खं0पौड़ी	कापड़खाल (पौड़ी) मोटर मार्ग से मरोड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	3/08	86.25
39	प्रा0खं0पौड़ी	सब्धरखाल रणाकोट मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार	1.40	3/08	28.00
		विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर			
		वर्ष 2008–09			
1	प्रा0खं0पौड़ी	व्यास घाट से खाण्ड मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं डामरीकरण	10.00	5/08	185.00
2	प्रा0खं0पौड़ी	पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग का कि0मी0 9 से 49 का सुधार एवं बी0एम/एस0डी0बी0सी0 का कार्य	40.00	07/08	1171.37
3	प्रा0खं0पौड़ी	पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर कुण्डाधार रणाकोट सब्धरखाल समान्तर मार्ग को बाईपास मोटर मार्ग में परिवर्तन	6.80	2/09	137.36
4	प्रा0खं0पौड़ी	स्यालखाल हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.00	2/09	81.00

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2008–09			
5	प्रा0खं0पौड़ी	सतखाल–पुड़दौडी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	4.00	2/09	108.00
6	प्रा0खं0पौड़ी	सतपुली बांघाट बिलखेत मोटर मार्ग का पक्कीकरण	10.00	2/09	200.00
7	प्रा0खं0पौड़ी	स्यालखाल–पंचई मोटर मार्ग के कि0मी0 4–5 से ग्राम कुलिराली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	3/09	70.00
8	प्रा0खं0पौड़ी	पुड़दौड़ी–सिण्डी–जसकोट मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	3/09	210.00
9	प्रा0खं0पौड़ी	जानला से दालमी गांव तक मोटर मार्ग	3.00	3/09	105.00
10	प्रा0खं0पौड़ी	पथरादाखाल गैठीखेड़ा मोटर मार्ग से ग्राम कान्डा तक जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्ग	1.00	3/09	35.00
11	प्रा0खं0पौड़ी	पथरादाखाल गैठीखेड़ा मोटर मार्ग से ग्राम पोखरी भवन को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग 10 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया	1.00	3/09	17.00
12	प्रा0खं0पौड़ी	अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत सल्डा से कुलासू मार्ग का निर्माण	6.00	3/09	210.00
13	प्रा0खं0पौड़ी	अनुसूचित जाति के अन्तर्गत पुष्पनेश्वर सकनोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	3/09	105.00
14	प्रा0खं0पौड़ी	12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर ज्यामितीय सुधार के अन्तर्गत हिल साइड कटिंग दीवार एवं स्कपर निर्माण कार्य (कि0मी0 44 से 49)	6.00	3/09	44.09

विधान सभा क्षेत्र–थलीसैंण

वर्ष 2007–08

1	2	3	4	5	6
1	नि0खं0पौड़ी	खतगढ़ बैण्ड से खतगैड़ गांव तक लिंक मार्ग	0.30	11/07	6.40
2	नि0खं0पौड़ी	चपलोड़ी से फलहाड़ी मार्ग का विस्तार	1.00	11/07	21.35
3	नि0खं0पौड़ी	च्वोली से बदेथ तक सी0सी0 पैदल मार्ग	0.250	11/07	5.00
4	नि0खं0पौड़ी	त्रिपालीसैंण से कोकली सी0सी0 पैदल मार्ग	0.40	11/07	10.00
5	नि0खं0पौड़ी	एस0सी0पी0 विकास, खण्ड पाबौ के अन्तर्गत चोपड़ियूं–कुलमोरी स्वीकृत मो0 मार्ग का निर्माण	24 मी0+18मी0	03/08	33.90

वर्ष 2008–09

1	2	3	4	5	6
1	नि0खं0पौड़ी	सोमेश्वर महादेव मन्दिर भट्टीगांव से ग्वाड़ीगाड़ मो0 मार्ग का मिलान	1 जाब	07/08	2.43
2	नि0खं0पौड़ी	चोपड़ियू से कुलमोरी मो0 मार्ग का पक्कीकरण	0.30	07/08	6.00
3	नि0खं0पौड़ी	दगदेवल–मरड़ी मो0 मार्ग का पक्कीकरण	6.00	07/08	—
4	नि0खं0पौड़ी	विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत पैठाणी–मलुण्ड मो0 मार्ग का निर्माण	3.00	11/08	105.00
5	नि0खं0पौड़ी	विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत त्रिपालीसैंण–मठोली–कुमरी तल्ली–कुमरी मल्ली मो0 मार्ग का निर्माण	3.00	11/08	105.00

1	2	3	4	5	6
6	नि0खा0पौड़ी	विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत स्योली खण्ड–कांडा–पणखाली–करछोली मो0 मार्ग का निर्माण	3.00	11/08	105.08
7	नि0खा0पौड़ी	पाबौ–दमदेवल मार्ग का दमदेवल तक विस्तार	15.00	12/08	510.60
8	नि0खा0पौड़ी	गडोली–डुगरी तल्ली (बिथालीसैण) में नदी पर पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण	15.00मी0	12/08	26.40
9	नि0खा0पौड़ी	पाबौ के अन्तर्गत मरखोला गाव के लिए बिनगढ नदी पर पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण	15.00मी0	12/08	25.35
10	नि0खा0बैजरो	उफरैंखाल–कल्याणखाल–बरोला–देघाट मोटर मार्ग	–	12/08	105.00
11	नि0खा0पौड़ी	चपलोडी–मनकोली–कलगढी मो0 मार्ग पर मो0	15.00मी0	02/09	34.30
12	नि0खा0पौड़ी	कलगढी–दमदेवल मो0 मार्ग के समीप डुमलोट गांव के लिए नदी पर पैदल लौह सेतु का निर्माण	20.00मी0	02/09	34.30
13	नि0खा0पौड़ी	खण्ड मल्ला में उन्यीयार तोक पर पैदल सेतु	20.00मी0	02/09	36.40
14	नि0खा0पौड़ी	पंगीन–कोकली के बीच पुरुष नदी पर पैदल लौह सेतु	20.00मी0	02/09	38.20
15	नि0खा0बैजरो	ग्राम चोपता हेतु गुरफली–चोता मोटर मार्ग निर्माण	–	03/09	83.40
16	नि0खा0पौड़ी	कुलगोरी से छानी तक सम्पर्क मार्ग	0.50	10/09	7.00
17	नि0खा0पौड़ी	सोमेश्वर महादेव मन्दिर सी0सी0 मार्ग मट्टीगांव से ग्वाड़ीगाड मो0मार्ग से ग्वाड़ीगाड तक पैदल मार्ग का निर्माण	0.50	–	7.00

विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन

वर्ष 2007–08

1	2	3	4	5	6
1	नि०ख०दुगड्डा	डीटिहाल के समीप सिकनाड़ी–कमलेख–लागवाड़ी मोटर मार्ग में भ्लेन नदी पर स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1 सेतु	07/07	107.20
2	प्रा०ख०लैन्सडौन	सौलीबैण्ड मैठोली समखाल ह०वा० मार्ग पर कि०मी० 6 व 7 में आर०सी०सी०पुलिया 6 मी० स्पान का निर्माण।	2.00	11/2007	11.50
3	प्रा०ख०लैन्सडौन	डी०एफ०डब्लू० बन्ला लैन्सडौन से 2/3 कालागढ़ी बाजार में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण पर अतिरिक्त धनराशि एवं 6 मी० स्पान पुलिया का निर्माण 1.20 कि०मी०	1.20	11/2007	18.00
4	प्रा०ख०पौड़ी	पाटीसैंण तछवाड़ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.50	11/07	20.25
5	प्रा०ख०लैन्सडौन	कुल्हाड़ किनसूर ह०वा० मार्ग का मो०मार्ग में परिवर्तन 2 कि०मी०	2.00	11/2007	16.20
6	प्रा०ख०पौड़ी	घुमटिया सगलाकोटी हाईकोट नवालगांव देवराजखाल मोटर मार्ग	12.00	1/08	420.00
7	प्रा०ख०पौड़ी	चककुठिया–घुमटिया पुल से संगलाकोटी से जयराजखाल मोटर मार्ग	12.00	3/08	420.00

1	2	3	4	5	6
8	प्रा0ख0पौड़ी	सतपुली पोखड़ा मार्ग के कि0मी0 29 से 51 तक सुधारीकरण एवं पक्कीकरण	23.00	3/08	956.58
9	नि0ख0दुगड्डा	ढौंटियाल–सिमल्दी बूंगाखाल मोटर मार्ग के प्रथम कि0मी0 में लौह सेतु का निर्माण।	1 प्राप्त	03/08	66.00
		वर्ष 2008–09			
1	प्रा0ख0पौड़ी	पाटीसैंण तकवाड हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	0.75	7/08	6.07
2	प्रा0ख0लैन्सडौन	कन्दोली पीडा देवखी मो0मार्ग में कि0मी0 2 से आंगनबाडी केन्द्र कन्दोली तक सम्पर्क मार्ग 1 कि0मी0	1.00	7/2008	6.00
3	प्रा0ख0पौड़ी	पलकुडिया मसमोली रकन्दोली कसानी पाण्डुवाखोली	9.00	12/08	315.00
4	नि0ख0दुगड्डा	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत ढौंटियाल में प्लेन नदी पर 60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1 प्राप्त	12/08	160.44
5	प्रा0ख0पौड़ी	सतपुली पोखड़ा मार्ग के कि0मी0 11 से 28 तक अवरोध मार्ग एवं 49 से 52 में बी0एम/एस0डी0 बी0सी0 का कार्य	3.50	3/09	264.96
6	प्रा0ख0लैन्सडौन	जयहरीखाल मैन्दोली मो0मार्ग कि0मी0 7.10	2.10	3/09	—
7	प्रा0ख0लैन्सडौन	लैन्सडौन लो0नि0वि0 कार्यालय से हिन्दू पंचायती धर्मशाला तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण 0.110 मी0	0.110	10/2008	8.00

विधान सभा क्षेत्र—यमकेश्वर

वर्ष 2007–08

1	2	3	4	5	6
1	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	गैण्डखाल डांसी ह0वा0 का मोटर मार्ग में परिवर्तन 4 किमी0	4.00	7/2007	47.76
2	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	रिगांलपानी म्यीन मो0मार्ग का विस्तार 1.20 किमी0	1.20	11/2007	25.62
3	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	आमखाल (काण्डी) बुंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.00	11/07	21.35
4	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	बोड़खाल नांद मो0मार्ग का सिमटाली तक विस्तार पुल सहित 10 किमी0	10.00	3/2008	421.28
5	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	सिलोगी धनसाली मो0मार्ग 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
6	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	बोड़खाल से नोद मो0मार्ग 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
7	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	धौड़खाल गैरूल मो0मार्ग 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
8	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	मरटखाल रैस मो0मार्ग का कुठार तक विस्तार 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
9	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	गैण्डखाल डांसी कटघर मो0मार्ग का निर्माण 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
10	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	डोबर से परेख डौरी डाबर मो0मार्ग 2 किमी0	2.00	3/2008	70.00
11	प्रा0ख0लो0नि0-सदीन	बड़ेथखाल मूष बागी मो0मार्ग दो सेतुओं सहित 8 किमी0	8.00	3/2008	234.40
12	नि0खं0दुगड्डा	चौखाल–पर्वासी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण	1.00	03/08	21.35

1	2	3	4	5	6
13	नि0खं0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पौखाल–मवासी मार्ग पर माण्डलू से आगे अवशेष भाग का निर्माण।	1.00	03/08	67.35
14	नि0खं0 दुगड्डा	यमकेश्वर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नीलकण्ठ मंदिर मोटर मार्ग की मरम्मत।	5.00	03/08	23.83
15	नि0खं0 दुगड्डा	बीला–बैराज मोटर मार्ग पर बीन नदी पर दो लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1 जाब	03/08	809.00
16	नि0खं0 दुगड्डा	अनुराधा स्थल तथा वानप्रस्थ के मध्य गली में नाली तथा सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण।	0.250	03/08	13.94
17	नि0खं0 दुगड्डा	थाने के पास वाली गली में सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण।	0.080	03/08	2.72
18	नि0खं0 दुगड्डा	पानी की टंकी (गंगा सिंह के घर) से मुख्य मार्ग तक नाली तथा सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण।	0.500	03/08	5.74
19	नि0खं0 दुगड्डा	सतेन्द्र सिंह नेगी के घर से जंगलात मार्ग तक नाली तथा सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण।	0.350	03/08	2.57
20	नि0खं0 दुगड्डा	पानी की टंकी से रघुवीर सिंह भण्डारी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.300	03/08	1.48
21	नि0खं0 दुगड्डा	स्वर्गाश्रम के पीछे से भूतनाथ मंदिर तक नाली तथा सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण।	0.400	03/08	14.74
23	नि0खं0 दुगड्डा	संस्कृत महाविद्यालय के समीप नाली निर्माण।	0.020	03/08	0.60

1	2	3	4	5	6
24	नि०का० डुगड्डा	थाने के पास वाली गली में पुलिया का निर्माण।	0.010	03/08	5.98
25	नि०का० डुगड्डा	राजेन्द्र सिंह की दुकान से काण्डी बस स्टॉप तक मार्ग का पुन: निर्माण।	0.125	03/08	1.46
26	नि०का० डुगड्डा	किरमोला ग्राम वार्ड 4 में पानी की टंकी तक नाली तथा मार्ग का पुन: निर्माण।	0.080	03/08	2.98
27	नि०का० डुगड्डा	पोस्ट ऑफिस के पास वाली गली का पुन: निर्माण	0.080	03/08	1.10
28	नि०का० डुगड्डा	मुख्य मार्ग से पूरन सिंह के घर तक सी०सी०मार्ग का पुन: निर्माण।	0.300	03/08	1.49
29	नि०का० डुगड्डा	मुख्य मार्ग से गोपाल सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का पुन: निर्माण।	0.400	03/08	2.65
30	नि०का० डुगड्डा	राजदीप होटल से नारायण सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का पुन: निर्माण।	0.030	03/08	1.14
31	नि०का० डुगड्डा	राजदीप होटल से गंगासिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का पुन: निर्माण।	0.250	03/08	3.54
32	नि०का० डुगड्डा	चौहान होटल से बालविद्यानिकेतन तक नाली तथा सी०सी० मार्ग का पुन:	0.250	03/08	3.18
		वर्ष 2008–08			
1	नि०का० डुगड्डा	माण्डई रोड एवं चौबाल बाजार का सुधारीकरण पुश्ता/नाली निर्माण।	1 जाब	7/08	6.00

1	2	3	4	5	6
2	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज कूंतणी व स्यार के मध्य हेंवल नदी पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1 जाब	12/08	41.66
3	प्रा0ख0 लैन्सडौन	बैजूसैण सिलोगी घट्टूगाड मो0मार्ग के कि0मी0 4 से 40 में राइडिंग क्वालिटी में सुधार	36.00	3/2009	1458.20
4	नि0ख0 दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में धारकोट से चुलेड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	20.00	03/09	700.00
5	नि0ख0 दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुम्भक्षेत्र नीलकण्ठ मंदिर पैदल मार्ग के अवशेष कार्य।	1.50	10/09	35.00

विधान सभा क्षेत्र-धुमाकोट

वर्ष 2007-08

1	2	3	4	5	6
1	प्रा0ख0लैन्सडौन	द्वारी गौन मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 18	16.00	7/2007	278.00
2	प्रा0ख0लैन्सडौन	डाबखाल-खनेताखाल मो0मार्ग का विस्तार (9.850 से 12.850)	3.00	7/2007	51.75
3	प्रा0ख0लैन्सडौन	टकोलीखाल से बीरोंखाल मो0मार्ग कि0मी0 1 से 15	15.00	7/2007	258.75
4	प्रा0ख0लैन्सडौन	बसुलियाखाल ताड़केश्वर मो0मार्ग का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य	6.00	7/2007	121.50
5	प्रा0ख0लैन्सडौन	सतपुली कंसनखेत दुधारखाल धारकोट ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में परिवर्तन एवं बीच के छूटे भाग का निर्माण 2 सेतुओं सहित कि0मी0 11 से 23	12.00	7/2007	265.05

1	2	3	4	5	6
6	नि0ख0बैजरो	पौड़ी गढ़वाल में जड़ाऊखांद से मजेड़ा बैण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण	13.00	07/2007	264.05
7	प्रा0ख0लैन्सडौन	किल्बोखाल खाल्यूडांडा हनाo मार्ग का विस्तार एवं बीच के छूटे भाग का निर्माण	13.00	10/2007	175.92
8	प्रा0ख0लैन्सडौन	डाबखाल अन्द्रासी पल्लीगांव मो0मार्ग का विस्तार कि0मी0 6 से 7	2.00	11/2007	42.70
9	नि0ख0बैजरो	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लिस्कोट–किनगोड़ीखाल मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य	14.00	11/07	569.66
10	नि0ख0बैजरो	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सिरिटाखेत–खाल्यूडांडा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	20.00	11/07	830.80
11	नि0ख0बैजरो	धुमाकोट–पीपली हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन कि0मी0 10, 11	2.00	11/07	16.20
12	नि0ख0बैजरो	खाल्यूडांडा–भौन–अपोलोसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	2.50	11/07	53.37
13	नि0ख0बैजरो	धुमाकोट–पीपली मार्ग का विस्तारीकरण।	1.00	11/07	17.70
14	प्रा0ख0बैजरो	रिखणीखाल बयाला भयास्यू मो0मार्ग	2.32	12/2007	49.49
15	नि0ख0बैजरो	जनपद पौड़ी गढ़वाल में टान्ड्यू बैण्ड से टान्ड्यू ग्राम तक मोटर मार्ग	2.50	01/08	87.50
16	नि0ख0बैजरो	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खाल्यूडांडा–भौन–अपोलोसेरा मोटर मार्ग का डामरीकरण	1.50	01/08	30.00

1	2	3	4	5	6
17	प्रा0ख0लै0सडी0न	पालकोट बरस्वार कि0मी0 1 से 4	4.00	3/2008	140.00
18	प्रा0ख0लै0सडी0न	सिमल्ही असनखेत मझोला मो0मार्ग कि0मी0 1 से 6	6.00	3/2008	210.00
19	प्रा0ख0लै0सडी0न	टकोलीखाल–फानीखाल मो0मार्ग कि0मी0 6 से 8 (मिसिंग लिंक)	3.00	3/2008	105.00
20	प्रा0ख0लै0सडी0न	टकोलीखाल–बीरोंखाल मो0मार्ग कि0मी0 16 से 19	4.00	3/2008	140.00
21	प्रा0ख0लै0सडी0न	द्वारी के भौन मो0मार्ग कि0मी0 (20 से 32) सेतु सहित	8.00	3/2008	250.24
22	प्रा0ख0लै0सडी0न	बिदुरगांव सम्पर्क मार्ग		3/2008	70.00
23	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बराड़ा–बूंगा देवियोखाल मिसिंग लिंक का निर्माण।	5.00	03/08	284.60
24	नि0ख0बैजरो	पुमाकोट के अन्तर्गत ढोलियाखाल से सियालखेत हेतु लिंक मार्ग निर्माण।	5.00	03/08	175.00
25	नि0ख0बैजरो	पुमाकोट–पीपली मोटर मार्ग का डामरीकरण	17.13	03/08	342.60
		वर्ष 2008–09			
1	नि0ख0दुगड्डा	कण्डी रोड (कौड़िया रेलवे लाईन) से मोटाढांग तक मार्ग के अवशेष का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुधार कार्य।	2.50	5/08	171.56
2	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बिलकोट बैण्ड से बहली गांव मोटर मार्ग का निर्माण।	6.50	07/08	227.50
3	नि0ख0बैजरो	डुंगरी–डुमलोट–सियाबेल–वाली–डोभा–किनाथी–पटोटिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	10.00	07/08	350.00

1	2	3	4	5	6
4	नि0ख0बैजरो	खाल्यूडांडा–मौन–अपोलासेरा मोटर मार्ग कि0मी0 1–3 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	1 जाब	07/08	5.25
5	प्रा0ख0लैन्सडौन	ग्रामखाल अन्द्रसौ का विस्तार कि0मी0 8 से 15	7.00	12/2008	280.00
6	प्रा0ख0लैन्सडौन	कठबाड़ा खनसूली खनेताखाल मो0मार्ग कि0मी0 1 से 6	6.00	12/2008	210.00
7	नि0ख0दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत रथुवाढाब–हल्दूखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण।	9.00	12/08	216.00
8	नि0ख0बैजरो	पडरोली–बैतापार–कोटा–पिंजोली–आर्सों मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	10.00	02/09	360.00
9	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बिजकोट बैण्ड से मैठलीगांव मोटर मार्ग कि0मी0 4.50 में काली नदी पर 48 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण।	1 जाब	03/09	119.60

विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार

वर्ष 2007–08

1	नि0ख0दुगड्डा	कोटद्वार–कण्वाश्रम मोटर मार्ग पर सुखरौ नदी पर दो लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1 जाब	10/07	1235.25
2	नि0ख0दुगड्डा	दुगड्डा–रथुवाढाब–हल्दूखाल मोटर मार्ग से सांझासैण ब्लॉक ऑफिस के मध्य पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण।	1 जाब	11/07	12.00
3	नि0ख0दुगड्डा	दुगड्डा ब्लॉक से खोलकन्डी से नदिर गांव।	1 जाब	11/07	21.35
4	नि0ख0दुगड्डा	ग्राम धुवपुर में मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	0.35	11/07	6.20

1	2	3	4	5	6
5	नि0ख0दुगड्डा	दुगड्डा मार्ग के अवशेष भाग में सी0सी0 कार्य।	0.24	11/07	8.40
6	नि0ख0दुगड्डा	कोटद्वार गैरिज मार्ग से टाटा कॉमर्शियल तक मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0 बी0सी0 कार्य।	0.38	11/07	24.00
7	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में इण्टर कालेज रामपुर सड़क पर डुग स्रोत पर पुलिया का निर्माण।	1 प्रा0	1/08	20.00
8	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में दुर्गापुर बलवन्त सिंह के घर से ग्राम सभा पार्क तक सड़क का नव निर्माण।	1.00	3/08	19.60
9	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में जालपानी मुख्य मार्ग से सुदामा सिंह के घर से होकर सनेह–चौराहे तक मार्ग का नव निर्माण।	1.10	3/08	30.80
10	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में सनेह चौराहे से बाया स0इ0का0स0 कोटद्वार से चन्द्रसिंह अधिकारी के घर तक सड़क निर्माण।	0.80	3/08	22.40
11	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में बालागंज (उदयरामपुर) में मुख्य सड़क से मुन्ना डबराल के घर तक नव निर्माण।	1.50	3/08	42.00
12	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में काशीरामपुर तल्ला में नदी के समानान्तर सरस्वती शिशु मंदिर होते हुए शिव मंदिर गूलर तक मार्ग का नव निर्माण।	0.80	3/08	22.40
13	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौढ़ी गढ़वाल में झण्डीचौड़ पूर्वी से पंचायत घर से जनपद बिजनौर सीमा से हल्दूखाता तक नव निर्माण।	1.50	3/08	42.00

1	2	3	4	5	6
14	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में चौधरी कालोनी से टाटा कॉमर्शियल तक फ्लड नाले का निर्माण।	0.50	3/08	36.92
15	नि0खं0दु0गढ़वाल	कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण ।	88.00	3/08	37532.00
16	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिद्धबली कुम्भीचौड़–सनेह मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण।	2.50	3/08	50.00
17	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में तड़ियाल चौक से पंचायत घर (शिब्बूनगर) होते हुए नया गांव में सी0सी0 मार्ग व डामरीकरण।	2.10	3/08	54.29
18	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ के अन्तर्गत सी–325 तथा सी–388 से सी–324 तक मार्ग का डामरीकरण।	0.80	3/08	12.00
19	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में निम्बूचौड़ से मवाकोट चौराहे तक सड़क का सुदृढ़ीकरण व नाली निर्माण कार्य।	3.00	3/08	60.00
20	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पदमपुर–मोटाढांग मुख्य मार्ग से उमरावनगर सम्पर्क मार्ग एवं शाखा मार्गों का डामरीकरण।	1.00	3/08	20.00
21	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारटनगंज में बशीर के घर से हार्टीकल्चर कार्यालय तक डामरीकरण व सुधार कार्य।	0.80	3/08	16.00
22	नि0खं0दु0गढ़वाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मालन नदी पर चूना महेड़ा में झूलापुल निर्माण। (पैदल सेतु)	1 जाब	3/08	97.44

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2008—09			
1	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नरेन्द्र सिंह भण्डारी जी के घर से आगे डी0ए0वी0 कालेज तक मार्ग निर्माण।	0.50	7/08	13.71
2	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिम्मलचौड़ मुख्य मार्ग से पदमपुर—सुखरौ चौराहे तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से डामरीकरण।	1.80	7/08	53.65
3	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुलरझाला—तैलीपाड़ा मार्ग में तेलीस्रोत पर आर0सी0सी0पुलिया का निर्माण।	1 जाब	7/08	18.00
4	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डिग्री कालेज घनियाली स्रोत आर0सी0सी0 पुल पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1 जाब	7/08	58.00
5	नि0ख0दुगड्डा	श्री भरत सिंह बिष्ट के मकान से आगे सी0सी0मार्ग का निर्माण।	1 जाब	07/08	6.00
6	नि0ख0दुगड्डा	शिब्बूनगर में पंचायत घर के पास जिला योजना में निर्मित मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	0.25	7/08	5.33
7	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कण्वाश्रम में मालन नदी पर 72 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण।	1 जाब	1/09	265.00
8	नि0ख0दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बी0ई0एल रोड से जगतसिंह प्रधान बालासौड़ होते हुए बालासौड़ मुख्य मार्ग तक निर्माण।	1.00	2/09	28.00

1	2	3	4	5	6
		विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल वर्ष 2007–08			
1	नि0खं0लो0नि0वि0	काण्डा मल्ला–कण्डुली बड़ी–ढिमलीखाल मार्ग से प्रा0 वि0 जनता हाईस्कूल बीरवाला रीठू रौतेली स्मारक मार्ग लिंक रोड	0.70	11/07	14.94
2	नि0खं0लो0नि0वि0	बीरोंखाल–दुगैला–डल्ला–भमरईखाल–दुनाव मोटर मार्ग के स्थान पर डिन्डोलीखाल से बन्दोली तल्ली–म्वानियर (अनु0 जाति बस्ती) एवं ग्राम महादेवसैण तक सम्पर्क मार्ग	1.00	11/07	21.35
3	नि0खं0लो0नि0वि0	मैदाणाघाट–बाखली–ठकुलसारी मोटर मार्ग से सड़क से ग्राम नौलापुर तक 300 मी0 आर0सी0सी0 मार्ग	0.30	11/07	10.50
4	नि0खं0लो0नि0वि0	ग्राम कुणजोली में नौधला–गैरी जाने हेतु गधेरे में पुलिया का निर्माण कार्य 8 मी0	8 मी0	11/07	8.00
5	प्रा0खं0पौड़ी	देवराढी देवी से सेकियाखाल मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	3/08	175.00
6	नि0खं0लो0नि0वि0	पौड़ी गढ़वाल में बैजरों–थलीसैण मोटर मार्ग से सुकई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.00	03/08	70.00
7	नि0खं0लो0नि0वि0	विकासक्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा म्वीन (ग्रामसभा म्वीन) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	6.00	03/08	120.00

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2008–09			
1	नि0ख0बैजरों	काणाखेत–तैयार मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 4 से 8 तक अवशेष कार्य।	5.00	07/08	29.15
2	प्रा0ख0पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल में जयकोट कोलाखाल कुन्जखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	12/08	140.00
3	नि0ख0बैजरों	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे घनियाखाल–बढियाना मोटर मार्ग	6.00	12/08	210.00
4	नि0ख0बैजरों	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे सिमडी–काडूली छोटी–पाटलिक–सिमतीखाल मोटर मार्ग	6.00	12/08	210.00
5	नि0ख0बैजरों	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे कोठिला–जागरी–थापला–बाडाकांडा–टकोलीखाल मोटर मार्ग	3.00	12/08	105.00

सूची-'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-44 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर का संलग्नक।

(क) निर्मित मोटर मार्ग

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बताई गई त्रुटियां	त्रुटियों का निराकरण
1—	प्रा0ख0पौड़ी	1—किनगोडियार से हल्दा हल्दवामार्ग 7.90 कि0मी0	अनुपयुक्त	वर्तमान में मार्ग यातायात योग्य उपलब्ध है। आर0टी0ओ0 से संयुक्त निरीक्षण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 पौड़ी द्वारा पत्र सं0 4582/19सी, दि0 07.12.09 लिखा गया है। संयुक्त परीक्षण अपेक्षित है।
2—	प्रा0ख0लैन्सडौन	2—पैन्दवाला डांडी मोटर मार्ग 3—चौखम्ब मोटर मार्ग	ड्रेनेज पाइप एवं अतिरिक्त रीवार की मरम्मत एवं चौड़ाई चैनेज 0/20 पर पुश्ता लगाना एवं रपटा का निर्माण चैनेज 2/25 पर 60 मी0 पैरापिट का निर्माण चैनेज 4/30 पर पानी के निकास एवं अन्य पुश्तों का निर्माण	त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है तथा बस सेवाओं का संचालन माह 3/2010 तक शुरू हो जायेगा। —तदैव—
3—	नि0ख0दुगड्डा	4—सनीवाला—बंदूरी मोटर मार्ग 5—सनीवाला—रामपुराल—पोखरीखेत मोटर मार्ग 6—कौड़िया—किमसार मोटर मार्ग 7—धमनीखाल लिंक मार्ग 8—बैजूखेत—सिसोटी पट्टपुराह मोटर मार्ग 9—बसाट—बूंगा मोटर मार्ग 10—हाथमन्डी—मदनपुर मोटर मार्ग 11—किशनपुर—हरिद्वार मोटर मार्ग 12—चाम्कलू—एराडी—पैनाखेत मार्ग	अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयुक्त	क्रमांक 4 से 8 तक वर्णित मार्गों की बताई गई त्रुटियों को निर्माण दुरुस्त द्वारा ठीक करके मार्गों को यातायात हेतु उपयुक्त करा दिया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण करने को आर0टी0ओ0 को पत्र सं0 4788/सी0 दि0 12.10.09 द्वारा लिखा गया है। निरीक्षण अपेक्षित है। क्रमांक 9 से 12 तक वर्णित मो0 मार्गों की बताई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है व 03/2010 तक इनको पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
4—	नि0ख0बैजरो	13—डोबिलाखाल—पटोटिया सम्पर्क मार्ग 4.50 कि0मी0	सड़क विन्यास की आवश्यकता	मार्ग का निरीक्षण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता निर्माण लो0नि0वि0, बैजरो के पत्र सं0 3088/1 सी0 दि0 14.11.09 द्वारा आर0टी0ओ0 को लिखा गया है। संयुक्त निरीक्षण अपेक्षित है।

(ख) विभागीय मोटर मार्ग

1	2	3	4	5
1—	उत्तरकाशी	1—[illegible] हल्कावाहन एकेश्वर मोटर मार्ग	अनुपयुक्त	इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.00 किमी0 है। प्रथम 7 किमी0 हल्का वाहन मार्ग निर्मित है। किमी0 8 से 13 तक मोटर मार्ग निर्माणाधीन है। प्रथम किमी0 3.250 तक हल्का वाहन मोटर मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु कार्य प्रगति में है। जिला योजना में 3.250 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 20.32 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति में है। 12/09 तक कार्य पूर्ण करके आर0टी0ओ0 द्वारा निरीक्षण कराकर मार्च 2010 तक बस संचालन हेतु मार्ग उपलब्ध करा दिया जायेगा। शेष 3.750 किमी0 हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
		2—[illegible]—पुजारगाँव हल्कावाहन 4.00 किमी0	अनुपयुक्त	इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या—586/11(2)/08—14(एन0ए0)/08 टी0सी0 II दिनांक 02—03—09 द्वारा 4.00 किमी0 लम्बाई में रू0 106.00 लाख की प्राप्त है। मार्ग के चौड़ीकरण पक्कीकरण के उपरान्त ही मार्च 2011 तक निर्माणोपरान्त यातायात हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा।
		3—[illegible]—[illegible] 3.00 किमी0	अनुपयुक्त	मार्ग के चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण की स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 12/2009 तक है तथा कार्य पूर्ण होने पर आर0टी0ओ0 का संयुक्त निरीक्षण कराकर मार्ग माह 03/2010 तक बस संचालन हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
2—	[illegible]	4—[illegible] हल्कावाहनमार्ग	अनुपयुक्त	इस मोटर मार्ग को हल्कावाहनमार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु 337.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का चौड़ीकरण व सुधार कार्य टायरकोट तक पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है व कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य माह 03/2010 है

संलग्नक-'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-46पर)

विधान सभा प्रश्न संख्या 23 के उत्तर का संलग्नक

क्र0	मार्ग का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति का शासनादेश	वनभूमि हस्तान्तरण हेतु की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी					
1	कुजखाल-कोलाखाल-पैंकोट मो0 मार्ग निर्माण कार्य	2008	4.00	2359/111(2)08-42(सा0/08)/07 टी0सी0-11 दिनांक 10.12.08	प्रतिसारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षर हेतु सम्बन्धित अमीन द्वारा राजस्व पटवारी को व्यक्तिगत रूप से दि0 11.10.09 को दिये गये हैं। जो कि हस्ताक्षरोपरान्त नहीं लौटाये गये हैं।
2	विधायक योजना के अन्तर्गत एजेन्सी आवास के सम्मुख से क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक मार्ग निर्माण	2007-08	0.800	आयुक्त गढ़वाल मण्डल का पत्रांक 178/24-4 वि0यो0 2007-08 दि0 07.11.08	जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को मार्ग का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु खण्ड के पत्र सं0 4006/1260 दि0 29.10.09 द्वारा तिथि निर्धारण हेतु लिखा गया है। पुनः उनको पत्र सं0 4530/1सी0 दि0 03.12.09 द्वारा स्मरण कराया गया है। निरीक्षण अपेक्षित है।
3	रा0इ0का0 कोठाली से खाण्डयूसैंण ब्राह्मण कफलगांव तक मो0 मार्ग निर्माण	2007-08	4.00	838/111(2)08-20(सा0/08)/07, दिनांक 24.03.08	खण्ड के पत्रांक 4232/1 एस0ए0, दि0 13.11.09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी को प्रेषित।
4	चन्दाधारी-खाण्डयूसैंण-पीतर-कटाकोट-यूनिवर्सिटी भवन तक निर्माण	2007-08	11.250	572/111(2)08-08(सा0/08)/06, दिनांक 28.03.08	खण्ड के पत्रांक 4231/1 एस0ए0, दि0 13.11.09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी को प्रेषित।
5	डोभला-टेका मोटर मार्ग का पैंडूल का निर्माण	2003	10.00	262/लो0नि0-1/2002/5 (सामान्य)/03, दिनांक 31.3.03	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि निदेशालय देहरादून के पत्र सं0 1453/1सी0-2650 दि0 15.11.09 द्वारा मुख्य वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित।

1	2	3	4	5	6
6	चमरवाणि–जाखणी–सुईल मोटर मार्ग निर्माण	2007–08	8.325	2775/111(2)08–57(सा0स0) देहरादून।	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि निदेशालय देहरादून के पत्र सं० 1454/1जी0–2784दि0 15.11.09 द्वारा मुख्य वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित।
7	फतेहपुर–गैठीखेड़ा मोटर मार्ग किमी0 2 से किमी0 4 से 6 से कलसा–कल्याई–धमाड़–बुरांसा होते हुये चमना गांव तक मोटर मार्ग निर्माण	2005–06	9.00	827/111(2)06–78(सा0स0)/05 टी0सी0,दिनांक 28.03.06	एन0पी0सी0सी0 की वनदति अधिकारी अभियन्ता निगम लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र सं० 835/एन0पी0सी0 दि0 28.03.09 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को बैंक ड्राफ्ट सं0 300390 दि0 25.03.09 द्वारा रू0 66,79,547.00 का भुगतान किया जा चुका है।
निo खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी					
1	नौगांवखाल बगीची धमोली नई मोटर मार्ग निर्माण	12/04	5.00	2961/111(1)04–34(सा0स0)/03 दि0 22.12.04	नोडल अधिकारी द्वारा ओक वृक्षों की सं० कम करने हेतु मार्ग की चौड़ाई कम करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु दि0 24.06.08 को लिखा गया इसके पश्चात ग्रामीणों द्वारा बार–बार संरेखण बदलने हेतु विवाद किया गया एवं दि0 31.10.08 को ग्राम वासियों द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
2	विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत पैठाणी नहुन्ड मोटर मार्ग का निर्माण	11/08	3.00	3675/111(2)08–42(सा0स0)/07 टी0सी0 दि0 17.11.08	दि0 30.10.09 को संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को खण्ड द्वारा पत्र लिखा गया है।
3	विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत स्योलीखण्ड परसिण्डाली कालोली मोटर मार्ग का निर्माण	11/08	3.00	3676/111(2)08–42(सा0स0)/07 टी0सी0 दि0 17.11.08	संयुक्त निरीक्षण हेतु दि0 06.11.09 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को खण्ड द्वारा पत्र लिखा गया।

1	2	3	4	5	6
4	पाबौ दमदेवल मार्ग का दमदेवल तक विस्तार	12/08	15.00	4208/111(2)08-35 (एक्स0एस0टी0)/08 दि0 24.12.08	संयुक्त निरीक्षण हेतु दि0 06.11.09 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को खण्ड द्वारा पत्र लिखा गया।
5	बैदा का जखड़ मोटर मार्ग का निर्माण (विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत)	03/06	6.00	829/111-2/06-62 (ग्रा0वि0)/05 टी0सी0 दि0 28.03.06	दि0 07.08.09 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण हो चुका है परन्तु भूमि विवाद के कारण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही नहीं की जा सकी अब विवाद सुलझा लिया गया है एवं प्रस्ताव दि0 15.12.09 तक गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे।
6	पाबौ कोटा पैडुलस्यू मो0 मार्ग	09/08	4.00+1 सेतु	2228/111-2/08-13 (ग्रा0वि0) /08 दि0 02.09.08	इस मार्ग के प्रथम 3 कि0मी0 एवं सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है कि0मी0 4 में वन भूमि पड़ने के कारण वन भूमि प्रस्ताव गठित कर सम्बन्धित कार्यालय के पत्र सं0 3657/ग्रा0वि0, दि0 18.11.09 द्वारा डी0एफ0ओ0 पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 पौड़ी के स्तर पर लम्बित।
7	ढाकरसैण-बरसीला बगड़ मोटर मार्ग का निर्माण (विकास खण्ड पाबौ में)	11/06	6.00	2735/111-2/06-52 (ग्रा0वि0) /06 दि0 18.11.06	इस मार्ग पर निर्माण कार्य नाप भूमि वाले भाग में प्रारम्भ है शेष भाग में वनभूमि प्रस्ताव गठित कर सम्बन्धित कार्यालय के पत्र सं0 3318/ग्रा0वि0, दि0 24.10.09 द्वारा डी0एफ0ओ0 पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 पौड़ी के स्तर पर लम्बित।
8	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत अयालसैण खोड़गांव मल्ला एवं तल्ला पैनबाड़ी एवं रतनाणा पालकोट कोठई पदगोली रीठाखाल मोटर मार्ग।	08/06	11.00	2503/111-2/06-37 (ग्रा0वि0) /06 दि0 20.09.06	इस मार्ग पर वनभूमि वाले भाग को छोड़कर शेष भाग में निर्माण कार्य प्रगति पर है सिविल वनभूमि प्रस्ताव गठन हेतु दि0 18.08.09 को संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है एवं प्रस्ताव दि0 15.12.09 तक गठित करके स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे।

1	2	3	4	5	6
नि0ख0लो0नि0वि0श्रीनगर					
1	सिरुन्डी पसगांव चौरीखाल मोटर मार्ग का निर्माण	01/06	4.00	455/111(2)/05-01 प्र0अ0/05 दि0 18.01.06	प्रस्ताव वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी के पत्रांक 34/12-1-58 दि0 28.07.09 के द्वारा नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, बसन्त विहार देहरादून को प्रेषित। आपत्तियों में सम्पन्न प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 2002/12-1 दि0 01.10.09 को नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित एवं प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून के पत्र सं0 1455/1सी0, दि0 15.11.09 द्वारा मुख्य वन संरक्षक भारत सरकार, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
2	पैसरीण खण्डसिल मोटर मार्ग	01/06	2.00	63/111(2)/05-61 प्र0अ0/06 दि0 16.01.06	प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1300 (1)/12-1 दि0 23.07.09 के द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी को प्रेषित, दि0 21.08.09 को प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी द्वारा निरीक्षण किया गया। संरेखणों का तुलनात्मक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस कार्यालय के पत्रांक 3233/28सी0 दि0 29.09.09 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित है तथा प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल के यहां जांच में है।
3	पेड़ी बंगला भटिगांव मोटर मार्ग	09/06	4.00	2228/111(2)/06-32 प्र0अ0/06 दि0 02.09.06	वनभूमि प्रस्ताव तैयार कर खण्ड के पत्र सं0 3009/28सी0 दि0 03.12.08 के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी पौड़ी को प्रेषित किये गये हैं। प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।
4	खिर्सू चौखाल भोल्याखाल ओबरी तिलखनीखाल पुण्डा आदिबद्री मोटर मार्ग	12/05	26.00	287/111(2)/05-79 प्र0अ0/05 दि0 19.12.05	कि0मी0 18 से 26 तक (टीला से तिलखनीखाल तक) मोटर मार्ग के वन भूमि के प्रस्तावों पर दि0 14.07.09 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण किये जाने के पश्चात वन विभाग पौड़ी से प्राप्त वृक्षों की सूची के अनुसार खण्ड में प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
5	जमरासू डिम्बवाला मकोट अम्बेडकर ग्राम मकलोडी मोटर मार्ग	03/08	20.00	830/111(2)/08-29 प्र0ख0/07 दि0 24.03.08	खण्ड के पत्र सं0 3806/ 1सी0 दि0 06.11.09 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को प्रेषित किया गया।
प्रा0ख0लो0नि0वि0, लैन्सडौन					
1.	टकोलीखाल–फतेहखाल मोटरमार्ग किमी0 1 से 5	10/2005	5.00	1753/111(2)/05-62 प्र0ख0/05 दि0 14.10.05	वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून से 8.10.09 को भारत सरकार को प्रेषित।
2.	टकोलीखाल–से बीरोखाल मोटरमार्ग 15 किमी0	7/2007	15.00	1537/111(2)07(प्र0ख0) 07 दि0 13.7.07	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दि0 06.10.09 को हो चुका है तथा प्रस्ताव गठित कर राजस्व विभाग को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित है। प्रस्ताव अप्राप्त।
3.	धांधली बैण्ड सायणा पातली मोटरमार्ग किमी0 9 से 12	1/2004	3.00	2537/लो0नि0-2/03-38 (प्र0ख0) दि0 2.1.04	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 1196/1सी 2668 (पौड़ी) दि0 27.10.09 द्वारा भारत सरकार को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को प्रेषित कर दिये गये हैं।
4.	कोटलीबैण्ड के नजदीक पाखगढ़ी रत्नी मल्ला दबोड़ मोटर मार्ग किमी0 15	11/2006	15.00	2755/111-2/06(प्र0ख0)06 दि0 10.11.06	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड के पत्रांक 4700/21सी0 दि0 9.11.09 द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को प्रेषित।
5.	टकोलीखाल से फतेहखाल लिविंग लिंक 3 किमी0	3/2008	3.00	828/111-(2)08-64 (प्र0ख0)07 दि0 24.3.08	वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून से 8.10.09 को भारत सरकार को प्रेषित।
6.	पाणीबैण्ड–अमराड–बुराजगांव मोटरमार्ग किमी0 4 से 15	2/2004	12.00	83/लो0नि0वि0-1/2004-38 (प्र0ख0)03 दि0 6.2.04	ग्रामीणों के विवाद सुलझाने के पश्चात वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा सकेंगे।
7.	घुईं सम्पर्क मार्ग 4 किमी0	2/06	4.00	2177/111(2)06(प्र0ख0)05 3.2.06	कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के पत्रांक 1172/12-1 दि0 9.11.2009 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक व0-जीव देहरादून को प्रेषित।

1	2	3	4	5	6
8.	मेन्दूर्खाल सिलोगी भट्टूखाल मोटमार्ग के किमी० 4 से 40 तक राइडिंग क्वालिटी का कार्य	9/78 अनुरक्षण के अन्तर्गत	30.00	4374/28-4/75-29/1026/78 दि० 10.8.78	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त खण्ड के पत्रांक 3196/21सी० दि० 29.7.09 द्वारा वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित कर दिये गये है। प्रस्ताव डी०एफ०ओ० कोटद्वार, लैन्सडौन स्तर पर लम्बित है।
9.	मेन्दूर्खाल देवीखेत मोटमार्ग	1/80 अनुरक्षण	–	6195/28-4/79-40/121/78 दि० 31.1.80 2672/28-5-37-180/82/ दिनांक 30.4.82	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त पुनः खण्ड के पत्रांक 3196/21सी० दि० 29.7.08 द्वारा वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित कर दिये गये है। प्रस्ताव डी०एफ०ओ० कोटद्वार, लैन्सडौन स्तर पर लम्बित है।
10.	मरखाल पुल्यांखु ... मोटमार्ग किमी० 7 विस्तार	3/2000	7.00	1753/111(2)06-6(ना0रा0)05 दि० 14.10.08	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त खण्ड के पत्रांक 3196/21सी० दि० 29.7.08 द्वारा वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित। प्रस्ताव डी०एफ०ओ० कोटद्वार, लैन्सडौन के पत्रांक 2935(1)/12-1 दि० 20.11.08 द्वारा वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून को प्रेषित। प्रस्ताव अपेक्षित।
11.	—तदैव— किमी० 3	10/2005	3.00	572/111(2)06(ना0रा0)06 दि० 28.3.06	—तदैव—
12.	सिलोगी धनखाली बंदर मार्ग किमी० 2	3/08	2.00	764/111(2)08-42(ना0रा0)07 टीसीसी दि० 24.3.08	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड के पत्रांक 3993/21सी० दि० 16.9.09 द्वारा वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित।

1	2	3	4	5	6
13.	भरनखाल घटगाड़ गुराजगांव मोटरमार्ग किमी0 1 से 6	6/2006	6.00	2228/111(2)06-32(लो0नि0वि0) 06 दि0 24.2.06	वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06-144/2009/एफ0सी0/768, दि0 17.9.09 द्वारा प्राप्त। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2919825.00 वन विभाग के पक्ष हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-1 देहरादून को खण्ड के पत्रांक 2629/21 सी0, दि0 26.11.09 द्वारा लिखा गया है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।
14.	फतेहपुर लैन्सडौन मोटरमार्ग 11.500	2/2006	11.500	465/111(2)05-50(लो0नि0वि0) 06 दि0 24.2.06	वन भूमि के प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी पौड़ी के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार के पत्रांक 4626/21 सी0 दिनांक 16.11.09 द्वारा प्रेषित।
15.	जयहरीखाल डिग्गखाल मोटरमार्ग किमी0 1 से 3	8/2005	3.00	1614/111(2)05-50(लो0नि0वि0) 05 दि0 3.8.05	-तदैव- पत्रांक 4187/21सी0 दि0 1.10.09
16.	मैन्दोली परिन्दा बीरा देवीखाल मोटरमार्ग किमी0 6 से 15	3/2006	8.00	774/111(2)06-103(लो0नि0वि0) दिनांक 26.3.06	-तदैव- पत्रांक 4187/21सी0 दि0 5.11.09
17.	कुमखाल सारी मोटर मार्ग किमी0 1 से 3	1/4	3.00	2537/लो0नि0-02/03-38 (लो0नि0वि0)03 दि0 2.1.04	विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पेड़ों के कटान पर कार्यवाही का विचार।
18.	चमखाल मैन्दोली मोटरमार्ग किमी0 1 से 3	12/2005	3.00	2647/111(2)05-79(लो0नि0वि0) दि0 10.12.05	वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव खण्ड के पत्रांक 4559/21सी0 दि0 29.10.09 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी लैन्सडौन को प्रेषित किये गये थे जो उनके द्वारा वृक्षारोपण प्रस्ताव संलग्न करने हेतु उनके पत्रांक 213/12 दि0 21.11.2009 द्वारा खण्ड को वापस।
19.	सारी सम्पर्क मार्ग	11/05		2117/111(2)05 (लो0नि0वि0) 06-79 दि0 19.11.05	-तदैव-

1	2	3	4	5	6
20.	भलाह छोटा सम्पर्क मार्ग	11/2005	5.00	2117/111(2)05 (आ0अ0) 05-79 दि0 19.11.05	वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव खण्ड के पत्रांक 4653/21 सी0 दि0 5.11.2009 लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित।
21.	कर्कश-ताडकेश्वर मो0मार्ग 1 किमी0	1/02	1.00	आयुक्त का पत्रांक 891/(1) नि0यो0 2001-2002 दिनांक 4.1.02	प्रभारी नोडल अधिकारी के पत्रांक 1400/1डी0-1518 (पौड़ी) दि0 13.11.06 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित एवं भारत सरकार के द्वारा अधिरोपित आपत्तियों का निराकरण का नोडल अधिकारी के पत्रांक 955/1डी0-1510/पौड़ी दि0 6.10.09 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित।
22.	गढ़ुलियाखाल ताडकेश्वर मो0मार्ग 1 से 5.150	7/07	5.150	1537/111 (2)/06-07 (आ0अ0)-07 दि0 13.7.07	शासन के पत्रांक पी0डब्लू0 1471/7-1-2009-600 (2069)/2008 दि0 27.1.09 द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।
नि0ख0लो0नि0वि0 दुगड्डा					
1.	घराट-सुमखला मोटर मार्ग	10/05	10.00	2454/III-(2)/05-07 (आ0अ0)/05 पौड़ी दि0 26-10-05	मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि का संयुक्त निरीक्षण सम्पन्न करा कर प्रभावित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल राज्य भूमि के चयन हेतु उपजिलाधिकारी कोटद्वार को खण्ड के पत्र सं0 4363/19 सी0 दि0 16-09-08 द्वारा लिखा गया है। वांछित राज्य सिविल भूमि उपलब्ध होने के फलस्वरूप वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जायेगा।
2.	चुनबट्टी-कोटा मोटर मार्ग	03/06	9.00	572/III-(2)/06-08 (आ0अ0)/06 दि0 28-03-06	मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि का संयुक्त निरीक्षण सम्पन्न कर प्रस्ताव गठित कर तत्कालीन लैन्सडौन में अधिशासी अभियन्ता द्वारा दि0 23.11.09 को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर दिये गये हैं। प्रस्ताव पर निर्णय अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
3.	काली–काण्डई–चौराता–मल्ला मोटर मार्ग	08/06	5.00	1606/III-(2)/06-07 (जलवा)/06 दि0 14-08-06	प्रभावित वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग को इस कार्यालय के पत्र सं0 1280/19 सी0 दि0 07-03-09 द्वारा प्रेषित, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राज्य सिविल भूमि के चयन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग द्वारा अपने पत्र सं0 3698/12-7 दि0 18-05-09 द्वारा आपत्ति में वापस है। आपत्तियों के निराकरण हेतु खण्ड के पत्र सं0 3964/19 सी0 दिनांक 24-08-09 द्वारा उप जिलाधिकारी कोटद्वार को राज्य सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। तदोपरान्त अधीक्षण कार्यालय के पत्र सं0 5852/19सी0, दि0 07.12.09 द्वारा उपजिलाधिकारी कोटद्वार अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। वांछित राज्य सिविल भूमि उपलब्ध होने पर प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।
4.	बसड़ा–बूंगा–रथीसैखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग	07/08	5.00	746/III-(2)/06-42 (जलवा)/07 दि0 29-02-08	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित, नोडल अधिकारी ने अपने पत्र सं0 2783/1 सी0 2648 (पौड़ी) दि0 26-03-09 द्वारा आपत्ति में वापस आपत्तियों का निराकरण कर खण्ड के पत्र सं0 5592/19 सी0 दि0 20-11-09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़/लैन्सडौन को प्रेषित।
5.	देवीखाल–पटालीखाल–नूनधार–फतेहपुर मोटर मार्ग	11/06	10.00	2935/III-(2)/06-58 (जलवा)/06 दि0 22-11-06	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर खण्ड के पत्र सं0 3472/ 19 सी0 दि0 28-07-09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। पुनः खण्ड के पत्रांक 5853/19सी0, दि0 07.12.09 द्वारा अनुस्मारक पत्र भी निर्गत किया गया है। प्रस्ताव वन विभाग के स्तर पर लंबित है।

1	2	3	4	5	6
6.	टोलकार से चौरास–नीलोठ–कमेड़ा–गजा–मंयालू मोटर	09/06	7.00	2225/III (2) 06–32 (प्रा0अ)/06 दि0 02–09–06	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर खण्ड के पत्र सं0 3471/19 सी0 दि0 28–07–09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टेंन्सडौन वन प्रभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। पुनः खण्ड के पत्रांक 5853/19सी0, दि0 07.12.09 द्वारा अनुस्मारक प्रेषित। प्रस्ताव वन विभाग के स्तर पर लंबित है।
7.	कौडिया–किमसार मोटर मार्ग	11/05	14.00	2117/III (2)/05–59 (प्रा0अ)/05 दि0 19–11–05	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर खण्ड के पत्र सं0 393/19 सी0दि0 19–01–09 द्वारा प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग के पत्रांक 5698/12–7 दि0 18–05–09 द्वारा आपत्ति में वापस। आपत्ति के निराकरण कर खण्ड के पत्र सं0 5081/19 सी0 दि0 29–10–09 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। वनाधिकारी के पत्र सं0 2135/12–1 दि0 03.12.09 द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में वापस प्राप्त हुये। जिसका निराकरण कर शीघ्र ही प्रस्ताव वनाधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।
8.	हनुमन्ती–बण्डा–बामड़ई मोटर मार्ग	10/05	10.00	2454/III–(2)/05–38 (प्रा0अ)/05 टी0सी0 दि0 दि0 28–10–05	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर खण्ड के पत्र सं0 536/19 सी0 दि0 28–01–09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग ने अपने पत्र सं0 5698/12–7 दि0 18–05–09 द्वारा आपत्ति में वापस। आपत्तियों का निराकरण कर खण्ड के पत्र सं0 5185/19 सी0 दि0 30–10–09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9.	भादसाल–बांसी मोटर मार्ग	03/06	1.00	572/III–(2)/06–08 (प्रा0अ)/06 दि0 28–03–06	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण कार्यालय लखनऊ को नोडल अधिकारी के पत्र सं0 836/1 सी0 दि0 2182 (पौड़ी) दि0 09–09–08 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
10.	खेड़ा-धारगांव मोटर मार्ग	08/06	5.00	1806/ III(2) 06-37(सामान्य)/06 टी०सी० दि० 14-08-06	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड के पत्र सं० 5485/13 सी० दि० 18-11-09 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11.	घाटी-भवांधू-गोहरा मोटर मार्ग	12/05	3.00	2847/ III-(2)/05-79 (सामान्य)/05 दि० 19-12-05	कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दि० 10.03.08 को दी गई है तथा एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप विभाग द्वारा बढ़ी हुई दरों पर वनविभाग को क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने का प्रमाणपत्र खण्ड के पत्र सं० 3046/19सी० 08.07.09 द्वारा प्रेषित किया गया है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
निःखण्ड०लो०नि०वि०, बैजरो					
1.	बैजरो-जोगीमढ़ी-कटघटिया सराईखेत मोटर मार्ग	09/06	13.00	2228/111-2-06-32(सामान्य)/06 टी०सी० दि० 2-9-06	खण्ड के पत्रांक 3113/4 सी० दि० 21-11-09 द्वारा डी०एफ०ओ० अल्मोड़ा को प्रेषित।
2.	धुनियालगाड़-बकिलगाला मोटर मार्ग	01/08	8.00	171/111(2) 08-42(सामान्य)/07 दि० 17-1-08	डी०एफ०ओ० पौड़ी के पत्रांक 2457/12-1 दिο 16-11-09 द्वारा आपत्तियों से अवगत। आपत्तियों का निराकरण दि० 26-12-09 तक किया जायेगा।
3.	ओखिलखाल-जगवाड़ा मोटर मार्ग	11/06	10.00	2755/111(2) 06-52(सामान्य)/06 दि० 10-11-06	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के पत्रांक 1224/1 जी०-2619 (पौड़ी) दि० 28-10-09 द्वारा आपत्ति कि वृक्ष अधिक हैं। मार्ग की चौड़ाई कम करने पर विचार कर उत्तर दि० 21-11-09 को दिया गया।
4.	डिगोली-बगडकोट-चरखोला-बडाणा-बाखली-कोठा-तिमलाखोली-भटलिया मोटर मार्ग	11/07	10.00	3136/111(2)/06-61(सामान्य)/06 दि० 22-11-07	नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 1320/1जी० -2789 पौड़ी दि० 04.11.09 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित।

नत्थी—"छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–52–53 पर)

—1—

वित्तीय वर्ष 2009–10 में दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की स्वीकृति कार्य योजनाओं की सूची

(रूपयें 100.00 लाख)

क्र0 सं0	विधान सभा का नाम	कार्य का विवरण	क्षति का दिनांक	कार्यदायी संस्था/विभाग नाम	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीनगर	बनेलीधार से जवासगढ़ तक क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्य	जुलाई 2009	ग्रामीण अभियंत्रण पौड़ी।	1.40	26–8–09	0.70
2	तदैव	ग्राम पंवाई से सम्पर्क मार्ग मरम्मत/निर्माण	तदैव	तदैव	2.20	तदैव	1.10
3	तदैव	ग्राम खोली से चवावार की ओर सम्पर्क मार्ग मरम्मत	तदैव	तदैव	2.20	तदैव	1.10
4	तदैव	ग्राम कलुन से नैनीधार होते हुये कल्यूणगाड़ तक क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	21.7.2009	तदैव	3.20	22.9.09	1.50
5	थलीसैण	क्षतिग्रस्त प्रा0वि0 मरखोला के आगे का रास्ता एवं पुश्ते का मरम्मत कार्य	3.9.09	तदैव	2.00	25.9.09	1.00
6	तदैव	रा0प्रा0वि0सन्‍नू के आगे का रास्ता एवं	3.9.09	तदैव	3.00	तदैव	1.50
7	तदैव	ग्राम ताल बाण्डीधा एवं उफरैखाल सम्पर्क मरम्मत कार्य	6.9.09	तदैव	2.50	तदैव	1.25
8	श्रीनगर	ग्राम काण्डा के पंचायत घर से आंगनबाडी केन्द्र तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	16.9.09	तदैव	2.70	8.10.09	1.35

1	2	3	4	5	6	7	8
9	तदैव	ग्राम तैडी से एलोपैथिक चिकित्सालय बसंतपुर चिकित्सालय तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	16.9.09	तदैव	1.50	तदैव	0.75
10	तदैव	ग्राम बौंठिया बेंकटपुर इन्टरकालेज क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्य	16.9.09	तदैव	1.40	तदैव	0.70
11	तदैव	प्रा0वि0शमबदरखाल के क्षतिग्रस्त कक्षा कक्ष का मरम्मत कार्य	16.9.09	तदैव	2.00	तदैव	1.00
12	तदैव	ग्राम बड़ेथ से उम्बेडकर गांवखाण्डा तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	26.9.09	तदैव	1.50	तदैव	0.75
13	तदैव	ग्राम उमा कोटखाल से सैमलखाल तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत	जुलाई 2009	खण्ड विकास अधि0 कोट	3.20	26.8.09	1.6
14	तदैव	ग्राम जवक के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुलिया तथा प्रा0वि0 के मार्ग मरम्मत कार्य	अगस्त 09	खण्ड विकास अधिकारी पौड़ी	1.90	8.10.09	0.95
15	तदैव	वार्ड संख्या-11 में नकोटी स्कूल जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग एवं क्षतिग्रस्त स्कवर का मरम्मत कार्य	22.7.2009	तदैव	1.90	22.9.2009	0.95
16	तदैव	पुल्डीरसैण से रामपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.59	तदैव	1.30
17	तदैव	ग्राम पैठूल के अंतर्गत हरिजन बस्ती से रा0इ0का0की ओर क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	3.50	तदैव	1.75
18	तदैव	ग्राम धाईगांव से पैट्रोल पम्प तक क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.70	तदैव	1.35
19	श्रीनगर	श्रीकोट गंगानाली में मुख्य मार्ग बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर हैप्पी होम लाज नदी की ओर सरस्वती शिशु मंदिर इण्टर कालेज से सड़क तक नाली पुनर्निर्माण। आयुक्त महोदय की स्वीकृति दि03.08.09 के अनुसार।	2009-10	खण्ड विकास अधिकारी खिर्सू	8.13	3.9.2009	4.06

1	2	3	4	5	6	7	8
20	पौड़ी	ग्राम मिलाई के अंतर्गत पौड़ी श्रीनगर रोड से पानी मधेरे तक क्षतिग्रस्त पुश्ता, खड़िंजा एवं क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	21.7.2009	मुख्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी	3.00	22-9-2009	1.50
21	तदैव	ग्राम उरेगी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग खड़िंजा एवं क्षतिग्रस्त पुश्ता मरम्मत कार्य	23.7.2009	तदैव	2.90	तदैव	1.45
22	तदैव	ग्राम पली गांव से जसपुरखाल की ओर क्षतिग्रस्त खड़िंजा क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	23.7.2009	तदैव	2.50	तदैव	1.25
23	तदैव	ग्राम सभा दीवार से फरोलीखाल से होते हुये वेकिखिल से दीवार की ओर क्षतिग्रस्त खड़िंजा क्षतिग्रस्त पुश्ते की मरम्मत कार्य	2009-10	तदैव	2.50	तदैव	1.25
24	तदैव	ग्राम नठोली से थिरोली तक क्षतिग्रस्त खड़िंजा सीसी मार्ग मरम्मत कार्य	जुलाई 2009	तदैव	2.50	25.9.2009	1.25
25	श्रीनगर	वि०ख० कोट के अंतर्गत बराकोट से कुल्यासू तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.00	तदैव	1.25
26	तदैव	ग्राम सभा उफल्डा से गौशालीक होते हुये राष्ट्रीय राज मार्ग तक क्षतिग्रस्त खड़िंजा सीसी मार्ग मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.50	तदैव	1.25
27	तदैव	ग्राम महड़ के अंतर्गत ग्राम टाकिर्यू सल्डांग तक क्षतिग्रस्त पुश्ता खड़िंजा मा मरम्मत कार्य	जुलाई 2009	तदैव	1.50	8.10.09	0.75
28	तदैव	ग्राम कोटनालगांव से बाड़ा सम्पर्क मार्ग का क्षतिग्रस्त पुश्ता खड़िंजा का मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	1.50	तदैव	0.75
29	लैन्सडौन	टीआरएफ से तहसील कार्यालय लैन्सडौन तक क्षतिग्रस्त सीसी मार्ग मरम्मत कार्य	9.7.2009	प्र०ख० लो०नि०वि० लैन्सडौन	3.00	25.9.2009	1.50

1	2	3	4	5	6	7	8
30	तदैव	खरकोट–दुगारखाल मोटर मार्ग के किमी–8 में दीवार निर्माण कर मरम्मत कार्य	जुलाई 2009	तदैव	0.75	तदैव	0.38
31	तदैव	सौलीबैण्ड–मैंदोली–सेमखाल हल्का वाहन मार्ग के किमी0 1 से 5 तक	अगस्त 2009	तदैव	2.00	8.10.09	1.00
32	तदैव	रिखणीखाल फलीखाल मोटर मार्ग कि0मी0 सं0 9.30 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत कार्य	अगस्त 2009	तदैव	1.70	तदैव	0.85
33	तदैव	क्वारेखी रिखणीखाल मोटर मार्ग में किमी 11 से 35 तक दीवारों का मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.00	तदैव	1.00
34	तदैव	रथपुली, दुगारखाल मोटर मार्ग के किमी0 11 से 25 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	2.00	तदैव	1.00
35	तदैव	रिंगालपानी नौदा मोटरमार्ग के किमी 1 से 6.50 में मलबा सफाई क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य	तदैव	तदैव	1.50	तदैव	0.75
36	तदैव	सौलीबैण्ड मैंदोली समखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग किमी0 6 से 8 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण/सिल्ट सफाई कार्य	तदैव	तदैव	1.70	तदैव	0.85
37	तदैव	बेजारेखी रिखणीखाल बीरोंखाल मोटर मार्ग के किमी0 17 से 21 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य	जुलाई 2009	तदैव	2.00	तदैव	1.00
38	तदैव	नुमखाल डाबीखाल–बैजुरौंण क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग मरम्मत कार्य	अगस्त 2009	तदैव	0.50	तदैव	0.25
39	तदैव	रिखणीखाल बीरोंखाल मोटरमार्ग के किमी0 17 से 21 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य	सितम्बर	तदैव	1.60	तदैव	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8
40	चमोली	चोपड़ा नौगांव नाग्नाथ मोटर मार्ग किमी0 2 से 3 में टूटी दीवारों एवं स्लिप सफाई कार्य	2009-10	निःशक्तलोनिवि0 श्रीनगर	1.50	25.9.2009	0.75
41	तदैव	नलई मलुण्ड मोटर मार्ग की टूटी दीवारों एवं स्लिप सफाई कार्य	तदैव	तदैव	2.50	तदैव	1.25
42	तदैव	चोपड़ा नौगांव-नाग्नाथ मोटर मार्ग किमी0 1 में मोटर मार्ग में टूटी हुई दीवारों एवं स्लिप सफाई कार्य	2009-10	तदैव	2.50	25.9.2009	1.25
43	तदैव	भदूण्डा से सिलत्व में क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	24.9.2009	विकास खण्ड	2.50	8.10.2009	1.25
44	तदैव	पपलीडी नदी पुलिया से बीफल्डा गाव तक क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत	2009-10	तदैव	1.60	तदैव	0.80
				महायोग	99.57		

वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त आवंटन रू0 100.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजनाओं की सूची

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृति का दिनांक	कार्य योजना की कुल स्वीकृत लागत (लाख में)	जिला तथा क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1	पौड़ी कांसखेत–बीरहट–सतपुली मोटर पर क्षतिग्रस्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तखण्ड लोनिवि0 पौड़ी	8/27/2008	1.07	पौड़ी
2	कल्जीखाल–टम्टोली–नलई मंदिर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तखण्ड लोनिवि0 पौड़ी	8/27/2008	1.85	पौड़ी

1	2	3	4	5	6
3	पौड़ी ल्वाली–कण्डोलिया मोटर मार्ग में अतिरिक्त दिवारों का निर्माण कार्य।	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	1.84	पौड़ी
4	श्रीनगर–पौड़ी–कल्जीखाल चूला पुल का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	1.82	पौड़ी
5	धोबीघाट–सिरली मोटर मार्ग में अतिरिक्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	1.11	पौड़ी
6	कोटा–टिहूली मोटर मार्ग का अतिरिक्त निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	3.12	पौड़ी
7	पौड़ी–ल्वाली मोटर मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	3.79	पौड़ी
8	पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	4.45	पौड़ी
9	धोबीघाट–सिरली मोटर मार्ग में अतिरिक्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	1.77	पौड़ी
10	सतपुली चौबट्टा मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दिवारों का निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	8/27/2008	1.72	पौड़ी/द्वाराखाल
11	सतपाली–कठूड़ से कोट ब्लॉक मार्ग पर स्थित सफाई कार्य एवं दिवार निर्माण	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	9/11/2008	2.79	पौड़ी
12	पुरसौड़ी–आमकाखाल मोटर मार्ग पर स्थित सफाई कार्य एवं दिवार निर्माण	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	9/11/2008	0.84	पौड़ी
13	पौड़ी खोलाचौरी मोटर मार्ग पर दिवार निर्माण कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	9/11/2008	0.37	पौड़ी
14	पुलिस लाइन पौड़ी में अतिरिक्त दिवार निर्माण एवं स्थित सफाई कार्य	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	9/21/2008	4.97	पौड़ी
15	पौड़ी पेयजल योजना से अतिरिक्त विद्युत लाइन का मरम्मत कार्य	अधिशासी विद्युत वितरण खण्ड पौड़ी	8/27/2008	4.48	पौड़ी
16	दिमोली–असूल अतिरिक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	9/2/2008	1.33	पौड़ी
17	दिमोली–आकली अतिरिक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	9/2/2008	2.15	पौड़ी
18	डाबर खडीगांव का अतिरिक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य एवं स्थित सफाई कार्य।	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	9/2/2008	1.82	पौड़ी
19	आमकाखाल–देवल गांव मोटर मार्ग का अतिरिक्त कार्य एवं सुरक्षात्मक दिवार का निर्माण कार्य।	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर	9/2/2008	4.71	पौड़ी

1	2	3	4	5	6
20	पैठाणी–ब्यासघाट मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त कार्य एवं नियत सफाई कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	9/3/2008	4.26	पौड़ी
21	ऐंचवाण–ब्यासघाट मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य एवं नियत सफाई कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	9/2/2008	2.53	पौड़ी
22	कण्डार कंडेरी खोला मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दिवार का निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	9/2/2008	4.95	श्रीनगर
23	पौड़ी बिन्दू मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	9/2/2008	2.55	श्रीनगर
24	कण्डार कंडेरी खोला मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दिवार का निर्माणक कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी	9/2/2008	1.03	श्रीनगर
25	बैदीखाल–पटीसैण मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/16/2008	1.78	चौबट्टाखाल
26	पोखड़ा–बैजरों मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/19/2008	3.12	चौबट्टाखाल
27	फरसाड़ी गढ़कोटल–फाफरी मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/20/2008	1.85	चौबट्टाखाल
28	सिमड़ई–पसारी पुराड़ मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/21/2008	1.88	चौबट्टाखाल
29	बैजरों जोगीमढ़ी–कुदीकोट मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/22/2008	3.99	चौबट्टाखाल
30	ढांग–डाबरी मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरों	10/23/2008	4.82	चौबट्टाखाल
31	इंडोर स्टेडियम पौड़ी में क्षतिग्रस्त पुश्ते निर्माण कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पौड़ी	9/15/2008	0.8	पौड़ी
32	इंडोर स्टेडियम पौड़ी में मलवा हटाने का कार्य	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पौड़ी	10/16/2008	0.35	पौड़ी
33	रामजनमाहरि सिराई में क्षतिग्रस्त पुश्ता निर्माण कार्य	जिला पंचायत पौड़ी	10/18/2008	3.46	पौड़ी
34	बासीबड़ी क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण कार्य	सिंचाई खण्ड लैन्सडौन	10/18/2008	3.37	पौड़ी
35	सिम्डी क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण कार्य	सिंचाई खण्ड लैन्सडौन	10/18/2008	1.67	पौड़ी
36	डाई स्कूल तक क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	खण्ड विकास अधिकारी पौड़ी	10/29/2008	3.46	पौड़ी
37	तिमली सलखाण क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	खण्ड विकास अधिकारी पौड़ी	10/29/2008	2.4	पौड़ी
		कुल योग रु०		98.80	

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी कार्यों की जांच/सत्यापन वर्ष 2008–2009

स्वीकृत रू0 300.00 लाख

क्र0	कार्य योजना का नाम	सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम	सत्यापन कराने वाले अधिकारी का नाम व पता	परिसम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने का वर्ष	स्वीकृत का दिनांक	कार्य योजना की कुल स्वीकृत लागत (लाख में)	अभ्युक्ति	विकास खण्ड/क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[illegible] मोटर मार्ग पर दीवाल निर्माण कार्य	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	16/02/2009	4.78	–	[illegible]
2	[illegible] मोटर मार्ग दीवाल निर्माण कार्य कि0मी0 [illegible]	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	18/02/2009	3.28	–	[illegible]
3	[illegible] मोटर मार्ग दीवाल निर्माण कार्य कि0मी0 13–18	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	16/02/2009	4.30	–	[illegible]
4	[illegible] मोटर मार्ग दीवाल निर्माण कार्य कि0मी0 7–12	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	16/02/2009	3.64	–	दशोली
5	[illegible] मोटर मार्ग पर दीवाल निर्माण कार्य	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	18/02/2009	4.88	–	दशोली
6	[illegible] मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवाल निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	18/02/2009	3.98	–	दशोली
7	[illegible] मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवाल निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	25/02/2009	4.98	–	[illegible]
8	[illegible] मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवालों का निर्माण	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	25/02/2009	3.81	–	[illegible]
9	[illegible] मोटर मार्ग पर दीवाल निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी चमोली	[illegible]	2008–2009	25/02/2009	3.21	–	[illegible]
					Total	33.34		
10	[illegible] मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त दीवाल निर्माण कार्य [illegible]	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	[illegible]	2008–2009	28/02/2009	[illegible]	–	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य किमी 8-13	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	4.93	–	श्रीनगर
12	[illegible] मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	6.44	–	श्रीनगर
13	[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग पर प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	2.65	–	श्रीनगर
14	[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग पर प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	4.89	–	श्रीनगर
15	पौड़ी-[illegible]-श्रीनगर मोटर मार्ग पर प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	3.06	–	श्रीनगर
16	[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	20/02/2009	1.34	–	श्रीनगर
17	[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग पर प्रतिधारक एवं दीवार निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	5.21	–	श्रीनगर
18	[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग पर प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	5.09	–	श्रीनगर
19	[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग में किमी 2-4 [illegible] सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	4.91	–	श्रीनगर
20	[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग में [illegible] क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	4.12	–	श्रीनगर
21	[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग किमी-14 में [illegible] दीवार [illegible] निर्माण कार्य एवं मिलान सफाई कार्य	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	4.17	–	श्रीनगर
22	[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग में टूटी हुई दीवारों का निर्माण कार्य व मिलान सफाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि०,सिंचाई [illegible] श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	1.17	–	श्रीनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	[illegible] मोटर मार्ग में अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	21/02/2009	1.08	—	श्रीनगर
24	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवाल का निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	22/02/2009	5.48	—	श्रीनगर
25	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	25/02/2009	9.19	—	श्रीनगर
26	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	22/02/2009	2.77	—	श्रीनगर
27	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	22/02/2009	2.74	—	श्रीनगर
28	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त [illegible] दीवाल निर्माण कार्य/चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर।	2008-2009	22/02/2009	4.37	—	श्रीनगर
					Total	64.54		
29	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य/[illegible] निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी कोटद्वार	अधि०अभि० प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन	2008-2009	25/02/2009	14.88	—	लैन्सडौन
					Total	14.88		
30	[illegible] में अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि० प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी।	2008-2009	22/02/2009	4.98	—	पौड़ी
					Total	4.98		
31	[illegible] मोटर मार्ग अतिरिक्त दीवाल निर्माण कार्य।	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी।	2008-2009	24/02/2009	7.40	—	पौड़ी
32	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त दीवालों का निर्माण कार्य एवं चिनाई कार्य।	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी।	2008-2009	24/02/2009	8.60	—	पौड़ी
33	[illegible] मोटर मार्ग पर अतिरिक्त [illegible] कार्य एवं [illegible] कार्य।	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि० निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पौड़ी।	2008-2009	24/02/2009	2.49	—	पौड़ी
					Total	18.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	1.90	—	पौड़ी
35	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	1.65	—	पौड़ी
36	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	1.35	—	कल्जीखाल
37	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	2.00	—	कल्जीखाल
38	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	1.90	—	कल्जीखाल
39	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	13.45	—	कल्जीखाल
40	[illegible]	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	2.36	—	थलीसैंण
41	[illegible]	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	2.28	—	थलीसैंण
42	[illegible]	उपजिलाधिकारी श्रीनगर	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	3.33	—	पौड़ी
43	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	1.60	—	पौड़ी
44	[illegible]	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	27/02/2009	12.58	—	दुगड्डा
45	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	28/02/2009	1.60	—	पौड़ी
46	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	28/02/2009	1.70	—	पौड़ी
47	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	28/02/2009	1.00	—	कल्जीखाल
48	[illegible]	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0, ग्रा0अभि0संगठन खंड पौड़ी	2008–2009	28/02/2009	1.80	—	पौड़ी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	[illegible] के अन्तर्गत ग्राम [illegible] में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि०,ग्रा०अभियंत्रण सेवा पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	1.88	–	पौड़ी
50	ग्राम [illegible] में क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि०,ग्रा०अभियंत्रण सेवा पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	1.21	–	पौड़ी
51	प्राथमिक विद्यालय [illegible] का पुन: निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि०अभि०,ग्रा०अभियंत्रण सेवा पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	14.50	–	पौड़ी
					Total	79.85		
52	अशोक कुमार के घर से [illegible] नाली एवं रास्ते/पुस्ते का निर्माण वार्ड नम्बर-11	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	4.42	–	पौड़ी
53	वार्ड नं-1 में [illegible] क्षतिग्रस्त मार्ग/पुस्ते का निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	0.842	–	पौड़ी
54	वार्ड नं-1 में [illegible] अति क्षतिग्रस्त मार्ग/पुस्ते का पुन: निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	1.538	–	पौड़ी
55	[illegible] मन्दिर [illegible] पुस्ते का निर्माण एवं नाला सफाई	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	1.408	–	पौड़ी
					Total	8.208		
56	[illegible] थलीसैंण के अन्तर्गत पेयजल योजना की अतिवृष्टि/भूस्खलन से [illegible] क्षतिग्रस्त	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि० अभि० जल संस्थान पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	1.00	–	पौड़ी
57	तहसील चौबट्टाखाल के अन्तर्गत जल संस्थान की [illegible] पेयजल योजना	उपजिलाधिकारी चौबट्टाखाल	अधि० अभि० जल संस्थान पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	0.605	–	पौड़ी
58	[illegible] पेयजल योजना	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि० अभि० जल संस्थान पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	0.329	–	पौड़ी
59	[illegible] पेयजल योजना	उपजिलाधिकारी थलीसैंण	अधि० अभि० जल संस्थान पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	0.558	–	पौड़ी
					Total	2.512		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	5.78	–	टी०गढ़वाल
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	5.28	–	टी०गढ़वाल
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	3.33	–	टी०गढ़वाल
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	2.41	–	टी०गढ़वाल
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	1.51	–	टी०गढ़वाल
					Total	18.28		
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	3.61	–	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	8.19	–	[illegible]
					Total	11.80		
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	3.30	–	पौड़ी
					Total	3.50		
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	4.98	–	पौड़ी
					Total	4.98		
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-2009	28/02/2009	1.34	–	पौड़ी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	सतपुली एकीकृत [illegible] पर अतिरिक्त [illegible] का पूर्ण निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अभि0 ग्रामीण [illegible] पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	4.94	—	पौड़ी/टाउन
					Total	6.98		
71	राजकीय [illegible] ब्लॉक नम्बर-5 में मरम्मत कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी वर्ल्ड विजन पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	2.20	—	पौड़ी
72	राजकीय [illegible] ब्लॉक नम्बर-6 में मरम्मत कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी वर्ल्ड विजन पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	0.82	—	पौड़ी
73	राजकीय [illegible] में मरम्मत कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी वर्ल्ड विजन पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	1.35	—	पौड़ी
74	राजकीय [illegible] के आगे पुश्ते का निर्माण कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी वर्ल्ड विजन पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	1.15	—	पौड़ी
75	राजकीय [illegible] में पुश्ते का नव निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी वर्ल्ड विजन पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	2.30	—	पौड़ी
					Total	7.82		
76	[illegible] के पैदल जिला परिषद का अतिरिक्त मार्ग का पुश्ता/नालिया मार्ग मरम्मत/पुनः निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	4.90	—	पौड़ी
77	ग्राम [illegible] में [illegible] के आगे व नीचे पुश्ता निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	2.43	—	पौड़ी
78	[illegible] के अतिरिक्त [illegible] सम्पर्क मार्ग पुश्ता [illegible] का पुनः निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	4.00	—	पौड़ी
79	ग्राम [illegible] में [illegible] के रास्ते एवं पैदल मार्ग का पुनः निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	1.44	—	पौड़ी
80	ग्राम [illegible] के [illegible] मार्ग की पुलिया/पैदल मार्ग मरम्मत	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	7.82	—	पौड़ी
81	ग्राम [illegible] के ग्राम [illegible] से [illegible] अतिरिक्त [illegible] एवं [illegible] मार्ग निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	2.55	—	पौड़ी
82	[illegible] पैदल मार्ग की मरम्मत पुनः एवं अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधि0अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	26/02/2009	1.95	—	कोटद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	ग्राम [illegible] में [illegible] पुलिया एवं सीसी मार्ग का निर्माण	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	28/02/2009	2.00	—	पौड़ी
84	ग्राम [illegible] के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] की ओर जाने वाले [illegible] मार्ग का मरम्मत कार्य	उपजिलाधिकारी पौड़ी	अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी	2008-2009	09/02/2009	1.00	—	श्रीनगर
					Total	30.49		
					G.Total	299.929		

उपरोक्त 1 से 84 तक के दैवीय आपदा राहत निधि कार्यों के लिए मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में गठित कमेटि उपजिलाधिकारी पौड़ी, कोषाधिकारी पौड़ी एवं अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण पौड़ी की संस्तुतियों के आधार पर योजनायें स्वीकृत की गई है।

नत्थी–'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर पीछे उत्तर पृष्ठ संख्या–63–64 पर)

संख्या 65/2/69–11 एकी०

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ, दिनांक 8 मार्च 1973

विषय–पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, किन्तु चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में उक्त जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। राज्यपाल ने अब आदेश दिये हैं कि–

(1) राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण किया जायेगा।

(2) अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इस आधार के अन्तर्गत जो व्यक्ति ज्येष्ठ है तथा कार्य तथा आचरण के विचार से अनुपयुक्त नहीं है वह चुना ही जायेगा।

2–यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या

में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों को कार्य दृष्टि से भरा जाना आवश्यक ही समझा जाता है तो उनमें केवल तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों में यह स्पष्ट भी कर दिया जाय। साथ ही उन रिक्तियों को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत (कैरी फारवर्ड) किया जाना चाहिये पर प्रतिबन्ध यह होगा कि भर्ती के वर्ष में आरक्षित रिक्तियां तथा अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां कुल मिलाकर रिक्तियों को कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि रिक्तियां केवल दो ही हों, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जा सकता है। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे अरक्षित (अन-रिज़र्व्ड) रिक्ति समझना चाहिये।

45 प्रतिशत से अधिक अधिशेष (सरप्लस) को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि अग्रेनीत की गयी विशेष रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में क्रमशः दो वर्षों और पाँच वर्षों से अधिक पुरानी होने के कारण काल-बाधित (टाइम-बार्ड) न होने पायें।

3-पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायगी, अर्थात् उपयुक्तता का माप दण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिये एक सा होगा। जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम माप दण्ड की योग्यता रखते हैं उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायेगा।

4-जब उपरोक्त प्रकार से आरक्षित रिक्तियों में पहले चयन अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रोन्नति की जायेगी तो उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अन्तर्गत होगा। आरक्षण का सिद्धान्त स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये गये लोगों का स्थायीकरण करते समय दोबारा लागू नहीं होगा।

5-राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्ग-1 और वर्ग-2 की राज्यस्तरीय सेवाओं में नियुक्ति के सभी मामले सम्बन्धित मंत्रियों की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। भविष्य में वर्ग-2 की अन्य सेवाओं के साथ वर्ग-3 और वर्ग-4 की सेवाओं में, जिनमें नियुक्तियां राज्यपाल से भिन्न प्राधिकारी द्वारा की जाती है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिक्रमण (सुपरसेशन) के मामले भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा सम्बन्धित मंत्री को सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे अतः ऐसे सभी मामले विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों को एक माह के अन्दर भेज देने चाहिये।

6-मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के उपर्युक्त निर्णयों को सही ढंग से पालन करने के आदेश अविलम्ब जारी कर दें।

7—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव।

संख्या 65/2/69 (1)— रा० एकी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) राज्यपाल के सचिव।

(5) मंत्रियों को सूचनार्थ, समस्त मंत्रियों के निजी सचिव।

आज्ञा से,
प्रताप सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

क्रम संख्या—6

संख्या 15/5/1973—रा० एकी०

प्रेषक,

श्री भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1974

विषयः—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन—जातियों के लिये आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में शासकीय आदेश संख्या 65/2/69—रा०एकी०, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। शासन ने मामले पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया है कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। अतएव शासकीय आदेश संख्या 85/2/69–रा०एकी०, दिनांक 8 मार्च, 1973 के पैरा 1 का पद (2) तदनुसार संशोधित समझा जाय। आरक्षण की इन व्यवस्थाओं के साथ नियमों एवं आदेशों में दिये गये प्राविधानों पदोन्नति की जायेगी।

(2) जो अभ्यर्थी ज्येष्ठता पर आधारित उक्त पदोन्नति के लिये सर्वथा पात्र एवं अर्ह होगा तथा अनुपयुक्त न पाया जायेगा उसको आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायेगा। विभाग में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिये आरक्षण के अनुसार निर्धारित की जायेगी। तदुपरान्त निर्धारित संख्या तक सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनाई गई उनकी सूचियों से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। चुने हुए अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (inter se seniority) के अनुसार व्यवस्थित किये जायेंगे। उसके बाद तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों की सूची मिला ली जायेगी और अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (inter se seniority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिये जायेंगे और रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नतियां उसी क्रम की जायेंगी।

(3) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे। इन आदेशों के अनुसार सम्बन्धित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाय।

भवदीय,

भैरव दत्त सनवाल,

मुख्य सचिव।

संख्या 16/5/1973 (1)–रा० एकी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) राज्यपाल के सचिव।

(5) मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों की सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

आज्ञा से,

पी०एन०कौल,

आयुक्त एवं सचिव।

प्रेषक, संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53 (1)/2001

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून: दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय:– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रैपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:–

(1)	अनुसूचित जाति	19%
(2)	अनुसूचित जनजाति	04%
(3)	अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय:–

(i)	महिलाएं	20%
(ii)	भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii)	विकलांग व्यक्ति	03%
(i)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3– आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,
राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 (1)/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
आर०सी०लोहनी,
अनु सचिव।

प्रेषक, संख्या 1455/कार्मिक-2/72001

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2001

विषय : पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 1144/का-2/2001-53(1)/2001, दिनांक 11 जुलाई, 2001 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 19% तथा अनु0 जनजातियों के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत् तैयार किया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अनारक्षित
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अनारक्षित
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अनारक्षित
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अनारक्षित

(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अनारक्षित
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अनारक्षित
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जनजाति
(49) अनारक्षित
(50) अनारक्षित
(51) अनुसूचित जाति
(52) अनारक्षित
(53) अनारक्षित
(54) अनारक्षित
(55) अनारक्षित
(56) अनुसूचित जाति
(57) अनारक्षित
(58) अनारक्षित
(59) अनारक्षित
(60) अनारक्षित
(61) अनुसूचित जाति
(62) अनारक्षित
(63) अनारक्षित
(64) अनारक्षित
(65) अनारक्षित

(66) अनुसूचित जाति
(67) अनारक्षित
(68) अनारक्षित
(69) अनारक्षित
(70) अनारक्षित
(71) अनुसूचित जाति
(72) अनुसूचित जनजाति
(73) अनारक्षित
(74) अनारक्षित
(75) अनारक्षित
(76) अनुसूचित जाति
(77) अनारक्षित
(78) अनारक्षित
(79) अनारक्षित
(80) अनारक्षित
(81) अनुसूचित जाति
(82) अनारक्षित
(83) अनारक्षित
(84) अनारक्षित
(85) अनारक्षित
(86) अनुसूचित जाति
(87) अनारक्षित
(88) अनारक्षित
(89) अनारक्षित
(90) अनारक्षित
(91) अनुसूचित जाति
(92) अनारक्षित
(93) अनारक्षित
(94) अनारक्षित
(95) अनारक्षित
(96) अनुसूचित जनजाति
(97) अनारक्षित
(98) अनारक्षित
(99) अनारक्षित
(100) अनारक्षित

3. अनुरोध है कि पदोन्नतियों के मामले में उपरोक्तानुसार रोस्टर को अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,
राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1455/(1)कार्मिक–2/2001, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।

3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।

4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकरी, उत्तरांचल।

5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल।

6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल।

7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।

8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तरांचल।

9. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।

10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।

11. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।

12. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।

13. निदेशक, उत्तरांचल प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,
आर0सी0लोहनी,
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
संख्या : 1415/का–2/2001
देहरादून, दिनांक 30 अगस्त, 2001

चूँकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूँकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू होगा:–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियोंऔर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,) 2001

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में जहाँ–2 शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ–2 "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में उत्तरांचल लोक सेवाओं में आरक्षण–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3(1) में अनुसूचित जातियों मामले में इक्कीस प्रतिशत के स्थान पर उन्नीस प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के मामले में दो प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताईस प्रतिशत के स्थान पर चौदह प्रतिशत पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
राकेश शर्मा,
सचिव, कार्मिक।

In pursuance of the provision of clause (3) Article 348 of the comitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notificition No. 1415/Ka-2/2001, dated 30.8.2001:

No 1415/Ka-2/2001

Dated Dehradhun Augest 30, 2001

Whereas, under section 87 of the Uttar Paradesh REORGANISATION ACT, 2000, thr Uttaranchal Goverment may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or impedent;

And, whereas, Uttar Pradesh Lok Seva(Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act, 1994 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Paradesh Reorganisation Act 2000;

Now, Therefore, in exercise of the powers under section 87 of Uttar Paradesh Reorganisation Act 2000 (Act No. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct that the Uttar Paradesh Lok Seva Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation Act, 1994, shall have applicability to the Uttaranchal subject to the provision of the following order--

UTTAR PRADESH LOK SEVA (SCHEDULED CASTE SCHEDULED TRIBE AND OTHER BACKWARD CASTE RESERVATION) ACT (UTTRANCHAL ADAPTATION AND MODIFICATION) ORDER 2001

1. Short title and Commencement-(1) This order may be called Uttar Paradesh Lok Seva(Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act (Uttranchal Adaptation and Modification) Order, 2001

(2) It shall come into force at once.

2. in Uttar Paradesh Lok Seva (Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act the expression" Uttar Paradesh" occurs, it shall be read as "Uttranchal".

3. Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Caste in public service of Uttaranchal--The reservation percentage enshrined in section 3 of Uttar Paradesh Lok Seva (Scheduled Caste,

Scheduled Tribe and Other Backward Caste) Act, 1994 in respect of Scheduled Caste be read Nineteen percent instead of Twenty-one percent, in respect of Scheduled tribe be read Four percent instead of Two percent and other Backward caste be read Fourteen percent instead of Twenty-seven percant.

By Order

RAKESH SHARMA

Secretart

Karmik.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

(2) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।

(5) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।

(6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।

(7) आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।

(8) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।

(9) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।

(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

सचिव, कार्मिक।

37

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994[1] (उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, सन् 1994) (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में-

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं:-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(पाँच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन आच्छादित नहीं है;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, से है।

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण–(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में – इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में – दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में – सत्ताईस प्रतिशत

1. उ0प्र0 गजट (असाधारण) भाग–3 (क) में दि0 23–3–94 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाये।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

4. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

5. शास्ति–(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–262 की उपधारा (1) धारा–263, धारा–264 और धारा–265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

6. अभिलेख मांगने की शक्ति–यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा–3 की उपधारा (1) उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों की माँग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

7. चयन समिति में प्रतिनिधित्व–राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाये और जहाँ ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम–निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8. छूट और शिथिलीकरण–(1) राज्य सरकार, धारा–3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिनके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

9. जाति प्रमाण–पत्र–इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

10. कठिनाइयों को दूर करना–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11. सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

12. नियम बनाने की शक्ति–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

13. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

14. आदेशों इत्यादि का रखा जाना–धारा–3 की उपधारा (5) धारा–4 की उपधारा (1) और (2) और धारा–10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा–13 के

अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

15. अपवाद-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार-

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

16. निरसन और अपवाद-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

नोट-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1989, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1993; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 1994।

अनुसूची-एक

[देखिए धारा 2(ख)]

1-अहीर	7-कोइरी
2-अरख	8-कुम्हार
3-काछी	9-कुर्मी
4-कहार	10-कम्बोज
5-केवट या मल्लाह	11-कसगर
6-किसान	12-कुंजड़ा या राईन

13–गोसाई
14–गूजर
15–गड़ेरिया
16–गद्दी
17–गिरि
18–चिकवा (कस्साब)
19–छीपी
20–जोगी
21–झोजा
22–डफाली
23–तमोली
24–तेली
25–दर्जी
26–धीवर
27–नक्काल
28–नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29–नायक
30–फकीर
31–बंजारा
32–बढ़ई
33–बारी
34–बैरागी
35–बिन्द
36–बियार
37–भर
38–भुर्जी या भड़भूजा
39–भटियारा
40–माली, सैनी
41–मनिहार
42–मुराव या मुराई
43–मोमिन (अंसार)
44–मिरासी
45–मुस्लिम कायस्थ
46–नद्दाफ (धुनिया) मन्सूरी
47–मारछा
48–रंगरेज
49–लोध, लोधा, लोधी, लोट, राजपूत
50–लोहार
51–लोनिया
52–सोनार
53–स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54–हलवाई
55–हज्जाम (नाई)

अनुसूची–दो

[देखिए धारा 3(1)]

1– निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री–

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक शोध या किसी अन्य संस्था के समूह/'क'/श्रेणी एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह 'क'/श्रेणी एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो:

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमाह दस हजार रूपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2–चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टॉक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री:

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो।

3–किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4–किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रूपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पाँच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5–किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रूपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

उद्देश्य और कारण

अध्यादेश अधिनियम सं0 4, सन् 1994 के उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में लोक सेवाओं में समूह 'क' समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों में पन्द्रह प्रतिशत और समूह 'घ' के पदों में दस प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ में दिनांक 16 नवम्बर, 1992 को अपने निर्णय में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में समुन्नत व्यक्तियों को छोड़कर लोक सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की संवैधानिकता को उचित ठहराया था। राज्य सरकार ने समुन्नत वर्ग के व्यक्तियों के अवधारण के लिए और आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए गठित समितियों की रिपोर्टों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों के 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था इसलिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993, (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1993) प्रख्यापित किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त अध्यादेश में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियाँ अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेंगी।

बाद में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अग्रनीत करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उपान्तरों सहित उपयुक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

38

कार्मिक अनुभाग–1, संख्या–1/1/94–कार्मिक–1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994

विषय– उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है:-

(1) इस अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (त) में यथापरिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियाँ जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, सभी बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिनमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो, से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हों, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और पदों जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार लागू होगा।

(3) यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित

रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोषसिद्ध होने पर अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत् लागू होंगे।

2. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों का सभी स्तरों पर, उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर–1 के खण्ड (1) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

नत्थी–'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–58 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री शेर सिंह मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–40 के उत्तर का संलग्नक:–

राज्य में स्थापित परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद	2001 की जनगणनानुसार ग्रामीण जनसंख्या	उपकेन्द्रों हेतु निर्धारित जनसंख्या मानक	उपकेन्द्र		
				2001 की जनगणनानुसार अनुमन्य उपकेन्द्र	स्थापित उपकेन्द्रों की संख्या	अन्तर/लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तरकाशी	2,72,095	3000	91	81	10
2	चमोली	3,19,686	3000	107	104	3
3	टिहरी	5,44,910	3000	182	190	0

1	2	3	4	5	6	7
4	देहरादून	6,03,401	3000	201	167	34
5	पौड़ी	6,07,203	3000	202	218	0
6	रुद्रप्रयाग	2,24,707	3000	75	65	10
7	पिथौरागढ़	4,02,456	3000	134	154	0
8	अल्मोड़ा	5,76,062	3000	192	196	0
9	नैनीताल	4,93,859	3000	165	136	29
10	बागेश्वर	2,41,859	3000	81	77	4
11	चम्पावत	1,90,764	3000	64	66	0
12	हरिद्वार	10,00,912	5000	200	169	41
13	ऊधमसिंहनगर	8,32,600	5000	167	153	14
	योग	63,10,275		1861	1765	145

—0—

नत्थी–'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–58 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–63 पर)

<u>जाँच आख्या</u>

जनपद अल्मोड़ा/टिहरी के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से सम्बन्धित किये गये कार्यों की जाँच आख्या

(1) कार्यदायी संस्था का नाम : मै0 आईकॉम टेली लि0, हैदराबाद

(2) अनुबन्ध : टिहरी–1366/UPCL/GM/CCP-11/2005-06 (ICOMM) दिनांक 08.12.05

अल्मोड़ा–1367/UPCL/GM/CCP-1/2005-06 (ICOMM) दिनांक 08.12.05

(3) कार्य पूर्ण करने की अवधि : टिहरी–31.05.2007 एवं अल्मोड़ा 30.06.2007

(4) अनुबन्ध की धनराशि : टिहरी–रू0 108.76 करोड़ एवं अल्मोड़ा रू0 90.37 करोड़

(5) उपरोक्त कम्पनी को अल्मोड़ा व टिहरी जनपद में निम्न लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण कार्य करने थे:

लक्ष्यों का विवरण	जनपद टिहरी		जनपद अल्मोड़ा	
	लक्ष्य (संख्या)	प्रगति (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	प्रगति (संख्या)
(1) अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण	122	122	103	98
(2) विद्युतबाधित ग्रामों का विद्युतीकरण	66	66	105	83
(3) पूर्व में विद्युतीकरण ग्रामों का सघनीकरण	1016	1016	1325	823
(4) तोकों को विद्युतीकरण	1856	1856	2364	758
(5) बी0पी0एल0 संयोजन	23964	22500	26000	13725

श्री पुष्पेश त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 25–05–2007 के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का विवरण निम्नवत है:–

प्रश्न	उत्तर
1– टेलीफोन विभाग से सम्बन्धित कार्यों को करने वाली कम्पनी को किस आधार पर योग्य समझा गया कि टिहरी एंव अल्मोड़ा जिलो की बृहदत्त परियोजनाएं कार्य करने के लिए दे दी गई ।	– कारपोरेशन द्वारा राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा व टिहरी जनपद में विद्युतीकरण कार्य हेतु खुली निविदाएं हेतु आमंत्रित की गई थी इन निविदाओं के आधार पर मैं0आईकाम टेली लि0,हैदराबाद को कार्य आँवटित किया गया था।
2– सम्पूर्ण कार्यकाल में कम्पनी की अत्यन्त धीमी कार्य गति के सुधार हेतु क्या कार्य किया गया।	– ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल/खण्ड स्तर पर कई बैठकें की गई तथा कम्पनी को कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये। कारपोरेशन स्तर से भी दिनांक 14–06–2007,10–03–2008 एवं 13–11–2009 को कम्पनी को नोटिस निर्गत किये गये।
3– अब जब कार्यकाल की पूर्णावधि समाप्ति पर है तक कम्पनी के विरूद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है।	– अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कम्पनी के बीजकों से 10 प्रतिशत कटौती की गई (जनपद टिहरी में रू0 743 लाख एंव अल्मोड़ा में रू0 550 लाख पेनाल्टी डाली गई)।
4– टिहरी एंव अल्मोड़ा जिलों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भविष्य की क्या योजना है।	– उपरोक्त जारी नोटिस एंव विभिन्न बैठकों में दिये गये कड़े निर्देशों के कारण ही कम्पनी के कार्य में प्रगति परिलक्षित हुई जिससे जनपद टिहरी का कार्य लगभग 98 प्रतिशत तथा जनपद अल्मोड़ा का 81 प्रतिशत प्रगति हुई।

नत्थी-'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-64 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-59 उत्तरालेख्य का संलग्नक

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक बकाया वसूली	आकस्मिक स्टेशनरी तथा फार्म आदि पर व्यय	अनुष्ठान व्यय	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में वसूली के लिए बकाया धनराशि पर ब्याज	वर्ष का कुल व्यय (4+5+6)	वर्ष के अन्त तक बकाया वसूली (3+7)	वर्ष में प्राप्त वसूली	वर्ष के अन्त में शेष वसूली (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1981-82	48.830	0.040	0.240	4.060	4.340	53.170	0.640	52.530
2.	1982-83	52.530		0.244	5.250	5.494	58.024	0.670	57.354
3.	1983-84	57.354		0.244	5.715	6.064	63.008	0.610	62.398
4.	1984-85	62.398		0.244	6.240	6.484	68.882	0.610	68.272
5.	1985-86	68.272		0.244	6.840	7.084	75.356	0.610	74.746
6.	1986-87	74.726		0.244	7.470	7.714	82.440	0.610	81.830
7.	1987-88	81.830		0.244	8.180	8.424	90.254	1.130	89.124
8.	1988-89	89.124		0.244	8.910	9.154	98.278	2.670	95.608
9.	1989-90	95.608		0.244	9.560	9.804	105.412	2.690	102.722
10.	1990-91	102.722		0.244	10.270	10.514	113.236	2.990	110.246
11.	1991-92	110.246		0.244	11.020	11.264	121.510	3.500	118.010
12.	1992-93	118.010		0.244	11.800	12.044	130.054	3.830	126.224
13.	1993-94	126.224		0.244	12.622	12.866	139.090	3.990	135.100
14.	1994-95	135.100	0.060	0.430	15.250	15.740	150.840	4.650	146.190
15.	1995-96	146.190		0.980	21.930	22.910	169.100	15.000	154.100
16.	1996-97	154.100		0.980	23.110	24.090	178.190	19.530	158.660
17.	1997-98	158.660		0.980	23.790	24.770	193.430	16.620	176.810
18.	1998-99	166.890	0.290	0.980	25.020	26.290	193.180	17.270	175.910
19.	1999-2000	175.830	0.450	0.980	26.370	27.800	203.630	12.810	190.820
20.	2000-01	190.820	0.760	0.980	28.620	30.360	221.180	12.360	208.820
21.	2001-02	208.820		0.980	31.330	32.310	241.130	15.810	225.320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	2002–03	225.320	1.460	0.980	33.800	36.240	261.560	12.970	248.590
23.	2003–04	248.590	0.180	0.980	37.290	38.450	287.040	12.950	274.090
24.	2004–05	274.090		0.980	41.110	42.090	316.180	14.550	301.630
25.	2005–06	301.630		0.980	45.240	46.220	347.850	15.780	332.070
26.	2006–07	332.070		0.980	49.810	50.790	382.860	24.010	358.850
27.	2007–08	358.850		0.980	53.830	54.810	413.660	24.140	389.520
28.	2008–09	389.520		0.980	58.430	59.410	448.930	25.500	423.430
29.	2009–10 यू टू 12/09	423.430				0.000	423.430	20.150	403.280
	Total		3.260	17.318	622.842	643.420		288.930	

सूची–'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–63 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–66 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मयूख सिंह माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–63 उत्तर का संलग्नक

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्थापित अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र की जनपदवार सूची निम्नवत् है :–

क्र.सं.	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
1	2	3
1	चमोली	ब्लड बैंक, चमोली
2	रुद्रप्रयाग	ब्लड बैंक, रुद्रप्रयाग
3	चम्पावत	ब्लड बैंक, चम्पावत
4	अल्मोड़ा	ब्लड बैंक, अल्मोड़ा

नत्थी-'ड'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-90 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-80 पर)

विधान सभा क्षेत्र, भिकियासैण के अन्तर्गत स्वीकृत किन्तु वन भूमि हस्तान्तरण के अभाव में अनारम्भ सड़कों का विवरण

क्र.स.	वन भूमि हस्तान्तरण की प्रगति का चरण	कुल प्रकरण	संलग्न सूची में क्रमांक
1.	वन विभाग को प्रस्तुत	03	1, 15, 17
2.	वन विभाग की आपत्ति के साथ वापस प्राप्त	01	16
3.	संयुक्त निरीक्षण सम्पन्न	04	2, 3, 5, 19
4.	संयुक्त निरीक्षण अपेक्षित	05	4, 6, 8, 9, 18
5.	सर्वेक्षण स्वीकृति लम्बित/गतिमान	03	7, 10, 13
6.	सर्वेक्षण प्रगति पर	01	12
7.	सर्वेक्षण विवाद का निस्तारण लम्बित	03	11, 14, 20
	योग :	20	

विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग निर्माण सम्बन्धी लम्बित कार्यों का विवरण

(आधार तिथि 16 दिसम्बर, 2008)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक	खण्ड का नाम	भूमि हस्तान्तरण की स्थिति/ लम्बित होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	बल्यरा–स्याल्दे–कंथाल मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 किमी0)	27.02.2004	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	ग्राम सिमलगांव एवं नगर गाँव (नाकुरी) के निवासियों के द्वारा संरेखण में विवाद किए जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। मा0 क्षेत्रीय विधायक जी के हस्तक्षेप से दिनांक 11.12.07 को संरेखण संशोधन पर सहमति बनी जिसके क्रम में संरेखण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 06.02.08 को अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रेषित किया गया, किन्तु संशोधन संरेखण के सम्बन्ध में भी विवाद होने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिनांक 28.02.08 को पूर्व प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही कार्यवाही करने हेतु पत्र दिया गया। तद्नुसार ही वन भूमि प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.11.08 को प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया है।
2.	बाड़खेत–कनखोट–तौलबुगानी–बुराचौरा मोटर मार्ग (लम्बाई 20.00 किमी0)	31.03.2003	–यथैव–	संरेखण में विवाद के कारण कार्यवाही बाधित रही। विवाद के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के द्वारा किये गये प्रयास के फलस्वरूप दिनांक 11.08.05 को संरेखण को लेकर आपसी सहमति हुई, किन्तु ग्राम दल्ला–भटौड़ के निवासियों के द्वारा संरेखण से असहमत होकर दिनांक 02.09.06 को सी0पी0सी0 के तहत नोटिस दिया गया जिसके कारण अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं हो सकी। विभाग द्वारा नोटिस दाता को समझाये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 18.06.07 को प्रस्तावित संरेखण के सम्बन्ध में सहमति दी गयी। तदोपरान्त वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.11.07 को कराया गया। वर्तमान में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे माह दिसम्बर, 2008 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।

1	2	3	4	5
3.	जनपद अल्मोड़ा में [illegible]–[illegible]–नारायण मंदिर–[illegible]–पारकोट [illegible]–[illegible]–[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग (लम्बाई 22.00 कि0मी0)	22.11.2006	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	संरेखण में विवाद के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभाग के प्रयासों से विवाद का निस्तारण किया गया और संरेखण को लेकर सहमति हुई। तदोपरान्त वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.03.08 को कराया गया। वर्तमान में वन भूमि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे मार्च, 09 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।
4	[illegible]–[illegible]–[illegible]–[illegible]–[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग (लम्बाई 40.00 कि0मी0)	27.02.2004	–तदैव–	संरेखण में विवाद के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों से दिनांक 22.10.08 को विवाद का निस्तारण कराया गया जिसके उपरान्त संरेखण का कार्य पूर्ण कराकर संरेखण प्रस्ताव अनुमोदन हेतु दिनांक 15.11.08 को अधीक्षण अभियंता, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया। संरेखण अनुमोदन उपरान्त संयुक्त निरीक्षण किया जाना है। तद्नुसार वन भूमि प्रस्ताव तैयार कर माह जनवरी, 2009 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।
5.	जनपद अल्मोड़ा में [illegible]–[illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 12.00 कि0मी0)	28.10.2006	–तदैव–	ग्राम [illegible] गाँव के निवासियों के द्वारा संरेखण पर विवाद किए जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप विवाद का निस्तारण कराया गया और दिनांक 11.09.08 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण कराया गया। तद्नुसार वर्तमान में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे माह फरवरी, 2009 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।
6.	जनपद अल्मोड़ा में [illegible]–[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 20.00 कि0मी0)	28.10.2006	–तदैव–	ग्राम [illegible] एवं [illegible] के निवासियों के द्वारा संरेखण पर विवाद किए जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। मा0 क्षेत्रीय विधायक के सहयोग से समाधान कराने के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव दिनांक 04.12.08 को अधीक्षण अभियंता, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया जिसे अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण कराया जाना है जिसके उपरान्त वन भूमि प्रस्ताव तैयार कराकर माह सितम्बर, 2009 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।

1	2	3	4	5
7.	जनपद अल्मोड़ा में ककीड़ी बैण्ड- से लोजकुदानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 24.00 किमी0)	25.07.2008	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग में वन भूमि निहित है। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जिसे माह दिसम्बर, 2008 तक स्वीकृत कराया जाना लक्षित है।
8.	पिकिडासैण से भ्यासेरा तक मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी0)	10.10.2006	–तदैव–	ग्राम भ्यासेरा के निवासियों के द्वारा संरेखण पर विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयास के फलस्वरूप विवाद का निस्तारण कराया गया जिसके उपरान्त सर्वेक्षण पूर्ण कराकर संरेखण प्रस्ताव दिनांक 25.11.08 को अधीक्षण अभियन्ता अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया जिसे अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। मार्ग में वन भूमि निहित है और संयुक्त निरीक्षण कराया जाना है। तदोपरान्त वन भूमि प्रस्ताव माह अक्टूबर, 2009 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।
9.	बसोट-पट्टी मोटर मार्ग के किमी0 15 से भ्यासेरा गाँव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी0)	25.03.2008	–तदैव–	ग्राम पीपलगाँव के निवासियों के द्वारा संरेखण में विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों से विवाद का समाधान करने के उपरान्त सर्वेक्षण पूर्ण कराकर संरेखण प्रस्ताव दिनांक 08.11.08 को अधीक्षण अभियंता, अल्मोड़ा को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया जिसे अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है मार्ग में वन भूमि निहित है जिस कारण संयुक्त निरीक्षण कराया जाना है। तदोपरान्त वन भूमि प्रस्ताव माह नवम्बर, 2009 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाना लक्षित है।
10.	देघाट–सिनोली मोटर मार्ग के किमी0 13 से नगरकोटिया नामक स्थान से खोला गाँव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0)	01.03.2003	–तदैव–	इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग देघाट–सिनोली मोटर मार्ग के किमी0 13.00 से प्रारम्भ किया जाना था। देघाट–सिनोली मार्ग पर निर्माण कार्य वर्ष 2007 में ही प्रारम्भ हुआ है जिसके फलस्वरूप देघाट–सिनोली मोटर मार्ग का संरेखण स्पष्ट हुआ। तदनुसार देघाट–सिनोली मोटर मार्ग के किमी0 13.00 से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जिसे माह दिसम्बर, 2008 में ही अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा से अनुमोदित कराया जाना लक्षित है।

1	2	3	4	5
11.	गहनाखाल-सुनौला-तौलबुमानी मोटर मार्ग (लम्बाई 17.00 किमी०)	26.09.2008	ग्रामीण खण्ड, रानीखेत	संरेखण के प्रारम्भिक भाग में ग्राम गहनाखाल के निवासियों के द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। वस्तुतः ग्राम गहनाखाल मोटर मार्ग पर स्थित है और ग्राम सुनौला एवं तौलबुमानी, सल्टोली बैण्ड से तौलबुमानी तक स्वीकृत मोटर मार्ग से जुड़ रहे हैं। इस कारण प्रश्नगत स्वीकृत मार्ग के निर्माण की प्रथम दृष्टया आवश्यकता तो नहीं प्रतीत होती है किन्तु इस स्वीकृति के सापेक्ष अन्य ग्रामों को लाभान्वित किये जाने हेतु क्षेत्र वासियों द्वारा मांग की जा रही है जिस कारण अग्रेत्तर कार्यवाही लम्बित है।
12.	जनपद अल्मोड़ा में धुधुरी-बौरारी से नकमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी०)	28.10.2008	-तदैव-	मार्ग निर्माण में वनभूमि निहित है। संरेखण प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 10.08.08 को संरेखण में पुष्पतीर बैण्ड अंकित होने तथा प्रारम्भिक बिन्दु पर एकतरीय बैण्ड पर पुनः विचार करने की आपत्तियों के साथ लौटाया। दूसरी जगह से संरेखण में विवाद है। विवाद का निस्तारण करा लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है जिसे 15 जनवरी, 09 तक पूर्ण कराकर संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा से माह जनवरी, 2009 में ही अनुमोदित कराना लक्षित है।
13.	जनपद अल्मोड़ा में सरका-सिकियाखेत हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं अवशेष भाग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)	18.07.2008	-तदैव-	हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग (8.0 किमी०) में परिवर्तन करने सम्बन्धी कार्य एशियन विकास बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत भी स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप इस कार्य को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष नहीं किया जाना है। इस भाग के सम्बन्ध में वन भूमि पूर्व से हस्तान्तरित है तथा सम्बन्धित खण्ड द्वारा इस अंश के निर्माण हेतु कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। तदोपरान्त अवशेष भाग के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जिसे माह जनवरी, 2009 में अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा से अनुमोदित कराया जाना लक्षित है। इस मार्ग में वन भूमि निहित है जिसके सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव संरेखण अनुमोदन के उपरान्त तैयार किया जायेगा।

1	2	3	4	5
14.	भिकियासैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत नौला (बौगेत)–दलमोड़ी–किनार मोटर मार्ग (लम्बाई 9.00 किमी0)	05.02.2004	निर्माण खण्ड, रानीखेत	वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति दिनांक 10.09.07 को प्राप्त हुई। तद्क्रम में दिनांक 24.10.07 को वन निगम को पेड़ों के पातन हेतु लिखा गया किन्तु वन निगम द्वारा माह अगस्त, 2008 में पातन की कार्यवाही प्रारम्भ करते समय ग्राम नौला के निवासियों द्वारा मार्ग के आरम्भ बिन्दु को लेकर विवाद किया गया। कार्य की निविदा कर ली गई है, किन्तु पातन न होने के कारण अनुबन्ध गठित नहीं किया जा सका है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
15.	चौबाटा–सिरौली–कनोलिया मोटर मार्ग (लम्बाई 2.00 किमी0)	21.01.2004	–तदैव–	ग्राम चौबाटा के निवासियों के द्वारा संरेखण पर विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों से विवाद का निस्तारण कराकर वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 10.10.08 को प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपत्तियों के साथ प्रस्ताव वापस किया गया। पुनः आपत्तियों का निराकरण कराकर दिनांक 03.12.2008 को प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित किया गया।
16.	नगाड़–धड़ीमहादेव–सैलापानी–भिकियासैंण–मासूता मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी0)	28.02.2004	–तदैव–	ग्राम सैलापानी के निवासियों के द्वारा संरेखण को लेकर विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों से विवाद का समाधान कराने के उपरान्त वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.12.2007 को कराया गया। तदोपरान्त वन भूमि प्रस्ताव गठित करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से दिनांक 03.07.2008 को नोडल अधिकारी, देहरादून को उपलब्ध कराया गया। नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2008 को आपत्तियों के साथ प्रस्ताव वापस किया गया है जिसके क्रम में आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
17.	जालली–सकुनी–मन्टी–पटास मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी0)	28.02.2004	–तदैव–	संरेखण को लेकर ग्राम मन्टी एवं पटास के निवासियों के द्वारा विवाद किए जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप विवाद निस्तारण कराकर वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 28.04.08 को प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित

1	2	3	4	5
				किया गया जो आपत्ति के साथ वापस प्राप्त हुआ। आपत्ति निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव पुनः दिनांक 12.08.08 को प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया है।
18.	चौना–कसारखान मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.00 कि0मी0)	12.08.2005	निर्माण खण्ड, रानीखेत	ग्राम चौना के निवासियों के द्वारा सर्वेक्षण कार्य में विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप विवाद का समाधान कराने के उपरान्त सरेंखण का प्रस्ताव दिनांक 21.8.2006 को अनुमोदित कराया गया। मार्ग में वन भूमि निहित है। संयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग से अनुरोध किया है। संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
19.	रामपाटीन–गोजना–खल्डुवा मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 12.00 कि0मी0)	20.09.2004	–तदैव–	ग्राम गोजना के निवासियों के द्वारा सरेंखण को लेकर विवाद किये जाने के कारण कार्यवाही बाधित रही। विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप सरेंखण प्रस्ताव अनुमोदनार्थ अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया। जिसे अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भूवैज्ञानिक से परीक्षण कराये जाने की आपत्ति के साथ लौटाया गया है। इस बीच प्रस्तावित सरेंखण के आधार पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण करा लिया गया है। सरेंखण अनुमोदन के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
20.	रानीखेत–बारसी–भासी मोटर मार्ग से सिमराड़ी–धोबीतुरा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 03.00 कि0मी0)	27.12.2004	–तदैव–	वन भूमि की सिद्धान्त स्वीकृति दिनांक 10–09–07 को प्राप्त हुई जिसके क्रम में दिनांक 24.10.07 को वन विभाग को पेड़ों के पातन हेतु लिखा गया। वन विभाग द्वारा पातन माह अगस्त, 2008 में प्रारम्भ किया गया है। कार्य का अनुबन्ध भी गठित कर लिया गया है किन्तु कार्य प्रारम्भ करने में ग्राम भासी के निवासियों के द्वारा अपनी भूमि न देने हेतु विवाद किया जा रहा है। विवाद का निस्तारण करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधान सभा/141–26–06–2012–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)